



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275217
CG-DL-E-05082026-275217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948

No. 633]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 695(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 5 की उपधारा (3), धारा 78, धारा 113 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ड), खंड (ढ) और खंड (भ) तथा धारा 319 की उपधारा (2) के खंड (च), (ठ), और (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—जब तक कि इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, ये नियम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी नाविकों और पोतों पर लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे, अर्थात्—

(क) ऐसे पोत जो विशेष रूप से अंतर्देशीय जल में अथवा संरक्षित जल या उन क्षेत्रों के भीतर या उनके निकट संचालित होते हैं जहां वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पतनों से संबंधित उपबंध लागू होते हैं;

(ख) मत्स्यन क्रियाकलापों में संलग्न पोत;

(ग) पारंपरिक रूप से निर्मित पोत, जैसे कि धाऊ और जंक;

(घ) युद्धपोत अथवा नौसेना सहायक पोत; तथा

(ङ) ऐसे अन्य पोत जिन्हें महानिदेशक, समय-समय पर, अभिसमय के अनुसार और संबंधित पोत का स्वामी संघ और नाविक संघ से परामर्श करने के पश्चात्, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए समकक्ष मानने का विनिश्चय करे।

3. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) “पोतों के विरुद्ध सशस्त्र डकैती” से किसी पोत के विरुद्ध अथवा ऐसे पोत पर स्थित व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किसी देश के आंतरिक जल, द्वीपसमूह जल और राज्यक्षेत्रीय जल में निजी उद्देश्यों के लिए की गई हिंसा, निरोध, लूट अथवा उसकी धमकी का कोई अवैध कार्य, जो समुद्रीय डकैती न हो, अभिप्रेत है, तथा इसमें ऐसे कार्यों को उकसाना या जानबूझकर सुगम बनाना भी सम्मिलित है;

(ग) “सामूहिक करार” से नाविक संघ और पोत का स्वामी संघ के मध्य समय-समय पर संपादित ऐसा करार अभिप्रेत है जिसमें भारतीय ध्वज वाले पोतों पर कार्यरत नाविकों के लिए अभिसमय के अनुसार सेवा की शर्तें और परिस्थितियां निहित हों;

(घ) “सक्षम प्राधिकारी” से—

(i) भारत के संबंध में, महानिदेशक; और

(ii) भारत से भिन्न किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य में लागू विधि के अधीन समुद्रीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी या अभिकरण,

अभिप्रेत है;

(ङ) “संविदात्मक दावा” से ऐसा दावा अभिप्रेत है जो—

(i) किसी नाविक की मृत्यु से संबंधित हो, जो वह नाविकीय सेवा करार के अधीन सेवा करते समय किसी भी कारण से हुई हो; या

(ii) व्यावसायिक चोट, बीमारी अथवा जोखिम के कारण दीर्घकालिक अक्षमता की दशा में,

जैसा कि यथास्थिति, नाविकीय सेवा करार अथवा लागू सामूहिक करार, में उपबंधित हो;

(च) “अभिसमय” से 23 फरवरी, 2006 को यथासंशोधित, जेनेवा में हस्ताक्षरित समुद्रीय श्रम अभिसमय, 2006, अभिप्रेत है;

(छ) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ज) “कार्य के घंटे” से वह समय अभिप्रेत है जिसके दौरान नाविकों को पोत के कार्य के कारण कार्य करना अपेक्षित हो;

(झ) “विश्राम के घंटे” से कार्य के घंटों से बाहर का समय अभिप्रेत है, किन्तु इसमें कार्य के घंटों के दौरान एक घंटे तक के अल्प विश्राम या भोजनावकाश सम्मिलित नहीं होंगे;

(ज) “रात्रि” से कम से कम नौ घंटे की वह अवधि अभिप्रेत है जो 2100 बजे प्रारम्भ होकर 0600 बजे समाप्त होती है और जो पोत के स्थान के समय क्षेत्र के अनुसार निर्धारित होगी;

(ट) “जलदस्युता” से समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम, 2022 (2023 का 3) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में परिभाषित जलदस्युता अभिप्रेत है;

(ठ) “मान्यता प्राप्त संगठन” से ऐसा वर्गीकरण समाज अथवा अन्य निकाय अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से वैधानिक सर्वेक्षण, लेखापरीक्षा, निरीक्षण, अनुमोदन और प्रमाणन संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु मान्यता प्रदान की गई हो;

(ड) “नाविकीय सेवा करार” से अधिनियम की धारा 63 में निर्दिष्ट करार अभिप्रेत है;

(ढ) “हिंसा और उत्पीड़न” से कार्यस्थल पर ऐसे अस्वीकार्य व्यवहार, आचरण, प्रथाएं अथवा उनकी धमकियां अभिप्रेत हैं, चाहे वे एकल घटना हों या बार-बार होने वाली, जिनका उद्देश्य या परिणाम अथवा संभावित परिणाम शारीरिक, मानसिक, लैंगिक या आर्थिक क्षति पहुंचाना हो, और इसमें लैंगिक आधार पर हिंसा तथा उत्पीड़न भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “लैंगिक आधार पर हिंसा तथा उत्पीड़न” से ऐसी हिंसा और उत्पीड़न अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के लिंग अथवा जेंडर के कारण उसके विरुद्ध निर्देशित हो अथवा किसी विशेष लिंग या जेंडर के व्यक्तियों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करता हो, तथा इसमें लैंगिक उत्पीड़न भी सम्मिलित है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

4. न्यूनतम आयु.—(1) सोलह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को किसी पोत पर नियोजित या कार्य करने हेतु नहीं रखा जाएगा।

(2) (क) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को रात्रि में कार्य करने अथवा ऐसे कार्य हेतु नहीं रखा जाएगा जिससे उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को जोखिम होने की संभावना हो।

(ख) महानिदेशक, संबंधित नाविक संघ और पोत का स्वामी संघ से परामर्श करने के पश्चात् तथा सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, ऐसे कार्यों के प्रकार विनिर्दिष्ट करेंगे जिनमें ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा।

5. चिकित्सीय प्रमाणपत्र.—चिकित्सीय प्रमाणपत्र का प्ररूप और उसे प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार होगा।

6. प्रशिक्षण और अर्हता.—नाविकों का प्रशिक्षण और अर्हता अधिनियम की धारा 61 के अनुसार होगी।

7. भर्ती और नियुक्ति.—(1) नाविकों की भर्ती और नियुक्ति, अधिनियम की धारा 62 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

(2) प्रत्येक भारतीय पोत का पोत का स्वामी, जो किसी नाविक को नियोजित करता है, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, बीमा अथवा अन्य समकक्ष उपयुक्त व्यवस्था के माध्यम से ऐसी सुरक्षा प्रणाली स्थापित करेगा जिससे नाविकों को उस आर्थिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके जो उन्हें पोत का स्वामी द्वारा नाविक नियोजनकरार के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप हुई हो।

8. नाविकों के नियोजनकरार- (1) प्रत्येक भारतीय ध्वजधारी पोत निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करेगा, अर्थात्—

(क) भारतीय ध्वजधारी पोतों पर कार्यरत नाविकों के लिए नाविक, मालिक या पोत का स्वामी अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियुक्ति सेवा के मध्य हस्ताक्षरित नाविक नियोजनकरार होना आवश्यक होगा; अथवा जहां वे कर्मचारी नहीं हैं, वहां ऐसे संविदात्मक या समरूप प्रबंधों का साक्ष्य उपलब्ध होगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उन्हें पोत पर सम्मानजनक कार्य तथा जीवन-परिस्थितियां प्रदान करते हों।

(ख) नाविकों को करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसका परीक्षण करने, उस पर सलाह प्राप्त करने और ऐसी अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने अपने अधिकारों तथा दायित्वों को पर्याप्त रूप से समझते हुए स्वतंत्र रूप से करार किया है।

(ग) पोत का स्वामी और संबंधित नाविक, दोनों के पास नाविक नियोजनकरार की मूल हस्ताक्षरित प्रति होगी।

(घ) पोत का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि नाविक नियोजनकरार—

(i) महानिदेशक अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी, जिसमें भ्रमण किए जाने वाले पतनों के पोर्ट स्टेट प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं, के लिए उपलब्ध हो;

(ii) नियोजन की शर्तों के संबंध में स्पष्ट जानकारी समाहित करता हो;

(iii) मालिक सहित सभी नाविकों के लिए पोत पर आसानी से उपलब्ध हो।

(ङ) करार की समाप्ति अथवा समाप्त किए जाने पर प्रत्येक नाविक के निरंतर सेवा प्रमाणपत्र पर पोत पर किए गए नियोजन का अभिलेख अंकित किया जाएगा।

(2) नाविक नियोजनकरार में लागू सामूहिक करार को सम्मिलित किया जाएगा और उसकी एक प्रति पोत पर उपलब्ध रखी जाएगी।

(3) नाविक नियोजनकरार तथा कोई भी लागू सामूहिक सौदेबाजी करार अंग्रेज़ी भाषा में होगा।

(4) जहां सामूहिक सौदेबाजी करार पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नाविक नियोजनकरार का हिस्सा बनता है, वहाँ उस समझौते की प्रति पोत पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) पोत का स्वामी अथवा उसकी अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और नियुक्ति सेवा, नाविक नियोजनकरार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोत परिवहन मालिक को प्रस्तुत करेगी।

(6) प्रत्येक स्थिति में नाविक नियोजनकरार में प्ररूप-8 में विनिर्दिष्ट विवरण सम्मिलित होंगे।

(7) नाविक नियोजनकरार की पूर्वकालिक समाप्ति हेतु नाविक और पोत का स्वामी द्वारा दिए जाने वाले नोटिस की न्यूनतम अवधि सामूहिक सौदेबाजी करार अथवा नाविक नियोजनकरार के अनुसार होगी, किन्तु किसी भी स्थिति में यह सात दिन से कम नहीं होगी।

(8) उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अवधि से कम नोटिस उन परिस्थितियों में दिया जा सकता है जिन्हें लागू सामूहिक सौदेबाजी करार में कम अवधि के नोटिस अथवा बिना नोटिस के करार समाप्त करने के लिए उचित माना गया हो। ऐसी परिस्थितियों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुकंपा अथवा अन्य अत्यावश्यक कारणों से नाविक को बिना दंड के कम अवधि के नोटिस पर या बिना नोटिस के करार समाप्त करने की अपेक्षा का समुचित ध्यान रखा जाए।

(9) पोत की हानि, डूब जाने अथवा विनष्ट होने के कारण उत्पन्न चोट, क्षति या बेरोजगारी की स्थिति में पोत का स्वामी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का नाविक का अधिकार सामूहिक सौदेबाजी करार अथवा नाविक नियोजनकरार में विनिर्दिष्ट होगा।

(10) यदि नाविक जलदस्युताया पोतों के विरुद्ध सशस्त्र लूट के परिणाम स्वरूप पोत पर अथवा पोत से बाहर बंधक बना लिया जाता है, तो नाविक नियोजनकरार प्रभावी बना रहेगा, चाहे उसकी नियत समाप्ति दिनांक बीत चुकी हो अथवा किसी पक्ष द्वारा उसे निलंबित या समाप्त करने का नोटिस दिया गया हो।

(11) यदि नाविक नियोजनकरार की समाप्ति या उसकी अवधि पूर्ण होने के बावजूद पोत पर सेवाएं प्रदान करता रहता है, तो पोत के निरोध अथवा गिरफ्तारी की अवधि तक और नाविक के पोत से उतरने तक करार प्रभावी बना रहेगा।

9. वेतन.—(1) पोत का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पोतों पर कार्यरत नाविकों को देय भुगतान अधिकतम एक माह के अंतराल से किया जाए।

(2) जहां लागू सामूहिक सौदेबाजी करार में इससे कम अवधि का उपबंध हो, वहां वही अवधि लागू होगी।

(3) यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट मासिक अवधि अथवा उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट कम अवधि के भीतर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पोत का स्वामी देय वेतन पर प्रतिवर्ष छह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा। यह ब्याज प्रत्येक विलंबित दिन के लिए उस दिनांक से गणना किया जाएगा जिस दिन वेतन देय हुआ था, और वास्तविक भुगतान की दिनांक तक देय रहेगा।

(4) पोत का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि नाविकों को देय और प्रदत्त भुगतानों का मासिक विवरण उपलब्ध कराया जाए, जिसमें वेतन, अतिरिक्त भुगतान तथा विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में प्रयुक्त विनिमय दर का उल्लेख हो।

(5) पोत का स्वामी ऐसे उपाय करेगा, जैसा कि उपनियम (6) में वर्णित है, जिससे नाविक अपनी आय का सम्पूर्ण या आंशिक भाग अपने परिवार, आश्रितों अथवा विधिक लाभार्थियों को प्रेषित कर सकें।

(6) नाविकों को अपनी उपार्जित आय परिवार को भेजने में सक्षम बनाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, अर्थात्—

(क) ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से नाविक, नियुक्ति ग्रहण करते समय अथवा सेवा अवधि के दौरान, यदि वे चाहें, तो अपने वेतन का एक भाग नियमित अंतराल पर बैंक अंतरण अथवा अन्य समरूप माध्यमों द्वारा अपने परिवार को भेजने हेतु आबंटित कर सकें;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि ऐसी आबंटित धनराशि समय पर और सीधे उन व्यक्तियों को अंतरित की जाए जिन्हें नाविक द्वारा नामित किया गया हो।

(7) उपनियम (5) और उपनियम (6) के खंड (क) तथा खंड (ख) के अधीन प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए लिया जाने वाला कोई भी प्रभार उचित होगा और, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, मुद्रा विनिमय दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट आधिकारिक दर अथवा प्रचलित बाज़ार दर के अनुसार होगी और वह नाविक के लिए प्रतिकूल नहीं होगी।

(8) किसी लागू सामूहिक सौदेबाजी करारके अभाव में, नाविक के नियोजन करार के अनुसार देय वेतन निम्नलिखित में से किसी से कम नहीं होगा—

(क) यथास्थिति, विदेशी व्यापार अथवा तटीय व्यापार, या भारत में संबंधित क्षेत्र के किसी सामूहिक सौदेबाजी करारसे सुसंगत उच्चतम राशि; अथवा

(ख) संयुक्त समुद्रीय आयोग या अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि।

(9) जहां कोई नाविकपोत पर या पोत से बाहर जलदस्युता अथवा जहाजों के विरुद्ध सशस्त्र लूट के कृत्यों के परिणाम स्वरूप बंधक बना लिया जाता है, अथवा निरुद्ध या कारावास में रखा जाता है, वहां उसके नियोजन करार,

संबंधित सामूहिक सौदेबाजी करार अथवा इन नियमों के अधीन, यथास्थिति, देय वेतन और अन्य सभी अधिकार तथा लाभ, जिनमें संप्रत्यावर्तन और उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट आबंटनों का प्रेषण भी सम्मिलित हैं, पोत पोत के स्वामी द्वारा बंधक बनाए जाने की सम्पूर्ण अवधि के दौरान तथा नाविक की रिहाई और नियम 12 के अनुसार विधिवत संप्रत्यावर्तन होने तक सुनिश्चित किए जाएंगे और उनका भुगतान किया जाएगा; तथा यदि नाविक की मृत्यु बंधक अवस्था में हो जाती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख तक यह भुगतान जारी रहेगा।

10. कार्य और विश्राम के घंटे.—(1) नाविकों के लिए सामान्य कार्य समय का मानक प्रति दिन आठ घंटे और प्रति सप्ताह एक दिवस का विश्राम तथा सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविक नियोजन करार के अनुसार सार्वजनिक अवकाशों पर विश्राम होगा।

(2) पोत का स्वामिन्यूनतम विश्राम अवधि निर्धारित करेगा, जो निम्नलिखित से कम नहीं होगी—

(क) किसी भी चौबीस घंटे की अवधि में दस घंटे; और

(ख) सात दिनों की अवधि में कुल सतहतर घंटे, जो विभिन्न अवधियों में प्राप्त किए जा सकते हैं।

(3) न्यूनतम विश्राम अवधि को अधिकतम दो भागों में विभाजित किया जा सकेगा, जिनमें से एक अवधि कम से कम छह घंटे की होगी और लगातार दो विश्राम अवधियों के मध्य का अंतराल चौदह घंटे से अधिक नहीं होगा।

(4) मस्टर, अग्निशमन और जीवनरक्षक नौका अभ्यास तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अंतरराष्ट्रीय लिखतों के अधीन विनिर्दिष्ट अभ्यास इस प्रकार आयोजित किए जाएंगे कि विश्राम अवधि में न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न हो और थकान न बढ़े।

(5) जब कोई नाविक इयूटी पर तत्पर हो, जैसे कि जब मशीनरी कक्ष बिना निगरानी के हो, और उसके सामान्य विश्राम में कार्य हेतु बुलाए जाने के कारण व्यवधान उत्पन्न हो, तब उसे पर्याप्त प्रतिपूरक विश्राम अवधि प्रदान की जाएगी।

(6) जहां कोई सामूहिक सौदेबाजी करार या माध्यस्थम् पंचाट अस्तित्व में न हो, अथवा महानिदेशक यह निर्धारित करे कि उपनियम (4) या उपनियम (5) से संबंधित करार या पंचाट के उपबंध अपर्याप्त हैं, वहां महानिदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित नाविकों को पर्याप्त विश्राम प्राप्त हो।

(7) पोत का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पर कार्य व्यवस्था की एक सारणी सुगम स्थान पर प्रदर्शित की जाए, जिसमें प्रत्येक पद के लिए कम से कम निम्नलिखित विवरण हों—

(क) समुद्र में सेवा और पत्तन में सेवा का कार्यक्रम; और

(ख) लागू सामूहिक सौदेबाजी करारों के ढांचे के अंतर्गत लागू न्यूनतम विश्राम अवधि।

(8) उपनियम (7) में उल्लिखित सारणी महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट मानकीकृत रूपविधान में अंग्रेजी भाषा में तैयार की जाएगी।

(9) पोत का स्वामी नाविकों के दैनिक विश्राम घंटों का अभिलेख रखेगा जिससे उपनियम (2) से उपनियम (8) तक के अनुपालन की निगरानी की जा सके।

(10) विश्राम घंटों के अभिलेख महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानकीकृत प्रारूप में, अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के उपलब्ध दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अथवा उक्त संगठन द्वारा तैयार किसी मानक रूपविधान अंग्रेजी में रखे जाएंगे।

(11) नाविकों को उनके संबंध में रखे गए अभिलेखों की एक प्रति प्रदान की जाएगी, जिसे पोत के मालिक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति और संबंधित नाविक द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा।

(12) इस नियम में निहित कोई भी उपबंध पोत के मालिक के उस अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जिसके अंतर्गत वह पोत, पोत पर उपस्थित व्यक्तियों या माल की तत्काल सुरक्षा हेतु, अथवा समुद्र में संकटग्रस्त अन्य

पोतों या व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, किसी नाविक से आवश्यक कार्य घंटे करवाने की अपेक्षा कर सकता है।

(13) उपनियम (12) में वर्णित परिस्थितियों में, मालिक कार्य अथवा विश्राम घंटों की अनुसूची को स्थगित कर सकता है और किसी नाविक से सामान्य स्थिति बहाल होने तक आवश्यक कार्य करवा सकता है।

(14) उपनियम (13) में उल्लिखित सामान्य स्थिति बहाल होने के पश्चात, यथाशीघ्र मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि जिन नाविकों ने अपने निर्धारित विश्राम काल के दौरान कार्य किया है, उन्हें पर्याप्त विश्राम अवधि प्रदान की जाए।

(15) उपनियम (2) और (3) में निहित कोई भी बात महानिदेशक को ऐसे सामूहिक सौदेबाजी करारों को अधिकृत या रजिस्ट्रीकृत करने से नहीं रोकेंगी जिनमें उक्त सीमाओं से अपवादों का उपबंध हो; तथापि, ऐसे अपवाद यथासंभव इन नियमों के अनुरूप होंगे और इनमें अधिक बार या अधिक अवधि के अवकाश, अथवा पहरा ड्यूटी करने वाले नाविकों या अल्प दूरी की यात्राओं वाले पोतों पर कार्यरत नाविकों को प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का उपबंध किया जा सकेगा।

(16) अठारह वर्ष से कम आयु के युवा नाविकों के लिए—

(क) कार्य घंटे प्रति दिन आठ घंटे और प्रति सप्ताह चालीस घंटे से अधिक नहीं होंगे;

(ख) सुरक्षा कारणों से अपरिहार्य होने के सिवाय अतिकाल की अनुमति नहीं होगी;

(ग) दिन के मुख्य भोजन हेतु कम से कम एक घंटे का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक दो घंटे के निरंतर कार्य के पश्चात यथाशीघ्र पंद्रह मिनट का विश्राम प्रदान किया जाएगा।

परंतु यह उपनियम उन युवा नाविकों पर लागू नहीं होगा—

(क) जो डेक, इंजन कक्ष अथवा खानपान विभाग में पहरा-ड्यूटी पर नियुक्त हों या रोस्टर आधारित शिफ्ट प्रणाली में कार्यरत हों; अथवा

(ख) जिनका स्थापित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और समय-सारिणियों के अनुसार प्रभावी प्रशिक्षण इससे प्रभावित होता हो।

11. अवकाश की हकदारी.—(1) पोत का स्वामी यह सुनिश्चित करने हेतु परिचालन मानक और प्रक्रियाएं स्थापित और बनाए रखेगा कि नाविकों को पर्याप्त अवकाश प्रदान किया जाए।

(2) पोतों पर नियोजित नाविक, अभिसमयके अनुसार, प्रत्येक माह की सेवा के लिए कम से कम द्वादश कैलेंडर दिवस के वेतन सहित वार्षिक अवकाश अथवा आनुपातिक अवकाश के हकदार होंगे। ऐसे अवकाश में कार्य से उचित अनुपस्थिति, जैसे बीमारी, चोट, मातृत्व अवकाश अथवा अन्य प्राधिकृत अवकाश, सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

(3) कोई भी नाविक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम वेतन सहित वार्षिक अवकाश को न त्याग सकेगा, न छोड़ सकेगा या न ही उससे वंचित होगा।

(4) न्यूनतम वेतन सहित वार्षिक अवकाश को छोड़ने संबंधी कोई भी करार निषिद्ध होगा, जब तक कि महानिदेशक द्वारा प्रत्येक मामले में लिखित रूप से कारण अभिलिखित करते हुए अन्यथा अनुमति न दी जाए:

परंतु ऐसी कोई अनुमति उस स्थिति में प्रदान नहीं की जाएगी जहां ऐसा करार केवल वाणिज्यिक सुविधापर आधारित हो।

(5) वार्षिक अवकाश को भागों में विभाजित करना अथवा एक वर्ष के देय वार्षिक अवकाश को आगामी अवकाश अवधि के साथ संचित करना, केवल पोत स्वामी और संबंधित नाविक के पारस्परिक करार से ही अनुमत होगा, तथा इससे नाविक के न्यूनतम वार्षिक अवकाश अधिकार में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।

(6) जब कोई पोत भारत के किसी पत्तन पर पहुंचे, तब उस पोत पर कार्यरत नाविकों को संबंधित लोक प्राधिकारियों द्वारा तटीय अवकाश प्रदान किया जाएगा:

परंतु आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति कर दी गई हो और लोक प्राधिकारियों के पास जन-स्वास्थ्य, लोक सुरक्षा और संरक्षा, अथवा लोक व्यवस्था के कारण अनुमति अस्वीकार करने का कोई कारण न हो।

(7) तटीय अवकाश किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रदान किया जाएगा, चाहे नाविक जिस पोत पर नियोजित, नियुक्त अथवा कार्यरत हो, उसका ध्वज राज्य कोई भी हो।

(8) किसी भी नाविक को केवल तटीय अवकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से वीजा या विशेष परमिट रखने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(9) जहां तटीय अवकाश की अनुमति अस्वीकार की जाती है, वहां संबंधित लोक प्राधिकारी उस अस्वीकृति के कारणों की सूचना संबंधित नाविक और पोत के मालिक को देगा तथा अनुरोध किए जाने पर उन कारणों को लिखित रूप में उपलब्ध कराएगा।

(10) पोत के स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय ध्वजधारी पोतों पर कार्यरत नाविकों को, इयूटी से मुक्त होने पर और पोत के पत्तन पर पहुंचने के पश्चात, उनके स्वास्थ्य और कल्याण के हित में तटीय अवकाश लेने की अनुमति दी जाए; सिवाय उन परिस्थितियों के जब—

(क) पत्तन राज्य के प्राधिकारियों द्वारा पोत से बाहर जाने पर प्रतिबंध या सीमा लगाई गई हो; अथवा

(ख) सुरक्षा या परिचालन कारणों से पोत से बाहर जाना प्रतिबंधित या सीमित हो।

(11) अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय यातायात सुविधा अभिसमय (एफएएल अभिसमय) के उपबंधों के अनुसार प्रदान किया गया तटीय अवकाश, उपनियम (6) से उपनियम (10) तक की अपेक्षाओं की पूर्ति माना जाएगा।

12. संप्रत्यावर्तन- (1) पोत का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पोतों पर कार्यरत नाविकों को निम्नलिखित परिस्थितियों में, उनके ऊपर कोई व्यय डाले बिना, संप्रत्यावर्तित किया जाए, अर्थात्—

(क) जब नाविक का नियोजन करार समाप्त हो जाए;

(ख) जब नाविक का नियोजन करार समाप्त किया जाए—

(i) पोत के स्वामी द्वारा; या

(ii) नाविक द्वारा, उचित कारणों के आधार पर, जैसा कि सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविक के नियोजन करार में विनिर्दिष्ट हो;

(ग) जब नाविक अपने नियोजन करार के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम न रहे अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में उससे ऐसा करने की अपेक्षा करना उचित न हो, जैसा कि सामूहिक सौदेबाजी करार या नियोजन करार में विनिर्दिष्ट हो;

(घ) सामूहिक सौदेबाजी करार अथवा नियोजन करार में विनिर्दिष्ट अनुकंपा के आधार पर;

(ङ) परित्यक्त नाविक की स्थिति में।

(2) उपनियम (1) के अधीन संप्रत्यावर्तन हेतु पोत के स्वामी द्वारा वहन की जाने वाली लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

(क) संप्रत्यावर्तन हेतु चयनित गंतव्य तक यात्रा व्यय;

(ख) नाविक के पोत छोड़ने के समय से लेकर संप्रत्यावर्तन गंतव्य तक पहुंचने तक आवास और भोजन की व्यवस्था;

(ग) नाविक के 30 किलोग्राम तक के व्यक्तिगत सामान को संप्रत्यावर्तन गंतव्य तक पहुंचाने का परिवहन व्यय; और

(घ) जब आवश्यक हो, तब चिकित्सा उपचार, जब तक कि नाविक स्वदेश लौटने के लिए चिकित्सा रूप से यात्रा करने के लिए फिट न हो जाएं

(3) पोत मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि नाविक के रोजगार करार या सामूहिक सौदेबाजी करार में उचित उपबंध हैं, जैसा भी मामला हो, जिसमें विनिर्दिष्ट किया गया है-

(क) वे परिस्थितियां जिनमें नाविक उप-नियम (1) के खंड (ख) और (ग) के उपबंधों के अनुसार **स्वदेश वापसी** के हकदार हैं;

(ख) बोर्ड पर सेवा अवधि की अधिकतम अवधि ग्यारह **माह** हो सकती है जिसके बाद एक नाविक **स्वदेश वापसी** का हकदार है; और

(ग) स्वदेश लौटने के लिए पोत स्वामियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सटीक हक, जिनमें स्वदेश लौटने के गंतव्यों से संबंधित, परिवहन का तरीका, कवर किए जाने वाले व्यय की वस्तुएं और पोत स्वामियों द्वारा की जाने वाली अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।

(4) पोत का स्वामी नाविकों से स्वदेश वापसी के खर्च के लिए कोई अग्रिम भुगतान करने या उनकी नौकरी की शुरुआत में उनकी मजदूरी या अन्य देय राशियों से स्वदेश वापसी का खर्च वसूलने के लिए कोई करार नहीं करेगा, सिवाय उस स्थिति के जब लागू सामूहिक सौदेबाजी करारों के अनुसार नाविक को अपनी नौकरी से संबंधित दायित्वों का गंभीर उल्लंघन करने वाला पाया गया हो।

(5) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात पोत के स्वामी के उस अधिकार पर असर नहीं डालेगी जिसके अधीन वह तीसरे पक्ष के साथ हुए संविदाजात व्यवस्था के आधार पर स्वदेश वापसी का खर्च वसूल सकता है।

(6) प्रत्येक पोत का स्वामी पोत पर विद्यमान नाविकों को स्वदेश वापसी से संबंधित लागू उपबंधों की एक प्रति अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराएगा।

(7) यदि किसी भारतीय पोत का पोत स्वामी ऐसे नाविकों के स्वदेश वापसी की व्यवस्था करने या लागत को पूरा करने में विफल रहता है जो स्वदेश वापसी के हकदार हैं, तो -

(क) वित्तीय सुरक्षा प्रदाता संबंधित नाविक के स्वदेश वापसी की व्यवस्था करेगा;

(ख) जहां वित्तीय सुरक्षा प्रदाता उन नाविकों के स्वदेश वापसी की व्यवस्था करने या लागत को पूरा करने में विफल रहता है जो स्वदेश वापसी के हकदार हैं, महानिदेशक संबंधित नाविकों के स्वदेश वापसी की व्यवस्था करेगा या जिस देश से नाविकों को स्वदेश वापसी किया जाना है या जिस देश के वे हैं, उनके स्वदेश वापसी की व्यवस्था कर सकते हैं और उस सदस्य से लागत वसूल कर सकते हैं जिसका झंडा पोत पर लगा है;

(ग) समुद्री यात्रियों को स्वदेश वापसी में महानिदेशक द्वारा किए गए खर्च पोत के स्वामी से वसूल किए जाएंगे; और

(घ) उप-नियम (4) में दिए गए **उपबंधों के सिवाय** स्वदेश वापसी का व्यय किसी भी मामले में नाविकों पर प्रभार नहीं होगा।

(8) यदि भारतीय पोत के अतिरिक्त किसी पोत का पोत मालिक ऐसे नाविकों के स्वदेश वापसी की व्यवस्था करने में विफल रहता है या लागत को पूरा करने में विफल रहता है जो भारत में किसी **पत्तन** या स्थान पर छोड़ दिए गए हैं, जिसमें तटीय जल भी शामिल है और स्वदेश वापसी के हकदार हैं, तो-

(क) वित्तीय सुरक्षा प्रदाता संबंधित नाविक के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करेगा;

(ख) जिस सदस्य का झंडा पोत उड़ाता है, उसका सक्षम प्राधिकारी संबंधित नाविकों के स्वदेश वापसी की व्यवस्था करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो महानिदेशक या वह राज्य **जिसके** वे राष्ट्रीय हैं, उनके स्वदेश वापसी की व्यवस्था कर सकते हैं और उस सदस्य से लागत वसूल कर सकते हैं जिसका झंडा पोत उड़ाता है;

(ग) समुद्री यात्रियों को वापस लाने में होने वाली लागत उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पोत के स्वामी से वसूल की जा सकती है, जिसका झंडा पोत पर है;

(घ) सिवाय उप-नियम (4) में दिए गए उपबंधों के स्वदेश लौटने का व्यय किसी भी मामले में नाविकों पर प्रभार नहीं होगा।

(9) प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों पर विचार करते हुए, जिसमें पोतों की गिरफ्तारी पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1999 भी शामिल है, महानिदेशक, जिसने इस नियम के अनुसार स्वदेश वापसी की लागत की व्यवस्था की है, वह संबंधित पोत के पोत स्वामी के पोतों को तब तक अवरोधन में रख सकता है, या अवरोधन में रखने का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि यथास्थिति प्रतिपूर्ति उप-नियम (7) या उप-नियम (8) के अनुसार नहीं की जाती है।

(10) महानिदेशक पोतों पर सेवा करने वाले नाविकों के **स्वदेश वापसी** की सुविधा प्रदान करेगा, जो पत्तनों पर कॉल करते हैं या क्षेत्रीय जल या आंतरिक जल, और उनके प्रतिस्थापन ऑनबोर्ड से गुजरते हैं।

(11) विशेष रूप से, किसी भी नाविक को स्वदेश भेजने के अधिकार को पोत के मालिक की वित्तीय परिस्थितियों के कारण या पोत के मालिक की अक्षमता या नाविक को बदलने की अनिच्छा के कारण अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(12) प्रत्येक पोत **स्वामी** यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पोतों के लिए इस नियम की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक वित्तीय सुरक्षा प्रणाली विद्यमान है, जो इस नियम के अनुसार, अपने पोत पर किसी भी परित्यक्त नाविक को प्रत्यक्ष पहुंच, पर्याप्त कवरेज और त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

(13) प्रत्येक पोत जिस पर ये नियम लागू होते हैं, उस पर वित्तीय सुरक्षा प्रदाता द्वारा जारी वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य होना चाहिए जो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी क्लब्स का सदस्य क्लब या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य बीमाकर्ता या वित्तीय सुरक्षा प्रदाता होगा और उसकी एक प्रति पोत पर एक स्पष्ट स्थान पर पोस्ट की जाएगी जहां यह नाविकों के लिए उपलब्ध है।

(14) जहां उप-नियम (13) में उल्लिखित एक से अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदाता हैं, प्रत्येक प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज को ऑनबोर्ड ले जाया जाएगा।

(15) वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र या दस्तावेजी साक्ष्य में **प्ररूप-1** में विनिर्दिष्ट जानकारी होनी चाहिए।

(16) वित्तीय सुरक्षा प्रणाली द्वारा प्रदान की गई सहायता नाविक या नाविक के नामित प्रतिनिधि द्वारा किए गए अनुरोध पर तुरंत प्रदान की जाएगी और पात्रता के आवश्यक औचित्य द्वारा समर्थित होगी।

(17) वित्तीय सुरक्षा प्रणाली निम्नलिखित को कवर करने के लिए पर्याप्त होगी, अर्थात्:

(क) समुद्री कर्मचारियों के रोजगार करार के अधीनपोतस्वामी से नाविक को देय बकाया मजदूरी और अन्य हकदारियां, सुसंगत सामूहिक सौदेबाजी करार, ऐसी किसी भी बकाया मजदूरी के चार महीने और ऐसी किसी भी बकाया हकदारियों के चार महीने तक सीमित;

(ख) समुद्री यात्री द्वारा उचित रूप से किए गए सभी खर्च, जिसमें उप-नियम (18) में उल्लिखित **स्वदेश वापसी** की लागत भी शामिल है; और

(ग) समुद्री यात्री की आवश्यक आवश्यकताएं जिसमें ऐसी वस्तुएं शामिल हैं, अर्थात्, पर्याप्त भोजन, जहां आवश्यक हो, कपड़े, आवास, पीने का पानी, पोत पर जीवित रहने के लिए आवश्यक ईंधन, आवश्यक चिकित्सा देखभाल और किसी भी अन्य उचित लागत या परित्याग का गठन करने वाले अधिनियम या चूक से लेकर समुद्र यात्री के घर पहुंचने तक।

(18) स्वदेश वापसी की लागत में उपयुक्त और त्वरित साधनों द्वारा यात्रा शामिल होगी, सामान्यतः वायु द्वारा, और इसमें पोत छोड़ने के समय से लेकर नाविक के घर पहुंचने तक नाविकों के भोजन और आवास का उपबंध, आवश्यक चिकित्सा देखभाल, व्यक्तिगत प्रभाव का मार्ग और परिवहन और परित्याग से उत्पन्न होने वाले कोई अन्य उचित लागत या शुल्क शामिल होंगे।

(19) वित्तीय सुरक्षा अपनी वैधता की अवधि के अंत से पहले समाप्त नहीं होगी जब तक कि वित्तीय सुरक्षा प्रदाता ने महानिदेशक को कम से कम तीस दिनों की पूर्व सूचना नहीं दी हो।

(20) यदि वित्तीय सुरक्षा प्रदाता ने इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी भी नाविक को कोई भुगतान किया है, तो ऐसा प्रदाता, भुगतान की गई रकम तक, स्थानापन्न, समनुदेशन या अन्यथा द्वारा, वह अधिकार प्राप्त करेगा जो नाविकों को प्राप्त होगा।

(21) इस नियम में कुछ भी तीसरे पक्ष के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा के प्रदाता के आश्रय किसी भी अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

(22) यदि संबंधित नाविक तीन वर्ष की अवधि के भीतर या सामूहिक सौदेबाजी करारों में दिए गए उपबंधों के अनुसार इसका दावा नहीं करते हैं, तो स्वदेश लौटने का हक समाप्त हो सकता है, सिवाय इसके कि पोतों के विरुद्ध समुद्री डकैती या सशस्त्र डकैती के परिणामस्वरूप उन्हें पोत पर या उससे बाहर बंधक बना लिया गया हो।

13. पोत के नुकसान या डूबने के लिए नाविक प्रतिकर.- (1) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पोत के किसी भी नुकसान या डूबने के प्रत्येक मामले में, ऐसे नुकसान या डूबने के परिणामस्वरूप अनियोजन के विरुद्ध क्षतिपूर्ति पोत पर सवार प्रत्येक नाविक को, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है, यथास्थिति नाविक के नियोजन समझौते या सामूहिक सौदेबाजी करार के अनुसार, प्रदत्त की जाएगी।

(2) पोत के डूबने या नुकसान के परिणामस्वरूप अनियोजन के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान उन दिनों के लिए किया जाएगा, जिसके दौरान नाविक वास्तव में नाविकों के रोजगार समझौते के अधीन देय मजदूरी के समान दर पर अनियोजित रहता है, लेकिन किसी एक नाविक को देय कुल क्षतिपूर्ति दो महीने की मजदूरी तक सीमित हो सकती है।

(3) समुद्री यात्रियों को ऐसी क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए वही विधिक उपचार प्राप्त होंगे जो उन्हें सेवा के दौरान अर्जित मजदूरी के बकाए की वसूली के लिए प्राप्त होते हैं।

(4) उप-नियम (1) का उपबंध, पोत के डूबने या नष्ट होने से हुए नुकसान या क्षति के लिए किसी अन्य लागू विधि के अधीन नाविक को मिलने वाले किसी भी अन्य अधिकार पर कोई असर नहीं डालेगा।

14. मैनिंग का स्तर.- मैनिंग का स्तर अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नौवहन की सुरक्षा से संबंधित नियमों के अनुसार होगा।

15. नाविकों के नियोजन के लिए वृत्ति और कौशल विकास तथा अवसर.- (1) महानिदेशक ऐसी राष्ट्रीय नीतियां तय करेंगे जो समुद्री कर्मचारियों की वृत्ति और कौशल विकास तथा नियोजन के अवसरों को बढ़ावा दें, ताकि समुद्री क्षेत्र को एक स्थिर और कुशल कार्यबल मिल सके और नाविकों की क्षमताओं, योग्यताओं और रोजगार के अवसरों को मजबूत किया जा सके।

(2) महानिदेशक, संबंधित पोतस्वामियों और समुद्री कर्मचारियों के संगठनों से सलाह करने के बाद, उन समुद्री कर्मचारियों के व्यावसायिक मार्गदर्शन, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करेंगे जिनके पोत पर काम मुख्य रूप से पोत के सुरक्षित संचालन और नौचालन से जुड़े हैं, जिसमें लगातार प्रशिक्षण भी शामिल है।

16. आवास और खानपान सुविधाएं.- पोतों पर आवास और मनोरंजक सुविधाएं वाणिज्यिक पोत(चालक दल आवास) नियम, 1960, या वाणिज्यिक पोत(नाविक आवास) नियम, 2026, के अनुसार होंगी।

17. भोजन और खानपान.- (1) पोत स्वामी नाविक को मुफ्त में आवश्यक गुणवत्ता, मात्रा और पोषण मूल्य का विभिन्न प्रकार का भोजन और पानी प्रदान करेगा, जिसमें पीने का पानी भी शामिल है जो पोत पर पूरक की आवश्यकता को पूरा करता है, भोजन से संबंधित उनकी धार्मिक आवश्यकताओं और सांस्कृतिक प्रथाओं, समुद्री यात्रा की अवधि और प्रकृति को कवर करता है।

(2) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि खानपान विभाग का संगठन और उपस्कर इस प्रकार का होगा कि स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार और परोसे गए पर्याप्त, विविध और पौष्टिक भोजन का उपबंध किया जा सके।

(3) आपूर्ति किए गए भोजन की गुणवत्ता और मात्रा सामूहिक सौदेबाजी समझौते के अनुरूप या जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, उसके अनुरूप होंगी।

(4) पोतस्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि खानपान कर्मचारियों को पोत पर उनके पदों के लिए प्रशिक्षित या निर्देशित किया गया है।

(5) पोतस्वामियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाविक जो पोतों के रसोइयों के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अनुसार प्रशिक्षित, योग्य और सक्षम पाया जाए।

(6) उप-नियम (5) के अधीन आवश्यकताओं में महानिदेशक द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना शामिल होगा, जिसमें व्यावहारिक कुकरी, भोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य भंडारण, स्टॉक नियंत्रण, और पर्यावरण संरक्षण और खानपान स्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल है।

(7) दस से कम कर्मचारियों वाले पोतों पर, जो चालक दल के आकार या व्यापार पैटर्न के आधार पर, पूरी तरह से योग्य रसोइया को ले जाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, गैली में भोजन को संसाधित करने वाले किसी भी व्यक्ति को पोत पर भोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता और भोजन के संचालन और भंडारण सहित क्षेत्रों में प्रशिक्षित या निर्देशित किया जाएगा।

(8) असाधारण आवश्यकता के मामले में, महानिदेशक, एक गैर-पूरी तरह से योग्य रसोइया को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक विनिर्दिष्टपोत में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक छूट जारी कर सकता है, जब तक कि अगला सुविधाजनक पोर्ट ऑफ कॉल या एक महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं है:

परंतु जिस व्यक्ति को यह छूट जारी की गई है, उसे पोत पर भोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता और भोजन के संचालन और भंडारण सहित क्षेत्रों में प्रशिक्षित या निर्देशित किया गया है।

(9) पोतस्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पर, मास्टर के अधिकार से या उसके अधीन, निम्नलिखित के संबंध में तुरंत प्रलेखित निरीक्षण किए जाते हैं, अर्थात्:

(क) भोजन, पानी और पीने के पानी की आपूर्ति;

(ख) भोजन, पानी और पीने के पानी के भंडारण और संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी स्थान और उपस्कर; और

(ग) भोजन तैयार करने और परोसने के लिए रसोईघर और अन्य उपकरण।

(10) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी नाविक को पोत पर रसोइया के रूप में नियुक्त या कार्यरत नहीं किया जाएगा या काम नहीं कराया जाएगा।

18. पोत पर और तट पर चिकित्सा देखभाल.- (1) पोत स्वामी ऐसे उपाय अपनाएगा जो पोत पर काम करने वाले नाविकों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, जिसमें आवश्यक दंत चिकित्सा देखभाल भी शामिल है, के उपबंध के लिए कोई खर्च नहीं होगा, जो पोत पर काम करने वाले नाविकों के लिए होगा जो-

(क) नाविकों के लिए आवेदन, उनके कर्तव्यों से सुसंगत स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के व्यावसायिक संरक्षण पर किसी भी सामान्य उपबंधों का, और पोतपर काम करने के लिए विशेष उपबंधों का सुनिश्चित करें;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के उपबंधों के अनुसार नाविकों को स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का संरक्षण दिया जाए, जिसमें आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और निदान तथा उपचार के लिए सुविधाओं तक त्वरित पहुंच और चिकित्सा जानकारी और विशेषज्ञता शामिल है;

(ग) नाविकों को कॉल के पत्तनों में बिना किसी विलंब के दंत चिकित्सक सहित एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी से मिलने का अधिकार दें, जहां व्यवहार्य हो;

(घ) यह सुनिश्चित करें कि जब कोई नाविक पोत पर सवार हो या किसी विदेशी पत्तन पर उतरे तो उसे मुफ्त में चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जाएं।

(2) पोतस्वामी पोत के मास्टर और संबंधित तटवर्ती और पोत पर चिकित्सा कर्मियों द्वारा उपयोग के लिए एक मानक चिकित्सा रिपोर्ट प्ररूप को अपनाएगा, जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और जब प्ररूप पूरा हो जाता है, तो इसकी सामग्री को गोपनीय रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल नाविकों के उपचार की सुविधा के लिए किया जाएगा।

(3) सभी पोतों को अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के उपबंधों के अनुसार एक दवा पेटी, चिकित्सा उपकरण और एक चिकित्सा गाइड ले जाना चाहिए, जिसका महानिदेशक द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा।

(4) सौ या उससे अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाले और आम तौर पर तीन दिनों से अधिक की अवधि की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्राओं पर लगे पोत को एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी को पोत पर ले जाना चाहिए।

(5) जिस पोत में कोई चिकित्सा व्यवसायी नहीं है, उसे कम से कम एक नाविक को अपने नियमित कर्तव्यों के हिस्से के रूप में चिकित्सा देखभाल और दवा देने के लिए प्रभारी रखना होगा या कम से कम एक नाविक को चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

(6) पोत में चिकित्सा देखभाल के प्रभारी व्यक्ति जो उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसायी नहीं हैं, ने चिकित्सा देखभाल में प्रशिक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है जो नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1978, जैसा कि संशोधित किया गया है की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(7) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए नामनिर्दिष्ट नाविकों ने चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा में संतोषजनक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है जो नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1978, जैसा कि संशोधित किया गया है की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(8) महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि जरूरतमंद नाविकों को तुरंत चिकित्सा देखभाल और उचित उपचार के उपबंध के लिए तट पर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाए।

(9) महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि समुद्र में पोतों को रेडियो या उपग्रह संचार द्वारा चिकित्सा सलाह, जिसमें विशेषज्ञ सलाह भी शामिल है, चौबीस घंटे उपलब्ध हो और ऐसी चिकित्सा सलाह, जिसमें पोत और सलाह देने वाले किनारे के लोगों के बीच रेडियो या उपग्रह संचार द्वारा चिकित्सा संदेशों का आगे प्रसारण भी शामिल है, सभी पोतों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे उसमें कोई भी ध्वज उड़ता हो।

19. पोतस्वामियों का दायित्व.- (1) पोतस्वामी निम्नलिखित मानकों के अनुसार पोत पर काम करने वाले सभी नाविकों के स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें शामिल हैं -

(क) पोत का स्वामी अपने पोत पर काम करने वाले नाविकों के लिए बीमारी और चोट के संबंध में नाविकों के लिए लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो नाविकों की बीमारी और चोट के संबंध में शुरू होने की तारीख और उस तारीख के बीच होती है जिस पर उन्हें विधिवत स्वदेश वापसी माना जाता है, या उन तारीखों के बीच उनके रोजगार से उत्पन्न होता है;

(ख) पोतस्वामी निम्नलिखित की स्थिति में क्षतिपूर्ति के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा बनाए रखेगा, अर्थात्:

(i) किसी कारण से एक नाविक की मृत्यु, जब ऐसा नाविक एक नाविकों के रोजगार समझौते के अधीन सेवा कर रहा है; या

(ii) व्यावसायिक क्षति, बीमारी या खतरे के कारण दीर्घकालिक विकलांगता की स्थिति में,

जैसा कि नाविकों के रोजगार समझौते या लागू सामूहिक सौदेबाजी समझौते के अधीन प्रदान किया गया है, जैसा भी मामला हो;

(ग) पोतस्वामी उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से और शीघ्रता से और निम्नलिखित समयसीमा से अधिक नहीं, खंड (ख) में संदर्भित क्षतिपूर्ति से संबंधित संविदात्मक दावों को प्राप्त करेगा, निपटाएगा और निष्पक्ष रूप से निपटाएगा, अर्थात्:

(i) खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति घटना की तारीख से तीन माह के भीतर दिया जाएगा;

(ii) खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अधीन दीर्घकालिक विकलांगता के लिए क्षतिपूर्ति, जहां तक संभव हो, घटना की तारीख से बारह माह के भीतर भुगतान दिया जाएगा;

(घ) पोत का स्वामी चिकित्सा देखभाल, जिसमें चिकित्सा उपचार और आवश्यक दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति शामिल है, और घर से दूर रहने और रहने के खर्च को वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि बीमारी या अक्षमता को स्थायी स्वरूप का घोषित नहीं कर दिया जाता है; और

(ड.) पोतका स्वामी, अनुबंध की अवधि के दौरान स्वामी पर या किनारे पर होने वाली मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार के खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- (2) महानिदेशक पोत के स्वामी की देयता को चिकित्सा देखभाल और बोर्ड तथा आवास के खर्चों को एक अवधि तक पूरा करने के लिए सीमित कर सकता है, जो चोट के दिन या बीमारी की शुरुआत से सोलह सप्ताह से कम नहीं होगा।
- (3) जहां बीमारी या क्षति के परिणामस्वरूप काम करने में असमर्थता होती है, पोतस्वामी उत्तरदायी होगा, -
- (क) जब तक बीमार या घायल नाविक जहाज पर रहते हैं या जब तक नाविकों को इन नियमों के अनुसार वापस नहीं लाया जाता है, तब तक पूरा वेतन देना; और
 - (ख) जब नाविकों को वापस लाया जाता है या वे उतरते हैं तब से उनके पुनरुद्धार तक या यदि पहले, तब तक जब तक वे किसी अन्य विधि के अधीन हकदार नहीं हो जाते हैं, तब तक पूर्ण या आंशिक रूप से मजदूरी का भुगतान करना।
- (4) महानिदेशक पोत स्वामीके दायित्व को, पोत पर अब सवार नाविकों के संबंध में, पूर्ण या आंशिक रूप से मजदूरी का भुगतान करने के लिए सीमित कर सकता है, जो क्षति की तारीख या बीमारी की शुरुआत से चौबीस सप्ताह से कम नहीं होगी।
- (5) महानिदेशक निम्नलिखित के संबंध में पोत स्वामीको दायित्व से बाहर कर सकता है, अर्थात्:
- (क) पोत की सेवा के अतिरिक्त अन्यथा हुई चोट;
 - (ख) बीमार, घायल या मृत नाविकों के जानबूझकर अवचार के कारण चोट या बीमारी; और
 - (ग) जब नियुक्ति की जाती है तो जानबूझकर छुपाई गई बीमारी या दुर्बलता।
- (6) महानिदेशक पोत स्वामीको चिकित्सा देखभाल और बोर्ड तथा आवास एवं अंतिम संस्कार के खर्चों को वहन करने के दायित्व से छूट दे सकता है, जहां तक ऐसी देयता लोक प्राधिकरणों द्वारा मानी जाती है।
- (7) पोत स्वामीया उसके प्रतिनिधि बीमार, घायल या मृतक नाविकों द्वारा पोत पर छोड़ी गई संपत्ति की सुरक्षा के लिए और उन्हें या उनके निकटतम संबंधियों को वापस करने के लिए उपाय करेंगे।
- (8) पोत का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि संविदात्मक दावों के लिए उप-नियम (1) के खंड (ख) में प्रदान की गई क्षतिपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सुरक्षा की प्रणाली निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती है, अर्थात्:
- (क) संविदीय क्षतिपूर्ति, जैसा कि नाविकों के रोजगार समझौते या सामूहिक सौदेबाजी समझौते में निर्धारित किया गया है और उप-नियम (8) के खंड (ग) के प्रतिकूल नहीं है, पूर्ण और बिना किसी देरी के भुगतान किया जाएगा;
 - (ख) संविदीय रकम से कम भुगतान स्वीकार करने की कोई मांग नहीं होगी;
 - (ग) जबकि नाविक की दीर्घकालिक विकलांगता की प्रकृति नाविकों को पूर्ण मुआवजे का आकलन करना कठिन बनाती है जिसके वे हकदार हो सकते हैं, नाविकों को अनुचित कठिनाई से बचने के लिए अंतरिम भुगतान किया जाएगा;
 - (घ) नाविक अन्य विधिक अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना भुगतान प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसा भुगतान पोत के स्वामी के विरुद्ध नाविकों द्वारा किए गए किसी अन्य दावे और उसी घटना से उत्पन्न के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की जा सकती है; और
 - (ङ) संबंधित क्षतिपूर्ति का दावा सीधे संबंधित नाविकों, या उनके निकटतम संबंधियों, या नाविकों के प्रतिनिधि या नामनिर्दिष्ट लाभार्थी द्वारा लाया जा सकता है।
- (9) पोत स्वामीनाविक, अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और प्लेसमेंट सेवा और महानिदेशक को लिखित में नोटिस दिए बिना वित्तीय सुरक्षा को रद्द या समाप्त नहीं करेगा।
- (10) पोत स्वामीयह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय सुरक्षा के प्रदाता द्वारा महानिदेशक को वित्तीय सुरक्षा के प्रदाता द्वारा कम से कम तीस दिन पहले नोटिस दिए बिना रद्द या समाप्त नहीं किया जाएगा।
- (11) पोत स्वामीयह सुनिश्चित करेगा कि उसके पोत वित्तीय सुरक्षा प्रदाता द्वारा जारी वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य और उसकी प्रति पोत पर सहदृश्य स्थान पर पोस्ट किया गया है जहां यह नाविकों के लिए उपलब्ध है।

(12) जहां एक से अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदाता कवर प्रदान करता है, जैसा कि उप-नियम (11) में विनिर्दिष्ट है, प्रत्येक प्रदाता द्वारा प्रदान किया गया दस्तावेज़ ऑनबोर्ड ले जाया जाएगा।

(13) वित्तीय सुरक्षा अपनी वैधता की अवधि के अंत से पहले समाप्त नहीं होगी जब तक कि वित्तीय सुरक्षा प्रदाताओं ने ध्वज राज्य के महानिदेशक को कम से कम तीस दिनों की पूर्व सूचना नहीं दी हो।

(16) उप-नियम (1) के खंड (ख) में प्रदान की गई वित्तीय सुरक्षा की प्रणाली, एक सामाजिक सुरक्षा योजना या बीमा या निधि या अन्य समान व्यवस्था के रूप में हो सकती है, जैसा कि संबंधित पोत स्वामियों और नाविक संगठनों के साथ परामर्श के बाद महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाए।

(17) महानिदेशक, पोत परिवहन कार्यालय से या ध्वज राज्य के सक्षम जांच प्राधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर, जैसा भी मामला हो, और इस बात से संतुष्ट होने पर कि एक नाविक को उसके संविदात्मक अवधि के दौरान एक पोत से लापता होने की सूचना मिली है पोत परिवहन मास्टर को मृत्यु प्रमाण पत्र की धारणा जारी करने का निर्देश दे सकता है।

(18) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उप-नियम (17) के अधीन जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई भी धारणा, यथास्थिति, नाविक के विधिक उत्तराधिकारियों या परिवार के सदस्यों या निकटतम रिश्तेदारों को, नाविक के रोजगार समझौते या लागू सामूहिक सौदेबाजी समझौते के अधीनक्षतिपूर्ति का दावा करने में सक्षम बनाने के सीमित उद्देश्य के लिए जारी की जाएगी

परंतु ऐसा प्रमाण पत्र किसी अन्य विधि के प्रयोजन के लिए मृत्यु के प्रमाण के रूप में कार्य नहीं करेगा जो तत्समय लागू है।

20. स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण और दुर्घटना की रोकथाम.- प्रत्येक पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पर काम करने वाले नाविकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाए और वे पोत पर सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में काम करें और प्रशिक्षण लें, जैसा कि महानिदेशक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, अभिसमय के मानक ए4.3 के अनुसार है।

21. तट-आधारित कल्याणकारी सुविधाओं तक पहुंच.- (1) महानिदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि जहां पत्तनों में कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे सभी नाविकों के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, जाति, रंग, लिंग, धर्म, राजनीतिक राय या सामाजिक मूल कुछ भी हो और चाहे वे जिस पोत पर कार्यरत या नियुक्त हों या काम कर रहे हों उसके ध्वज राज्य कुछ भी हो।

(2) महानिदेशक, संबंधित पोत स्वामियों और नाविक संगठनों के साथ परामर्श के बाद, देश के ऐसे पत्तनों में कल्याणकारी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगा, जैसा वह निर्धारित कर सकता है।

(3) महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि कल्याणकारी सुविधाओं और सेवाओं की समीक्षा अधिनियम के अधीन स्थापित कल्याण बोर्ड के माध्यम से पोत परिवहन उद्योग में तकनीकी, परिचालन और अन्य विकास के परिणामस्वरूप नाविकों की जरूरतों में परिवर्तन के प्रकाश में की जाती है।

22. सामाजिक सुरक्षा--(1) सामाजिक सुरक्षा प्राप्त के लिए, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के निम्नलिखित तरीकें अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) चिकित्सा देखभाल;

(ख) बीमारी प्रसूविधा;

(ग) बेकारी प्रसूविधा;

(घ) वृद्ध प्रसूविधा;

(ङ) नियोजन क्षति होने पर प्रसूविधा;

(च) परिवार प्रसूविधा;

(छ) प्रसूतिप्र सुविधा;

(ज) अविधिमान्यता प्रसुविधा; और

(छ) उत्तरजीवी संबंधी प्रसुविधा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षासंरक्षण, नियम 18 और नियम 19 के अधीन उपबंधित संरक्षण के अतिरिक्त होंगे।

(3) महानिदेशक, अपने राज्यक्षेत्र में साधारणतया रहने वाले सभी नाविकों को, अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार, उपनियम (1) में निर्दिष्टपूरक सामाजिक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेगा, जिसमें समुचित द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों या योगदान-आधारित प्रणालियों के माध्यम सम्मिलित हैं, और ऐसा पारिणामिक संरक्षण, भारत में निवासी तट-कर्मियों को मिलने वाले संरक्षण से कमतर नहीं होगा।

(4) महानिदेशक, यह सुनिश्चित करेगा कि पोत स्वामियों का सामाजिक सुरक्षा संरक्षण से संबंधित उत्तरदायित्व पूरा होता है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपेक्षित योगदान करना भी सम्मिलित है।

(5) भारतीय पोतों के सभी स्वामी, वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण बोर्ड और फीस उद्ग्रहण) नियम, 2026 के अनुसार वार्षिक कल्याण फीस और कल्याण निधि अभिदाय का भुगतान करेंगे।

23. समुद्रीश्रमअभिसमयके कार्यान्वयन में ध्वज राज्यके उत्तरदायित्व--(1) महानिदेशक, अपने निरीक्षण और प्रमाणन पद्धतियों के प्रशासन के लिए स्पष्ट लक्ष्य और मानक तथा साथ ही उस सीमा के, जिस तक इन उद्देश्यों और मानकों को हासिल किया जा रहा है, इसके निर्धारण के लिए पर्याप्त समग्र प्रक्रियाएँ भी स्थापित करेगा।

(2) महानिदेशक, संगठनों को मान्यता देने के प्रयोजन के लिए, संबंधित संगठन की क्षमता और स्वतंत्रता की समीक्षा करेगा और यह अवधारित करेगा कि क्या संगठन के पास निम्नलिखित है,--

(क) उसे प्रदत्त प्राधिकार के अधीन आने वाले क्रियाकलापों को करने के लिए आवश्यक क्षमता है;

(ख) पोत के संचालन की आवश्यक विशेषज्ञता और उचित जानकारी है, जिसमें पोत पर काम करने वाले नाविकों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ, रोजगार की शर्तें, आवास, मनोरंजन की सुविधाएँ, भोजन और खान-पान, दुर्घटना की रोकथाम, स्वास्थ्य सुरक्षा, चिकित्सा देखभाल, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सम्मिलित हैं;

(ग) अपने कर्मचारियों की विशेषज्ञता को बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की क्षमता है;

(घ) अधिनियम, उसके अधीन बने नियमों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की आवश्यक जानकारी है; और

(ङ) अधिकार के प्रकार और स्तर के हिसाब से उचित आकार, संरचना, अनुभव और क्षमता वाला है।

(3) निरीक्षण के संबंध में दिए गए किसी भी अधिकार के अधीन, मान्यता प्राप्त संगठन को कम से कम यह अधिकार होगा कि वह नाविकों के काम करने और रहने की स्थितियों में पाई गई कमियों को ठीक करने के लिए कह सके और पतनराज्य के अनुरोध पर इस संबंध में निरीक्षण कर सके।

(4) महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को अपनी ओर से काम करने के लिए प्राधिकृत मान्यताप्राप्त संगठनों की वर्तमान सूची उपलब्ध कराएँगे और इस सूची को अद्यतन रखेंगे, और ऐसी सूची में उन कार्यों का उल्लेख होगा, जिन्हें करने के लिए मान्यता प्राप्त संगठनों को प्राधिकृत किया गया है।

(5) महानिदेशक,--

(क) मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा किए गए काम की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाएगा, जिसमें सभी लागू विधियों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की जानकारी सम्मिलित होगी; और

(ख) ऐसे संगठनों के साथ बातचीत और उनकी निगरानी के लिए प्रक्रियाएँ बनाएगा।

(6) महानिदेशक, यथास्थिति, निरीक्षण करने वाले प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त संगठन से उनके द्वारा की गई सेवाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए कहेगा, जिससे वे सेवाओं के अंतर्गत आने वाले मामलों में आवश्यक मानकों को कारित करने का प्रमाण दे सकें।

(7) महानिदेशक, वर्ष समाप्ति के पश्चात् छह मास से अधिक समय न लेते हुए, ऐसी जांच पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

(8) समुद्री श्रम अभिसमय और वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री श्रम) नियम, 2026 की एक प्रति भारतीय पोतों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

24. समुद्री श्रम प्रमाणपत्र और समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा--(1) महानिदेशक या इस काम के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकरण या संगठन, अभिसमय के अनुसार पाँच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए समुद्री श्रम प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) समुद्री श्रम प्रमाणपत्र की वैधता, महानिदेशक या इस काम के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा बीच में किए जाने वाले निरीक्षण पर निर्भर करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिसमय को लागू करने वाले अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का लगातार पालन हो रहा है।

(3) यदि बीच में केवल एक निरीक्षण किया जाता है और प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि पाँच वर्ष है, तो -

(क) यह प्रमाणपत्र की दूसरी और तीसरी वर्षगांठ की तारीखों के बीच होगा;

(ख) बीच में किए जाने वाले निरीक्षण का दायरा और गहराई प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए किए जाने वाले निरीक्षण के बराबर होगी; और

(ग) संतोषजनक निरीक्षण के बाद प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन, जहाँ विद्यमान समुद्री श्रम प्रमाणपत्र की समाप्ति से तीन मास पहले नवीनीकरण निरीक्षण पूरा हो गया है, वहाँ नया समुद्री श्रम प्रमाणपत्र नवीनीकरण निरीक्षण पूरा होने की तारीख से लेकर विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्ष से अनधिक अवधि तक मान्य होगा:

परंतु जहाँ नवीनीकरण निरीक्षण विद्यमान समुद्री श्रम प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से तीन मास से अधिक की अवधि से पहले पूरा हो जाता है, वहाँ नया समुद्री श्रम प्रमाणपत्र नवीनीकरण निरीक्षण पूरा होने की तारीख से आरंभ होकर पाँच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए मान्य होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन, जहाँ समुद्री श्रम प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले नवीनीकरण निरीक्षण पूरा होने के पश्चात्, पोत अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता पाया जाता है, किंतु उस पोत पर तुरंत नया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता और उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, तो महानिदेशक या इस काम के लिए विधिवत प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संगठन, विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पाँच मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रमाणपत्र की विधि मान्यता बढ़ा सकेगा और तदनुसार, प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित कर सकेगा, जो उपनियम (4) में निर्दिष्ट निरीक्षण की तारीख से पाँच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए मान्य होगा।

(6) समुद्री श्रम प्रमाणपत्र अंतरिम आधार पर प्ररूप-5 में जारी किया जा सकेगा,--

(क) नए पोतों को डिलीवरी के समय; या

(ख) जब कोई पोत अपना ध्वज बदलता है; या

(ग) जब पोत का स्वामी किसी ऐसे पोत के संचालन का उत्तरदायित्व लेता है, जो उस स्वामी के लिए नया है।

(7) अंतरिम समुद्री श्रम प्रमाणपत्र महानिदेशक या किसी मान्यता प्राप्त संगठन या इस प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छह मास से अनधिक की अवधि के लिए जारी किया जा सकेगा, जो निम्नलिखित सत्यापन के अधीन होगा:--

(क) प्ररूप-6 में निर्दिष्ट मामलों के लिए पोत का निरीक्षण उचित और व्यावहारिक सीमा तक किया गया है;

(ख) पोत के स्वामी ने महानिदेशक या किसी मान्यता प्राप्त संगठन या इस प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को यह प्रदर्शित किया है कि पोत में इन नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं हैं;

(ग) मास्टर इन नियमों की अपेक्षाओं और इनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारियों से परिचित है; और

(घ) समुद्रीश्रम अनुपालन की घोषणा तैयार करने के लिए महानिदेशक या किसी मान्यता प्राप्त संगठन या इस प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सुसंगत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

(8) प्ररूप-7 में पूर्ण-अवधि का समुद्रीश्रमप्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले उपनियम (1) के अनुसार पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा और अंतरिम प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि के लिए समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा जारी नहीं की जाएगी।

(9) महानिदेशक या कोई मान्यता प्राप्त संगठन या इस प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति यह प्रमाणित करेगा कि पोत पर नाविकों के काम करने और रहने की स्थितियों का -- जिसमें समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा में सम्मिलित किए जाने वाले निरंतर अनुपालन के उपाय भी सम्मिलित हैं -- निरीक्षण किया गया है और वे अभिसमय को लागू करने के लिए इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(10) समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा को लागू होने के अनुसार प्ररूप-3 और प्ररूप-4 में समुद्री श्रम प्रमाणपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

(11) महानिदेशक या इस प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संगठन प्ररूप-4 के भाग-2 को प्रमाणित करेगा और उपनियम (10) में उल्लिखित समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा जारी करेगा।

(12) संबंधित पोत के संबंध में बाद में की गई सभी जाँचों या अन्य सत्यापन के नतीजों और ऐसी किसी भी जाँच के दौरान पाई गई किसी भी बड़ी कमी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें वह तारीख भी दर्ज होगी जब कमियों को ठीक कर लिया गया था। इस रिकॉर्ड को 'समुद्री श्रम अनुपालन घोषणा' पर लिखा जाएगा या उसके साथ जोड़ा जाएगा, या फिर इसे किसी अन्य तरीके से नाविकों, निरीक्षकों, पतनराज्य के प्राधिकृत अधिकारियों और पोतस्वामियों व नाविकों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(13) इस नियम के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र नीचे दी गई स्थितियों में विधिमान्य नहीं बना रहेगा :--

(क) यदि उपनियम (2) और उपनियम (3) में बताई गई समय-सीमा के भीतर सुसंगत निरीक्षण पूरे नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि प्रमाणपत्र को उपनियम (2) और उपनियम (3) के अनुसार पृष्ठांकन नहीं किया जाता है;

(ग) जब कोई पोत अपना ध्वज बदलता है;

(घ) जब पोत का स्वामीपोत के संचालन की जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है;और

(ङ) जब नियम 16 और नियम 17 में सम्मिलित संरचना या उपस्करों में मूल परिवर्तन किए जाते हैं।

(14) उपनियम (13) के खंड(ग), खंड(घ) या खंड(ङ) में बताई गई स्थितियों में, नया प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब महानिदेशक या नया प्रमाणपत्र जारी करने वाली मान्यता प्राप्त संस्था पूरी तरह से संतुष्ट हो कि पोत इस नियम की अपेक्षाओं का पालन कर रहा है।

(15) महानिदेशक या इस कार्य के लिए प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा समुद्री श्रम प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा, यदि इस बात का साक्ष्य हो कि संबंधित पोत इन नियमों की ज़रूरतों का पालन नहीं कर रहा है और कोई आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(16) उपनियम (15) के अनुसार समुद्री श्रम प्रमाणपत्र वापस लेने पर विचार करते समय, महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संस्था कमियों की गंभीरता या बार-बार होने की स्थिति को ध्यान में रखेगी।

(17) महानिदेशक या मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा, यथास्थिति, निरीक्षण और समुद्री श्रम प्रमाणपत्र जारी करने की फ़ीस महानिदेशक द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी।

(18) पोत पर विद्यमान वैध समुद्री श्रम प्रमाणपत्र और समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा रखी जाएगी और इसकी एक प्रतिपोत पर स्पष्टदृश्य स्थान पर चस्पा की जाएगी, जहाँ यह नाविकों को आसानी से दिख सके, और अनुरोध करने पर इसकी एक प्रति नाविकों, निरीक्षकों, पतन स्टेट्स में प्राधिकृत अधिकारियों, और पोत स्वामियों व नाविकों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

25. निरीक्षण और प्रवर्तन--(1) महानिदेशक, पोतों पर नाविकों के लिए स्थितियों के निरीक्षण की एक प्रणाली बनाए रखेगा, जिसमें समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा में अधिकथित कार्य और निवास की परिस्थितियों से संबंधित सत्यापन भी सम्मिलित है, जिसका पालन किया जा रहा है, और इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।

(2) (क) महानिदेशक, इस नियम के अधीन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा।

(ख) जहां मान्यता प्राप्त संगठनों को निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, महानिदेशक को यह अपेक्षा करनी होगी कि निरीक्षण करने वाले कर्मचारी इन कर्तव्यों को निभाने के लिए योग्य हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक विधिक अधिकार प्रदान करेंगे।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध किया जाएगा कि निरीक्षकों के पास प्रशिक्षण, अर्हता, संदर्भ की शर्तें, शक्तियां, स्थिति और स्वतंत्रता आवश्यक या वांछनीय है, जिससे वे सत्यापन करने और अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकें।

(4) यदि महानिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को कोई शिकायत मिलती है जिसे वह स्पष्ट रूप से निराधार नहीं मानता है या सबूत प्राप्त करता है कि जिस पोत पर ये नियम लागू होते हैं वह इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है या समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा में निर्धारित उपायों के कार्यान्वयन में गंभीर कमियां हैं, तो महानिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मामले की जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पाई गई किसी भी कमी को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाए।

(5) निरीक्षकों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए सेवा की स्थिति और शर्तें होंगी कि वे सरकार के परिवर्तनों और अनुचित बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र हैं।

(6) महानिदेशक निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी को किए जाने वाले कार्यों के बारे में निदेश दे सकेंगे और उन्हें ये अधिकार दे सकेंगे कि वे--

(क) भारतीय ध्वज फहराने वाले पोत पर जा सकें;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का कठोरता से पालन हो रहा है, कोई भी जांच, परीक्षण या पूछताछ कर सकें, जिसे वे आवश्यक समझें; और

(ग) किसी भी कमी को ठीक करने के लिए कह सकें और, यदि उन्हें लगता है कि कमियां इन नियमों की अपेक्षाओं, जिसमें नाविकों के अधिकार भी सम्मिलित हैं, का गंभीर उल्लंघन हैं, या नाविकों की सुरक्षा, सेहत या सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा हैं, तो आवश्यक सुधार होने तक पोत को बंदरगाह छोड़ने से रोक सकें।

(7) उपनियम (6) के खंड(ग)के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई अधिनियम के अधीन अपील के अधिकार के अधीन होगी।

(8) निरीक्षकोंके पास यह तय करने का अधिकार होगा कि वे विधिक कार्रवाई आरंभ करने या उसकी सिफारिश करने के बजाय सलाह दें, किंतु इन नियमों की ज़रूरतों का कोई ऐसा उल्लंघन न हो, जिससे संबंधित नाविकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हो और न ही ऐसे उल्लंघनों का कोई पिछला रिकॉर्ड हो।

(9) निरीक्षक नाविकों के काम करने और रहने की स्थितियों से जुड़े खतरे या कमी या लागू विधियों के उल्लंघन के बारे में किसी भी शिकायत या परेशानी के स्रोत को गोपनीय रखेंगे और पोत के स्वामी, पोत के स्वामी के प्रतिनिधि या पोत के ऑपरेटर को यह नहीं बताएंगे कि ऐसी शिकायत या परेशानी के कारण निरीक्षण किया गया था।

(10) निरीक्षकोंको ऐसे काम नहीं सौंपे जाएंगे जो उनकी संख्या या प्रकृति के कारण प्रभावी निरीक्षण में बाधा डालें या पोतस्वामियों, नाविकों या अन्य संबंधित पक्षों के साथ उनके संबंधों में उनके अधिकार या निष्पक्षता पर किसी भी तरह से असर डालें, और खास तौर पर, वे—

(क) जिस ऑपरेशन का निरीक्षण करने के लिए उन्हें बुलाया गया है, उसमें कोई भी हित रखने से प्रतिषिद्ध कर दिया जाएगा; और

(ख) उचित प्रतिबंधों या अनुशासनात्मक उपायों के अधीन, नौकरी छोड़ने के बाद भी, कोई भी व्यावसायिक रहस्य या गोपनीय कार्य प्रक्रियाएं या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट नहीं करेंगे, जो उन्हें अपनी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान पता चली हों।

(11) निरीक्षक, प्रत्येक जांच की रिपोर्ट महानिदेशक को सौंपेंगे। रिपोर्ट की एक अंग्रेजी प्रतिपोत के मास्टर को दी जाएगी तथा एक और प्रतिपोत के नोटिस बोर्ड पर नाविकों की जानकारी के लिए लगाई जाएगी; साथ ही, अनुरोध करने पर उनके प्रतिनिधियों को भी यह प्रति भेजी जाएगी।

(12) महानिदेशक, उन पोतों पर नाविकों की स्थितियों की जांच का रिकॉर्ड रखेंगे, जिन पर ये नियम लागू होते हैं। वे वर्षसमाप्त होने के छह मास के भीतर जांच क्रियाकलापों पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करेंगे।

(13) किसी बड़ी घटना की जांच के मामले में, रिपोर्टयथासंभव शीघ्र, किंतु जांच पूरी होने के एक मासके अपश्चात्तर्ही, महानिदेशक को सौंपी जाएगी।

(14) जब जांच की जाए या कोई कदम उठाए जाएं, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि पोत को बिना वजह रोका या उसमें देरी न की जाए।

26. पोत पर शिकायत प्रक्रिया--भारतीय ध्वज वाले सभी पोतों को पोत पर शिकायत करने की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाना होगा:--

(क) सामूहिक सौदेबाजी समझौतों में दिए गए किसी भी व्यापक दायरे पर प्रतिमूल प्रभाव डाले बिना, पोत पर विद्यमान प्रक्रियाओं का प्रयोग नाविक उन मामलों के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए कर सकेंगे, जिनके बारे में आरोप है कि वे इन नियमों की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं, जिसमें नाविकों के अधिकार भी सम्मिलित हैं;

(ख) भारतीय ध्वज वाले पोत पर काम करने वाले किसी भी पीड़ित नाविक को यथासंभव शीघ्र पोत पर विद्यमान अपने विभागाध्यक्ष को लिखित शिकायत देनी होगी; विभागाध्यक्ष को संबंधित नाविक को तुरंत और औपचारिक रूप से इसकी पावतीदेनी होगी;

(ग) यदि विभागाध्यक्ष शिकायत मिलने के तीन दिनों के भीतर नाविक की शिकायत का समाधान नाविक की संतुष्टि के अनुसार नहीं कर पाते हैं, तो विभागाध्यक्ष इसे पोत के मास्टर को भेजेंगे; मास्टर

व्यक्तिगत रूप से मामले को देखेंगे और मामला सौंपे जाने के सात दिनों के भीतर समस्या का समाधान करेंगे;

(घ) नाविक को शिकायत प्रक्रिया के दौरान साथ रखने या प्रतिनिधित्व पाने का स्पष्ट अधिकार होगा, साथ ही शिकायत दर्ज करने के कारण नाविकों को परेशान किए जाने की संभावना से सुरक्षा भी मिलेगी।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए, "उत्पीड़न" शब्द में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी नाविक के विरुद्ध की गई कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई सम्मिलित है, जो शिकायत करने वालों, पीड़ितों, साक्षियों और व्हिसलब्लोअर (भंडाफोड़ करने वालों) के संबंध में हो; यह कार्रवाई ऐसी शिकायत दर्ज करने के लिए की गई हो जो स्पष्ट रूप से परेशान करने वाली या दुर्भावनापूर्ण न हो, और उन स्थितियों पर भी उचित ध्यान दिया जाएगा जहां शिकायत स्पष्ट रूप से परेशान करने वाली या दुर्भावनापूर्ण हो;

(ङ) सभी शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई को आधिकारिक लॉगबुक में ठीक से दर्ज किया जाएगा और हर मामले में लिए गए फैसले की एक प्रति संबंधित नाविक को समस्या सुलझाने वाले अधिकारी द्वारा दी जाएगी; साथ ही, सभी शिकायतों और हर शिकायत पर की गई कार्रवाई का उचित दस्तावेजी रिकॉर्ड पोत पर रखा जाएगा और शिकायत मिलने के कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा;

(च) यदि पोत का मास्टर पोत पर ही शिकायत का समाधान नहीं कर पाता है, तो वह इसे कंपनी या लाइसेंस प्राप्त भर्ती और प्लेसमेंट सेवा, या संबंधित पोतस्वामी को भेजेगा, और इस बारे में नाविक को उचित सूचना देगा; और,--

(i) जहां शिकायत पोतस्वामी को भेजी जाती है, वहां पोतस्वामी बिना किसी देरी के और ऐसी सूचना मिलने के अधिकतम एक मास के भीतर मामले का समाधान करेगा;

(ii) नाविक की शिकायतों के समाधान के लिए पोतस्वामी का संपर्क विवरण पोत के मास्टर द्वारा पोत पर उपलब्ध कराया जाएगा;

(iii) शिकायत का समाधान करते समय, पोतस्वामी उस समिति की सहायता लेगा जिसे उसने गठित किया हो, जिसमें नाविकों की यूनियन भी सम्मिलित हों;

(छ) यदि नाविक की शिकायत का समाधान कंपनी या लाइसेंस प्राप्त भर्ती और प्लेसमेंट सेवा या संबंधित पोतस्वामी द्वारा एक मास के भीतर नहीं किया जाता है, जिसमें नाविकों की यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति भी सम्मिलित है, तो नाविक को यह अधिकार होगा कि वह शिकायत की प्रति और उन पर मिले जवाबों, यदि कोई हों, के साथ, तय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से महानिदेशक से संपर्क करे;

(ज) किसी विदेशी बंदरगाह पर रुकने वाले पोत पर विद्यमान नाविक को, यात्रा के दौरान, नियम 29 के अनुसार उस बंदरगाह पर विद्यमान प्राधिकृत अधिकारी के पास अभिसमय की शर्तों, जिसमें नाविकों के अधिकार भी सम्मिलित हैं, के उल्लंघन की अपनी शिकायत अलग से दर्ज कराने का अधिकार होगा;

(झ) ऐसे सभी मामलों में, नाविकों को अपनी शिकायतें सीधे मास्टर, कंपनी, लाइसेंस प्राप्त भर्ती और प्लेसमेंट सेवा, पोत के स्वामी या किसी अन्य ऐसे अधिकारी के पास दर्ज कराने का अधिकार होगा जिसे वे इस काम के लिए उचित समझें;

(ञ) नाविकों के रोजगार समझौते की एक प्रति के अतिरिक्त, सभी नाविकों को पोत पर लागू शिकायत प्रक्रियाओं की एक प्रति भी दी जाएगी। इसमें महानिदेशक या नाविक के निवास वाले देश की संपर्क जानकारी और पोत पर विद्यमान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम सम्मिलित होंगे, जो गोपनीयता बनाए रखते हुए,

नाविकों को उनकी शिकायत पर निष्पक्ष सलाह दे सकें, और पोत पर उपलब्ध शिकायत प्रक्रियाओं का पालन करने में उनकी मदद कर सकें;

(ट) नाविक की कोई भी शिकायत, ऐसी घटना की तारीख से तीन वर्ष के भीतर दर्ज करायी जाएगी।

27. समुद्री दुर्घटनाएं--(1) समुद्री दुर्घटनाओं की जांच और पूछताछ अधिनियम के भाग 11 के अनुसार की जाएगी।
(2) अधिनियम की धारा 231 की उपधारा (3) के अधीन प्रारंभिक जांच या समुद्री दुर्घटना का प्रारंभिक आकलन करते समय और धारा 231 की उपधारा (6) के अधीन समुद्री सुरक्षा जांच करते समय, निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा: -

(क) समुद्री दुर्घटना या समुद्री घटना की सुरक्षा जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुशंसित प्रक्रियाओं का कोड;

(ख) समुद्री दुर्घटना की स्थिति में नाविकों के साथ उचित व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सिफारिशें; और

(ग) कथित अपराधों के सिलसिले में हिरासत में लिए गए नाविकों के साथ उचित व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सिफारिशें।

(3) महानिदेशक, जहां तक संभव हो, ऊपर बताई गई सिफारिशों को लागू करने में सहायता के लिए संबंधित देशों के साथ सहयोग करेंगे।

28. पतनराज्य निरीक्षण--(1) महानिदेशक, अभिसमय के अधीन अपनी पतनराज्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक पोतों के निरीक्षण की एक प्रणाली और पतनराज्य निरीक्षण की प्रक्रिया तय करेंगे।

(2) जब कोई प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पोत पर आता है और—जहां लागू हो—समुद्री श्रम प्रमाणपत्र और समुद्री श्रम अनुपालन का घोषणा-पत्र मांगता है, और उसे पता चलता है कि—

(क) अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या रखे नहीं गए हैं या गलत तरीके से रखे गए हैं या पेश किए गए दस्तावेजों में इन नियमों के अधीन आवश्यक जानकारी नहीं है या वे किसी अन्य कारण से अमान्य हैं; या

(ख) यह मानने के स्पष्ट आधार हैं कि पोत पर काम करने और रहने की स्थितियां इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं; या

(ग) यह मानने के उचित आधार हैं कि पोत ने इन नियमों का पालन करने से बचने के लिए अपना ध्वजबदल लिया है; या

(घ) ऐसी शिकायत है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पोत पर काम करने और रहने की विशिष्ट स्थितियां इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं,

तो अधिक विस्तृत निरीक्षण किया जा सकेगा, यदि काम करने और रहने की जिन स्थितियों को दोषपूर्ण माना या बताया जा रहा है, वे नाविकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या संरक्षा के लिए स्पष्ट खतरा पैदा कर सकती हैं या यदि यह मानने के आधार हैं कि कोई भी कमी इन नियमों की अपेक्षाओं का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें नाविकों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।

(3) जब उपनियम (2) के खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में बताई गई परिस्थितियों में भारत के किसी बंदरगाह या स्थान पर प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी विदेशी पोत का प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिक विस्तृत निरीक्षण किया जाता है, तो उसे समुद्री श्रम अनुपालन के घोषणा-पत्र में बताई गई अपेक्षाओं का पालन करना होगा:

परंतु खंड (घ) में बताई गई परिस्थितियों में, निरीक्षण शिकायत के दायरे में आने वाले मामलों तक ही सीमित रहेगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन विस्तृत निरीक्षण के पश्चात्, यदि पोत पर काम करने और रहने की स्थितियाँ इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी तुरंत पोत के मास्टर का ध्यान कमियों की ओर आकर्षित करेगा, जिससे एक निश्चित समय के भीतर कमियों को ठीक किया जा सके और यदि ऐसी कमियाँ महत्वपूर्ण हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी नाविकों की उपयुक्त यूनियन और पोतस्वामियों के संघ का ध्यान कमियों की ओर आकर्षित करेगा, और—

(क) ध्वजराज्य के प्रतिनिधि को सूचित कर सकेगा; और

(ख) अगले पत्तन के सक्षम अधिकारियों को सुसंगत जानकारी दें।

(5) प्राधिकृत अधिकारी को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति, जिसके साथ तय समय के भीतर ध्वज राज्य के सक्षम अधिकारियों से मिला कोई भी जवाब भी सम्मिलित होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक को भेजने का अधिकार होगा। इसका मकसद ऐसी कार्रवाई करना होगा, जिसे उचित और आवश्यक समझा जाए, जिससे ऐसी जानकारी का रिकॉर्ड रखा जा सके और इसे उन पक्षों के ध्यान में लाया जा सके, जो सुसंगत कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने में रुचि रखते हों।

(6) जहाँ किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिक विस्तृत निरीक्षण के पश्चात् यह पाया जाता है कि पोत इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है और—

(क) पोत पर विद्यमान स्थितियाँ नाविकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या संरक्षा के लिए स्पष्टतया खतरनाक हैं; या

(ख) कमी इन नियमों की अपेक्षाओं, जिसमें नाविकों के अधिकार भी सम्मिलित हैं, का गंभीर या बार-बार उल्लंघन है, तो प्राधिकृत अधिकारी,—

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि पोत तब तक समुद्र में न जाए, जब तक कमियों को ठीक न कर लिया जाए, या जब तक प्राधिकृत अधिकारी कमियों को ठीक करने की कार्य-योजना को स्वीकार न कर ले और इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि योजना को तेज़ी से लागू किया जाएगा;

(ii) यदि पोत को रवाना होने से रोका जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी तुरंत ध्वज राज्य को इसकी सूचना देगा और ध्वज राज्य के प्रतिनिधि को विद्यमान रहने के लिए आमंत्रित करेगा, यदि संभव हो, साथ ही ध्वज राज्य से तय समय के भीतर जवाब देने का अनुरोध करेगा;

(iii) पोतस्वामियों के संबंधित संगठन और नाविकों की यूनियन को तुरंत सूचित करेगा।

(7) प्राधिकृत अधिकारी किसी पोत को अनुचित रूप से अभिरक्षा में लेने या देरी करने से बचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और अधिनियम की धारा 308 की उप-धारा (2) के अधीन पोत की अभिरक्षा के लिए प्रतिकर या क्षति के किसी भी दावे के मामले में सबूत का भार शिकायतकर्ता पर होगा।

29. तटवर्ती नाविक शिकायत-निपटान प्रक्रियाएँ - (1) भारत में किसी बंदरगाह या स्थान पर आने वाले पोतों पर एक नाविक द्वारा एक शिकायत, जिसमें इन नियमों की अपेक्षाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसमें नाविकों के अधिकार भी शामिल हैं, महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट एक अधिकृत अधिकारी को सूचित किया जा सकता है, और ऐसे मामलों में, अधिकृत अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा।

(2) जहां उचित हो, शिकायत की प्रकृति को देखते हुए, प्रारंभिक जांच में इस बात पर विचार करना शामिल होगा कि क्या नियम 26 के अधीन प्रदान की गई ऑन-बोर्ड शिकायत प्रक्रियाओं का पता लगाया गया है, और अधिकृत अधिकारी नियम 28 के अनुसार अधिक विस्तृत निरीक्षण भी कर सकता है।

(3) अधिकृत अधिकारी, जहां उचित हो, पोत-बोर्ड स्तर पर शिकायत के समाधान को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

(4) जहां उप-नियम (3) के अधीन शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, वहां अधिकृत अधिकारी तत्काल संबंधित महानिदेशक या ध्वज राज्य को सूचित करेगा, यथास्थिति, एक निर्दिष्ट समय के भीतर सलाह और कार्रवाई की सुधारात्मक योजना मांगते हुए।

(5) जहां उप-नियम (4) के अनुसार की गई कार्रवाई के बाद शिकायत का समाधान नहीं किया गया है, महानिदेशक,

(क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक को अधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति, साथ ही ध्वज राज्य के सक्षम प्राधिकारी से निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त कोई भी उत्तर प्रसारित करें;

(ख) भारत में पोत स्वामियों के उपयुक्त संघ और नाविकों के संघ को सूचित करें;

(ग) शिकायतों के संबंध में आंकड़े और जानकारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक को प्रस्तुत करें।

(6) नाविकों द्वारा की गई शिकायतों की गोपनीयता की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

(7) किसी नाविक की कोई भी शिकायत ऐसी घटना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर लाई जाएगी।

30. श्रम-आपूर्ति की उत्तरदायित्व - महानिदेशक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट नाविकों की भर्ती और नियुक्ति का उत्तरदायित्व और सामाजिक सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

31. वादपत्र आदि में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण (1) यदि किसी व्यक्ति के पास किसी न्यायालय में कोई वादपत्र, आवेदन या अपील प्रस्तुत करने का कारण है कि कोई प्रतिकूल पक्ष एक सेवारत नाविक है, तो वह वादपत्र, आवेदन या अपील में तदनुसार एक बयान देगा।

(2) यदि किसी कलेक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई नाविक जो साधारणतया उसके जिले में रहता है या उसका संपत्ति है और जो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में एक पक्ष है, उसमें उपस्थित होने में असमर्थ है या एक सेवारत नाविक है, तो कलेक्टर न्यायालय को तथ्यों को प्रमाणित कर सकता है।

32. अप्रतिनिधित्व वाले नाविक के मामले में नोटिस दिया जाना है — (1) यदि किसी कलेक्टर ने नियम 31 के उप-नियम (2) के अधीन प्रमाणित किया है, या यदि किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई नाविक जो न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में एक पक्ष है, उसमें उपस्थित होने में असमर्थ है या एक सेवारत नाविक है, तो न्यायालय कार्यवाही को निलंबित कर देगा और इसकी सूचना नाविक पल को देगा:

परंतु न्यायालय कार्यवाही को निलंबित करने और नोटिस देने से परहेज कर सकता है -

(क) यदि कार्यवाही अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से पूर्व-खरीद के अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से स्थापित या बनाई गई है; या

(ख) यदि कार्यवाही में नाविक के हित, न्यायालय की राय में, या तो किसी अन्य पक्ष के हित के समान हैं और ऐसे अन्य पक्ष द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है, या केवल औपचारिक प्रकृति के हैं।

(2) यदि न्यायालय को, जिसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नाविक, यद्यपि कार्यवाही का पक्षकार नहीं है, कार्यवाही के परिणाम में भौतिक रूप से चिंतित है और उसकी अनुपस्थिति से उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो न्यायालय कार्यवाही को निलंबित कर सकता है और उसके बारे में नाविक पल को नोटिस देगा।

(3) यदि उप-नियम (1) या (2) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर, नाविक पल न्यायालय को प्रमाणित करता है कि नाविक एक सेवारत नाविक है, तो न्यायालय उस अवधि के लिए नाविक के संबंध में कार्यवाही स्थगित कर देगा जो वह उचित समझता है:

परंतु यदि नाविक की निरंतर अनुपस्थिति के कारण नाविक के संबंध में कार्यवाही के किसी भी आगे स्थगन का प्रश्न उठता है, तो न्यायालय कार्यवाही के उद्देश्यों पर विचार करते हुए इस अधिनियम के उन उपबंधों के प्रयोजनों पर ध्यान देगा जो वादकारी के संबंध में नाविकों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं।

(4) यदि नाविक पल या तो प्रमाणित करता है कि नाविक फिलहाल सेवारत नाविक नहीं है या धारा (क) या (ख) के अधीन नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर यह प्रमाणित करने में विफल रहता है कि नाविक सेवारत नाविक है, तो न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो कार्यवाही जारी रख सकता है।

33. सेवारत नाविक के विरुद्ध पारित डिक्री और आदेश को रद्द करने की शक्ति— (1) जहां किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में, किसी नाविक के विरुद्ध डिक्री या आदेश पारित किया गया है, जबकि वह सेवारत नाविक था, उस नाविक को, या यदि उसकी मृत्यु सेवारत नाविक रहते हुए हो गई है, उसके विधिक प्रतिनिधि, डिक्री या आदेश को रद्द करने के लिए उक्त न्यायालय में आवेदन कर सकता है, और यदि न्यायालय, विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, संतुष्ट हो जाता है कि न्याय के हित यह हैं कि डिक्री या आदेश को नाविक के विरुद्ध रद्द कर दिया जाए, तो न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो वह लगाना उचित समझे, तदनुसार आदेश देगा, और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही में किसी विपक्षी पक्ष ने नियम 31 के उप-नियम (1) के उपबंधों का पालन नहीं किया है, तो न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह लगाना उचित समझे, ऐसे विपक्षी पक्ष के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का निर्णय देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के लिए परिसीमन अवधि उस तारीख से साठ दिन होगी जिस तारीख को डिक्री या आदेश पारित होने के बाद नाविक पहली बार सेवारत नाविक नहीं रहता है, या जहां समन या नोटिस उस कार्यवाही में नाविक को विधिवत नहीं दिया गया था जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया था, उस तारीख से जब आवेदक को डिक्री या आदेश का ज्ञान था, जो भी बाद में हो; और भारतीय परिसीमन अधिनियम, 1908 (1908 का 9) की धारा 5 के उपबंध ऐसे आवेदनों पर लागू होंगे।

(3) जहां उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किए गए डिक्री या आदेश की प्रकृति ऐसी है कि इसे केवल नाविक के विरुद्ध नहीं रखा जा सकता है, इसे उन सभी या किसी भी पक्ष के विरुद्ध रखा जा सकता है जिनके विरुद्ध इसे बनाया गया था।

(4) जहां कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी डिक्री या आदेश को रद्द करता है, वहां वह उस वाद, अपील या आवेदन के संबंध में, यथास्थिति, जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया था, कार्यवाही के लिए एक दिन नियुक्त करेगा।

34. नाविक के पक्षकार होने पर परिसीमन विधि में संशोधन— पूर्वोक्त उपबंधों में या परिसीमन अधिनियम, 1963 (1963 का 36), या किसी अन्य विधि में, जो समय-समय पर लागू हो, किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए, जो किसी न्यायालय में नाविक के पक्षकार है, उस अवधि या अवधियों को, जिसके दौरान नाविक एक सेवारत नाविक रहा है, और यदि नाविक की मृत्यु उस समय हुई है जब वह एक सेवारत नाविक था, तो उसकी मृत्यु की तारीख से उस तारीख तक की अवधि, जिस तारीख को उसके निकटतम संबंधी को नाविक पल द्वारा या अन्यथा, उसकी मृत्यु की सूचना दी गई थी, को बाहर रखा जाएगा:

परंतु यह नियम पूर्व क्रय-अधिकार के अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से शुरू किए गए या किए गए किसी भी वाद, अपील या आवेदन के मामले में लागू नहीं होगा, सिवाय ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी परिस्थितियों में जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट कर सकती है।

35. नौकायन मास्टर्स के संदेह के मामलों में निर्देश — यदि किसी न्यायालय को इस बात में संदेह है कि उप-नियम 32 या उप-नियम 33 के प्रयोजनों के लिए, कोई नाविक किसी विशेष समय पर या किसी विशेष अवधि के दौरान एक सेवारत नाविक है या था, तो वह प्रश्न को नाविक पल को निर्देश कर सकता है और नाविक पल का प्रमाण पत्र प्रश्न पर निर्णायक साक्ष्य होगा।

36. समुद्री यात्रियों के संसंप्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए शुल्क — (1) प्रत्येक नाविक की नियुक्ति के संबंध में, नाविकों के संसंप्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए पचास रुपये या ऐसी अन्य दर पर, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सके, नाविकों के संसंप्रत्यावर्तन के प्रयोजन के लिए शुल्क लगाया और एकत्र किया जाएगा।

(2) सभी भारतीय पोतों के संबंध में, उप-नियम (1) में उल्लिखित शुल्क पोत के स्वामी द्वारा देय होगा, जहां नाविक पोत के स्वामी द्वारा उनके स्वामित्व वाले पोत के लिए नियुक्त किया गया है।

(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित शुल्क महानिदेशक द्वारा पुनरीक्षण के अधीन होंगे।

(4) उप-नियम (3) में उल्लिखित पुनरीक्षण हर तीन वर्ष में एक बार किया जा सकता है:

परंतु इस प्रकार पुनरीक्षित राशि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट योगदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) शुल्क सरकारी खाते में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(6) उप-नियम (1) के अधीन एकत्र किए गए शुल्क से नाविकों के संप्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए किए गए किसी भी खर्च को अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (4), धारा 91 और धारा 92 के अनुसार संबंधित पोत स्वामी से केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा:

परंतु इस प्रकार वसूल की जाने वाली राशि की वसूली के लिए अधिनियम के अधीन वसूली के लिए कार्यवाही शुरू होने की तारीख पर उप-नियम (1) के अधीन ऐसे पोत स्वामी द्वारा पहले से भुगतान किए गए नाविकों के संप्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए शुल्क की कटौती के बाद प्राप्त की जाएगी।

(7) उप-नियम (1) के अधीन एकत्र किए गए नाविकों के संप्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए शुल्क की राशि और उप-नियम (6) के अधीन वसूल किए गए खर्च भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे।

(8) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (7) में निर्दिष्ट शुल्क और व्यय के संग्रह की लागत का वार्षिक अवधारण करेगी, और ऐसे व्यय की कटौती के बाद, सकल संग्रह से शुद्ध आय नाविक कल्याण निधि सोसायटी को भेजी जाएगी।

(9) उप-नियम (1) के अधीन लगाए गए नाविकों के संप्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए शुल्क और उप-नियम (6) के अधीन वसूल किए गए खर्च और नाविक कल्याण निधि सोसायटी को प्रेषित किए गए खर्चों का उपयोग, महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, परित्यक्त नाविकों के संप्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के उद्देश्य से किया जाएगा।

(10) नाविक कल्याण निधि सोसायटी इस नियम के अधीन प्राप्त सभी रसीदों का अपने बहीखातों में हिसाब रखेगी और प्राप्त राशि के लिए अलग रिकॉर्ड रखेगी।

37. पीछे छूटे हुए, मृत या समुद्र में खोए हुए नाविकों की मजदूरी और अन्य संपत्ति — (1) यदि कोई नाविक समुद्र में खो जाता है, मृत या पीछे छोड़ दिया जाता है, तो मास्टर नाविक के सामान की एक सूची तैयार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिगत प्रभाव अगले रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को सौंप दिए गए हैं, जैसा कि नाविक द्वारा जुड़ाव के समय घोषित किया गया था, और नाविक पल को सूचित किया जाएगा।

(2) भारत में सामान के आगमन की तारीख से चार दिनों के भीतर और किसी भी मामले में, घटना की तारीख से तीन महीने से अधिक नहीं होने पर, माल के स्वामी द्वारा डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी।

38. नाविकों के कल्याण के लिए अप्रयुक्त राशि के उपयोग की रीति — जहां अधिनियम की धारा 82 में विनिर्दिष्ट कोई राशि छह वर्ष से कम अवधि के लिए नाविक पल के पास बिना दावा किए रहती है, ऐसी राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी, जिसे नाविकों के कल्याण के लिए नाविक कल्याण निधि सोसायटी को प्रेषित किया जाएगा।

प्ररूप-1

[नियम 12 (15) देखें]

वित्तीय सुरक्षा का साक्ष्य

नियम 12 के उप-नियम (15) के अधीन अपेक्षित वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी, अर्थात्:

- (क) पोत का नाम;
- (ख) पोत के रजिस्ट्री का बंदरगाह;
- (ग) पोत का कॉल साइन;
- (घ) पोत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या;
- (ङ) वित्तीय सुरक्षा के प्रदाता या प्रदाताओं का नाम और पता;
- (च) राहत के लिए नाविक के अनुरोधों को सौंपने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या इकाई के संपर्क विवरण;
- (छ) पोत के स्वामी का नाम;
- (ज) वित्तीय सुरक्षा की वैधता की अवधि; और
- (झ) वित्तीय सुरक्षा प्रदाता से एक सत्यापन कि वित्तीय सुरक्षा नियम 12 की अपेक्षा को पूरा करती है।

प्ररूप-2

[नियम 19 (15) देखें]

वित्तीय सुरक्षा का साक्ष्य

नियम 19 के उप-नियम (15) के अधीन अपेक्षित वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी, अर्थात्:

- (a) पोत का नाम;
- (b) पोत के रजिस्ट्री का बंदरगाह;
- (c) पोत का कॉल साइन;
- (d) पोत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या;
- (e) वित्तीय सुरक्षा के प्रदाता या प्रदाताओं का नाम और पता;
- (f) नाविक के संविदात्मक दावों को संभालने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या इकाई के संपर्क विवरण;
- (g) पोत के स्वामी का नाम;
- (h) वित्तीय सुरक्षा की वैधता की अवधि; और
- (i) वित्तीय सुरक्षा प्रदाता से एक सत्यापन कि वित्तीय

प्ररूप-3

[नियम 24 (10) देखें]

समुद्री श्रम अभिसमय, 2006

समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा - भाग-1

(टिप्पण: यह घोषणा संलग्न होनी चाहिए।)

पोत के समुद्री श्रम प्रमाण पत्र के लिए)

समुद्री श्रम सम्मेलन, 2006 के उपबंधों के संबंध में भारत सरकार के समुद्री प्रशासन महानिदेशक के अधिकार के अधीन जारी किया गया निम्नलिखित संदर्भित पोत: -

पोत का नाम	आईएमओ नंबर	सकल टन भार

इन नियमों के अभिसमय (नियम 24) के मानक क5.1.3 के अनुसार बनाए रखा जाता है।

अधोहस्ताक्षरी, उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी की ओर से, यह घोषणा करता है कि:-

(क) समुद्री श्रम सम्मेलन का उपबंध नीचे उल्लिखित अपेक्षाओं में पूरी तरह से शामिल है:

(ख) ये राष्ट्रीय अपेक्षाएं नीचे उल्लिखित उपबंधों में निहित हैं; जहां आवश्यक हो, उन उपबंधों की सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है;

(ग) अनुच्छेद 6, पैरा 3 और 4 के अधीन किसी भी पर्याप्त समकक्षता का विवरण अभिसमय नीचे दिए गए अनुभाग में नीचे सूचीबद्ध संबंधित अपेक्षा के अधीन प्रदान किया गया है (जो कथन लागू नहीं है उसे काट दें);

(घ) सम्मेलन के शीर्षक 3 (नियम 16 और 17) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई किसी भी छूट को नीचे दिए गए खंड में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए; और

(ङ) राष्ट्रीय विधि के अधीन किसी भी पोत-प्रकार की विशिष्ट अपेक्षाओं को भी संबंधित अपेक्षा के अधीन निर्दिष्ट किया जाता है।

1. न्यूनतम आयु (नियम 4)
2. चिकित्सा प्रमाण पत्र (नियम 5)
3. नाविकों की अहर्ता (नियम 6)
4. नाविकों की नियोजन सेवा(नियम 8)
5. किसी भी अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और प्लेसमेंट सेवा का उपयोग (नियम 7)
6. काम या आराम के घंटे (नियम 10)।
7. पोत के लिए मैनिंग स्तर (नियम 14)
8. आवास (नियम 16)।
9. ऑनबोर्ड मनोरंजन सुविधाएं (नियम 16)
10. भोजन और खानपान (नियम 17)
11. स्वास्थ्य और सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम (नियम 20)।
12. ऑनबोर्ड चिकित्सा देखभाल (नियम 18)
13. ऑनबोर्ड शिकायत प्रक्रिया (नियम 26)।
14. मजदूरी का भुगतान (नियम 9)
15. संप्रत्यावर्तन के लिए वित्तीय सुरक्षा (नियम 12):
16. पोत मालिकों की देयता से संबंधित वित्तीय सुरक्षा (नियम 19):

नाम:।

शीर्षक:

हस्ताक्षर:

स्थान:

तारीख:

(प्राधिकरण की मुहर या छाप)

पर्याप्त समतुल्यताएँ

(टिप्पण: जो कथन लागू नहीं है उसे काट दें)

निम्नलिखित पर्याप्त समतुल्यताएं, जैसा कि अभिसमय के अनुच्छेद 6, पैरा 3 और 4 के अधीन प्रदान किया गया है, सिवाय जहां ऊपर कहा गया है, नोट किया गया है (यदि लागू हो तो विवरण डालें):.....

.....

कोई समकक्षता नहीं दी गई है।

नाम:।। -.

शीर्षक:

हस्ताक्षर:।

स्थान:

तारीख:

(प्राधिकरण की मुहर या सील)

छूट

(टिप्पण: जो कथन लागू नहीं है उसे काट दें)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई निम्नलिखित छूटें नोट की गई हैं:

.....

कोई छूट नहीं दी गई है।

नाम:

शीर्षक:

हस्ताक्षर:।

स्थान:

तारीख:

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

प्ररूप-4

[नियम 24(10) और (11) देखें]

समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा - भाग-2

निरीक्षणों के बीच निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपाय
निरीक्षणों के बीच निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुद्री श्रम प्रमाण पत्र में नामित पोत स्वामी द्वारा
निम्नलिखित उपाय तैयार किए गए हैं, जिससे यह घोषणा संलग्न है:
(भाग 1 में उल्लिखित प्रत्येक मद के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए उपायों के बारे में नीचे
बताएं)

1. न्यूनतम आयु (नियम 4)
.....
2. चिकित्सा प्रमाण पत्र (नियम 5)
.....
3. नाविकों की अहर्ता (नियम 6)
.....
4. नाविकों की नियोजन सेवा(नियम 8)
.....
5. किसी भी अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और प्लेसमेंट सेवा का उपयोग(नियम 7)
.....
6. काम या आराम के घंटे (नियम 10)
.....
7. पोत के लिए मैनिंग स्तर (नियम 14)
.....
8. आवास (नियम 16)
.....
9. ऑनबोर्ड मनोरंजन सुविधाएं (नियम 16)
.....
10. भोजन और खानपान (नियम 17)
.....
11. स्वास्थ्य और सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम (नियम 20)
.....
12. ऑनबोर्ड चिकित्सा देखभाल (नियम 18)
.....
13. ऑनबोर्ड शिकायत प्रक्रिया (नियम 26)
.....
14. मजदूरी का भुगतान (नियम 9)
.....
15. संप्रत्यावर्तन के लिए वित्तीय सुरक्षा (नियम 12)
.....
16. पोत स्वामियों की देयता से संबंधित वित्तीय सुरक्षा (नियम 19)
.....

में प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उपाय निरीक्षणों के बीच निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें भाग में सूचीबद्ध अपेक्षा है।

पोत के स्वामी का नाम:

कम्पनी का पता:

शीर्षक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर.....

तारीख:

(पोत के स्वामी की स्टांप या मुहर)

उपरोक्त उपायों की पुनर्विलोकन(सक्षम प्राधिकारी या सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संगठन का नाम के अन्तःस्थापन) द्वारा की गई है और पोत के निरीक्षण के बाद, इस घोषणा के भाग 1 में निर्धारित अपेक्षाओं के साथ प्रारंभिक और निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के उपायों के संबंध में अभिसमय[नियम 24(10)] के मानक ए5.1.3, पैराग्राफ 10(ख) के अधीन निर्धारित प्रयोजन को पूरा करने के रूप में अवधारितकिए गए हैं।

नाम:

शीर्षक:

पता :

.....

हस्ताक्षर:

स्थान:

तारीख:

(यथासमुचित, प्राधिकारी की मुहर या स्टांप)

प्ररूप-5

[नियम 24(6) देखें]

अंतरिम समुद्री श्रम प्रमाणपत्र

(जारी करने वाली प्राधिकारी का पूरा पदनाम)

द्वारा

(प्राधिकारी या सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संगठनों का पूरापदनाम और पता)

पोतकी विशिष्टियां

पोत का नाम.....

विशिष्ट संख्या या अक्षर.....

रजिस्ट्री का पत्तन.....

रजिस्ट्री की तारीख.....

सकल टनभार.....

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या

पोत का प्रकार.....

पोत के स्वामी का नाम और पता.....

.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभिसमय के मानक ए5.1.3, पैराग्राफ 7 (नियम 24(7)) के प्रयोजन के लिए:

(क) इस पोत का निरीक्षण, जहां तक युक्तियुक्तक और व्यावहारिक हो, अभिसमय के परिशिष्ट ए5-आई (इन नियमों के लिए प्ररूप-4) में सूचीबद्ध मामलों के लिए, जिसमें नीचे (ख), (ग) और (घ) के अधीन मदों के सत्यापन को ध्यान में रखते हुए किया गया है;

(ख) पोत के स्वामी ने सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन को दिखा दिया है कि पोत के पास इन नियमों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं हैं ।

(ग) स्वामी इन नियमों की अपेक्षाओं और उनके कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदारियों से परिचित है; और

(घ) समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणातैयार करने के लिए सुसंगत जानकारी सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन को दे दी गई है।

यह प्रमाणपत्र, अभिसमय के मानक ए5.1.3 (नियम 24) और ए5.1.4 (नियम 25) के अनुसार निरीक्षण के अधीन रहते हुए..... तक वैध है। ऊपर (क) के अधीन बताए गए निरीक्षणके पूर्ण होने की तारीख..... थी

.....को.....में जारी किया गया

अंतरिम प्रमाणपत्र जारी करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृतपदधारी के हस्ताक्षर

.....

(यथासमुचित, जारी करने वाले प्राधिकारीकीमुहरयास्टाम्प)

प्ररूप-6

[नियम 24(7)(क)देखें]

नाविकों के कार्य करने और जीवनयापन करने की परिस्थितियां, जिन्हें यह प्रमाणित करने से पूर्व कि पोतमानकए5.1.3, पैराग्राफ 1 के अनुसार है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण और अनुमोदन किया जाएगा, निम्नानुसार हैं:-

1. न्यूनतम आयु:
2. चिकित्सा प्रमाणीकरण:
3. नाविकों की अर्हता:
4. नाविकों के नियोजन करार:
5. किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और स्थाननसेवा का उपयोग:
6. कार्य या आराम के घंटे:
7. पोत के लिए काम में लगाने के स्तर:
8. आवास:
9. फलक पर मनोरंजन की सुविधाएँ:
10. भोजन और खानपान:
11. स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा दुर्घटना का निवारण:
12. फलकपरचिकित्सीय देखरेख:
13. फलकपरअनुपालन प्रक्रियाएं:
14. मजदूरी का संदाय:
15. संप्रत्यावर्तन के लिए वित्तीय प्रतिभूति:
16. पोतस्वामियों केदायित्व से संबंधित वित्तीय सुरक्षा:

प्ररूप-7

[नियम 24(9)देखें]

समुद्री श्रम प्रमाणपत्र

(टिप्पण: इस प्रमाणपत्रके साथसमुद्री श्रम अनुपालन की कोई घोषणा संलग्नहोगी)

.....
(जारी करने वाली प्राधिकारी का पूरा पदनाम)

द्वारा

(नियमों के उपबंधों के अधीनसम्यकरूपसेप्राधिकृत प्राधिकारीयामान्यताप्राप्तसंगठनोंकापूरापदनामऔरपता)

पोतकीविशिष्टियां

पोत का नाम.....

विशिष्ट संख्या या अक्षर

रजिस्ट्री का पतन.....

रजिस्ट्री की तारीख.....

सकल टनभार*.....

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या

पोत का प्रकार.....

पोतस्वामी का नाम और पता.....

.....

* आईएमओद्वारा अंगीकृतटनभार माप अंतरिम स्कीम के अधीन आने वाले पोतोंके लिए, सकल टनभार वह है जो अंतर्राष्ट्रीयटनभारप्रमाणपत्र(1969) के टिप्पणियांस्तंभ में सम्मिलित है। अभिसमय केअनुच्छेद11(1)(ग) देखें।

यह प्रमाणित किया जाता है:

1. कि इस पोत काअभिसमय और समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा से संलग्न के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुपालन में होने के लिए निरीक्षण और सत्यापन किया गया है।

2. अभिसमय (प्ररूप 6) कीपरिशिष्टए5-1में विनिर्दिष्ट नाविकों के कार्य करने और जीवनयापन करने की परिस्थितियों कोअभिसमय के कार्यान्वयन के लिए ऊपर उल्लिखित देश की राष्ट्रीय अपेक्षा के सुसंगत पाया गया। इन राष्ट्रीयअपेक्षाओं कोसमुद्रीश्रमअनुपालन, भाग-1 में संक्षेप में बताया गया है।

यह प्रमाणपत्र,अभिसमय के मानकए5.1.3 (नियम24) औरए5.1.4 (नियम25) के अनुसार निरीक्षण के अधीन रहते हुए..... तक वैध है।

यह प्रमाणपत्र केवल तभी वैध है जब.....को पर जारी की गयी समुद्री श्रम अनुपालन घोषणा संलग्न हो ।

निरीक्षण जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित था,के पूर्ण होने की तारीखथी

..... को.....मेंजारी किया गया

प्रमाणपत्र जारी करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृतपदधारी के हस्ताक्षर

(यथासमुचित, जारी करने वाले प्राधिकारीकीमुहरयास्टाम्प)

आज्ञापक अंतरवर्तीनिरीक्षण और यदि अपेक्षित हो, तो किसीअतिरिक्त निरीक्षण के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणितकिया जाता है कि पोतका निरीक्षणअभिसमय के मानकए5.1.3 (नियम 24) और मानकए5.1.4 (नियम 25) के नियमों के अनुसार किया गया था और अभिसमय(प्ररूप 7) के परिशिष्टए5-1 में विनिर्दिष्टनाविकोंकेकार्यकरनेऔरजीवनयापनकरनेकीपरिस्थितियांउपेक्षा के अनुरूप पायीं गईं:

हस्ताक्षर.....

(दूसरीऔर तीसरी सालगिरह की तारीखोंके बीच

पूरा किया जाने वाला अंतर्वर्तीनिरीक्षण)

(प्राधिकृतपदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख

(यथासमुचित, प्राधिकारी की मुहर या स्टाम्प)

अतिरिक्त पृष्ठांकन(यदि आवश्यक हो)

यह प्रमाणित किया जाता है कि पोत का अतिरिक्तनिरीक्षणइस प्रयोजन से किया गया था कि जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि पोतअभिसमय को लागू करने वाली अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है या नहीं, अभिसमय के मानकए3.1,पैराग्राफ 3 (पुनः रजिस्ट्रीकरण या आवास का सारवान परिवर्तन) या अन्य कारणों द्वारा यथा अपेक्षित।

अतिरिक्त निरीक्षण:

(यदि अपेक्षित हो)

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख

(यथासमुचित, प्राधिकारी की मुहर या स्टाम्प)

अतिरिक्त निरीक्षण:

(यदि अपेक्षितहो)

हस्ताक्षर

(प्राधिकृतपदधारीके हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

(यथासमुचित, प्राधिकारी की मुहर या स्टाम्प)

अतिरिक्त निरीक्षण:

(यदि अपेक्षितहो)

हस्ताक्षर

(प्राधिकृतपदधारीके हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

(यथासमुचित, प्राधिकारी की मुहर या स्टाम्प)

नवीनीकरण हेतु निरीक्षण के पश्चात् विस्तार(अगर अपेक्षित हो)

यह प्रमाणित किया जाता है कि नवीकरण हेतु निरीक्षण के पश्चात्, पोत को राष्ट्रीय विधियों और विनियमों या अभिसमय की अपेक्षाओं को लागू करने वाले अन्य उपायों के अनुपालन में पाया गया था, और यह कि वर्तमान प्रमाणपत्र को मानक ए5.1.3 (नियम 24(5)) के पैरा4के अनुसार,

(विद्यमानप्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख के पांच मास से अनधिक तक विस्तारित किया जाता है।) जिससे कि नया प्रमाणपत्र जारी किये जाने और पोत पर उपलब्ध कराये जाने को अनुज्ञात किया जा सके।

नवीनीकरण निरीक्षणके पूरे होने की तारीख, जिस पर यह विस्तार आधारित है, थी:

.....

हस्ताक्षर:

.....

प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

.....

स्थान:

.....

.

तारीख:

.....

..

(यथासमुचित, प्राधिकारी की मुहर या स्टाम्प)

प्ररूप-8

[नियम 8(6) देखें]

नाविक नियोजन करार

यह करारमास्टर/पोत स्वामी(स्वामियों)/अनुज्ञप्तिप्राप्तभर्तीऔरस्थाननसेवाया उनके निमित्त से उनके प्रतिनिधि और किसीनाविक के बीच नीचे उपदर्शित सामूहिक सौदेबाजी करार-सेक्टर वार और वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 तथा समुद्री श्रम अभिसमय 2006 के अनुसार दूसरी और कथित संविदात्मक खंडों/निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया है:

(*जहाँ लागू हो वहाँ हटाएं/जोड़ें)

1. लागू मान्यता प्राप्त सामूहिक सौदेबाजी करार: 1.1 एनएमबी (भारत) 1.2 आईएनएसए-एमयूआई 1.3आईसीसीएसए/एनयूएसआई 1.4 आईसीसीएसए/एमयूआई 1.5 अन्य टिप्पण: (i) लागूसी.बी.ए. परनिशानलगाएँ(ii) 'अन्य' केलिएसी.बी.ए. का विवरण विनिर्दिष्ट करें(iii) खंडभीनिर्दिष्ट करें	
2. पोतस्वामी/नियोजक का विवरण	4. नाविकों का विवरण
2.1 नाम	4.1 नाम
2.2 डाक का पूरा पता और ई-मेल:	4.2 राष्ट्रीयता/आईएनडीओएस सं. :
	4.3 जन्म तिथि और जन्म स्थान (शहर और देश):
	4.4 डाककापूरापताऔर ई-मेल:
2.3 टेलीफोन/फैक्स नंबर:	4.5 टेलीफोन/फैक्स नंबर:
2.4 संपर्क व्यक्ति:	
3. मास्टर/पोत स्वामी/अनुज्ञप्तिप्राप्तभर्तीऔरस्थाननसेवाका विवरणया उनके निमित्त प्रतिनिधि (जहां कहीं लागू हो):	
3.1 नाम:	4.6 सीडीसीनंबर/जारी करने की स्थान:
3.2 आर.पी.एस. अनुज्ञप्ति सं.:	4.7 सीडीसीजारी करने/समाप्ति की तारीख: 4.8 पासपोर्टसंख्या/जारी करने की स्थान: 4.9 पासपोर्ट जारी होने की तारीख/समाप्ति:
3.3 तारीख तक वैध:	
3.4 डाक पता और ई-मेल:	
5. निकटतम संबंधी का विवरण:	

3.5 टेलीफोन/फैक्स नंबर:	5.1 नाम/रिश्ता:
3.6 संपर्क व्यक्ति:	5.2 डाक का पता और ई-मेल:
6. पोटका विवरण:	
6.1 नाम:	
6.2 रजिस्ट्री/व्यापार का पत्तन:	
6.3 आधिकारिक/आईएमओनंबर:	5.3 टेलीफोन/फैक्स नंबर:
6.4 जीटी/शक्ति(केडब्ल्यू/बीएचपी):	7. प्रमाणपत्रों का विवरण:
6.5 मास्टर सहित चालक दल की संख्या:	7.1 सीओसी ग्रेड/संख्या:
8. नियोजन का विवरण:	7.2 जारी करने का स्थान:
8.1 सेवा अवधि: मास:	
8.2 फलक पर मासिक मजदूरी की रकम:	7.3 जारी करने की तारीख /समाप्ति:
8.3 मासिक भविष्य निधि/उपदान	7.4 सीमाएं (अगर कोई हों):
8.4 संदत्तवार्षिक अवकाश/मास(कम से कम 2.5 दिन): दिन	
8.5 आराम के घंटे(हर हफ्ते कम से कम 77 घंटे):घंटे	
9. मासिक आबंटन की रकम:	
10. मजदूरी के संदाय के साधन:	
10.1 संदाय की रीति:	
10.2 साप्ताहिक/मासिक अंतराल (जहाँ लागू हो उसे टिक करें):	
10.3 प्रत्येकसप्ताह/मास के दिन [संख्या अंतःस्थापित करें] (जो लागू हो उसे टिक करें)	
11. नियोजित हैसियत/रैंक:	12. विशेष पोट प्रकार पृष्ठांकन का विवरण(अगर लागू हो):
13. समाप्ति के कारण:	12.1 पृष्ठांकन का प्रकार:
	12.2 स्तर/प्रमाणपत्र नंबर:
	12.3 जारी करने का स्थान:
14. तारीख..... को स्थान पर संदत्त किया गया	16. नियोजन की समाप्ति की सूचना (धारा 6 देखें): नियोजन आरंभ होने की तारीख:

15. प्रत्यावर्तन विवरण (धारा 8 देखें) : 15.1 चिकित्सा आधार पर 15.2 अन्य (खंड 8 देखें)		नियोजन समाप्ति की तारीख: टिप्पण: नियोजन ऊपर यथा उल्लिखित अवधि तक जारी रहेगा, जब तक कि इसे इस समय से पहले युक्तियुक्त कारणों से समाप्त न कर दिया जाए या पोट उस समय समुद्र में हो, ऐसी स्थिति में यह उस पतन पर पहुंचने तक जारी रहेगा, जहां यह समाप्त हो जाएगा।	
17. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ (धारा 7 देखें) :			
18. भविष्य निधि अभिदाय(एसपीएफओ) देय		19. देय उपदान(एसडब्ल्यूएफएस)	
20. चिकित्सीयप्रमाणपत्र का विवरण: 20.1 जारी करने वाला प्राधिकारी: 20.2 अनुमोदन संख्या: 20.3 जारी करने की तारीख: 20.4 समाप्ति तारीख:			
21. नियोजन के अतिरिक्त निबंधन और शर्तें (जहां लागू हों): (नियोजन की कोई अतिरिक्त शर्त, उससे अन्यून नहीं होगी जो मान्यता प्राप्त सामूहिक सौदेबाजी करार में उपबंधित है)			
22. मास्टर या पोट स्वामी या अनुज्ञप्तिप्राप्तभर्तीऔरस्थाननसेवाके हस्ताक्षर, स्थान और तारीख और मुहर के साथया उनके निमित्त उनके प्रतिनिधि के स्थान और तारीख तथा स्टाम्प सहित हस्ताक्षर:		23. स्थान और तारीख के साथ नाविक के हस्ताक्षर:	
1. तटपरकार्यभार: स्थान: तारीख:	2 तटसेकार्यमुक्ति: स्थान: तारीख:	1. तटपरकार्यभार: स्थान: तारीख:	2. पोटसेकार्यमुक्ति: स्थान: तारीख:

		3. पोतपरकार्यभार: स्थान: तारीख:	4. तटसेकार्यमुक्ति: स्थान: तारीख:
24. मास्टर के स्थान और तारीख तथा मुहर सहित हस्ताक्षर :			
1. पोतपरकार्यभार: स्थान: तारीख:		2. पोतसेकार्यमुक्ति: स्थान: तारीख:	
नाविक / मास्टर/ पोतस्वामी / अनुज्ञप्तिप्राप्तभर्तीऔरस्थाननसेवाया उनके निमित्त उनके प्रतिनिधि / पोतस्वामी/ एसपीएफओ / एसडब्ल्यूएफएसद्वारा हस्ताक्षर, स्थान और तारीखके साथ टिप्पण(यदि कोई हो) :			

संविदात्मक खंड/निबंधन और शर्तें:

पोत स्वामी/अनुज्ञप्तिप्राप्तभर्तीऔरस्थाननसेवाया उनके निमित्त उनके प्रतिनिधि और नाविक के बीच यह करार इस शर्त के अधीन है कि नाविकयथा लागू, सुसंगतसेक्टर-वार सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविक के नियोजन करार के अनुसार नियोजन के अन्य निबंधनों और सेवा शर्तों के साथयथा उपदर्शित मजदूरी की हैसियत/रैंकसे सेवा करेगा।

2. यह करार उस क्षेत्र में और उस अवधि के लिए सेवा करने के लिए होगा जो इस करार में पहले हस्ताक्षर की तारीख से, यथा लागू,सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविक के नियोजन के करार में तय हुआ है।

3. यह सहमति हुई है कि उक्त नाविक को यथा लागू,सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविक के नियोजन करार या समुद्री श्रम अभिसमय 2006के उपबंधों के अनुसार, जो भी उच्चतर हो,उपबंध उपलब्ध कराए जाएंगे ।

4. यह सहमति हुई है कि नाविक के अधिकार, कर्तव्य और नियोजनके निबंधन तथा पोत स्वामी की बाध्यताएं फ्लैग राज्य के सुसंगत अधिनियमों, उनके अधीन बनाए गए नियमों/सूचनाओं/परिपत्रों/आदेशों द्वारा संशोधित लागू सामूहिक सौदेबाजी करार/नाविक के नियोजन करार/आईएलओ अभिसमयों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

5.मास्टर कोफ्लैग राज्य के सुसंगत अधिनियमों, उनके अधीन बनाए गए नियमों/सूचनाओं/परिपत्रों/आदेशों द्वारा संशोधित लागू सामूहिक सौदेबाजी करार/नाविक के नियोजन करार/आईएलओ अभिसमयों के उपबंधों की कोई प्रति फलक पर रखनी चाहिए। ये दस्तावेजपोत पर काम करने वाले नाविकों, उनके विधिपूर्ण प्रतिनिधियों और अन्यविधिसम्मतप्राधिकारियों को किसी युक्तियुक्त समय पर देखने के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए ।

6. किसी नाविक व्यक्ति के संबंध में इस करार को निम्नलिखित द्वारा समाप्त किया जा सकेगा-

(क) पारस्परिक सहमति से।

(ख) यदि चिकित्सीय साक्ष्य उपदर्शित करता है कि नाविक बीमारी या क्षति के कारण अपने कर्तव्यों केनिष्पादनको जारी रखने में असमर्थ है;

(ग) यदि कोई नाविक यात्रा के लिए तय समय पर बिना छुट्टी के अनुपस्थितरहता है; या

(घ) यदि मास्टर की राय में, नाविक के लगातार नियोजन सेपोत या फलक पर किसी व्यक्ति को खतरा होने की संभावना है।

7. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा फायदों में ऐसी तारीख जिसको उन्होंने किसी पोत के फलक पर कर्तव्य आरंभ किया था और वह तारीख जिसको उन्हें सम्यक रूप से वापिस भेजा माना गया है के बीच होने वाली किसी बीमारी या क्षति के संबंध में उपगत किसी लागत का पोत स्वामी द्वारा संदाय भी सम्मिलित है। इसमें वे संदाय भी सम्मिलित हैं जो पोत के स्वामियों को किसी नाविक कोहोने वाली ऐसी किसी व्यवसायिक क्षति, बीमारी या परिसंकट, जो नाविक के नियोजन करार के अधीन सेवा करते समय या ऐसे करार के अधीन उनके नियोजन से उद्भूत होती हैं, के कारण उसकी मृत्यु या दीर्घकालिकदिव्यांगता के संबंध में और हानि या पोत के डूबने की स्थिति में प्रतिकरके लिए किए जाने अपेक्षित हैं।

8. नाविकों को वापस भेजने में नाविकों को कोई खर्च नहीं आएगा, और यह नाविकों के नियोजन करारके खंड 15.1 में उल्लिखित शर्तों पर होगा। 'अन्य' के अधीन निम्नलिखित उपबंध सम्मिलित हैं:

(क) जहां नाविक का नियोजन करारसमाप्त हो गया है;

(ख) जहांनाविककानियोजनकरार निम्नलिखित द्वारा समाप्त कर दिया गया है,-

(i) पोतस्वामी द्वारा; या

(ii) सामूहिक सौदेबाजीनियोजनकरारया नाविकों के नियोजनकरार के अनुसार न्यायोचित कारणों सेनाविकद्वारा;

(ग) जब नाविक अपने नियोजनकरार के अधीन अपनोकर्तव्य करने में समर्थ नहीं होते हैं या सामूहिक सौदेबाजी करारया नाविकों केनियोजनकरार के अनुसार, विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में उनसे कर्तव्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है;

(घ) सामूहिक सौदेबाजी करार या नाविकों के नियोजनकरार के अनुसार अनुकंपा के आधार पर;

(ड.) परित्यक्त नाविक के मामले में ।

9. नाविक के नियोजनकरार में नियोजन की अवधि को विस्तारित हुआ समझा जाएगा यदि इसे नाविक और पोतस्वामी के बीच पारस्परिककरार द्वारा विस्तारित किया गया है ।

10. एक सिस्टम-जनित प्रति होगी और नाविक नियोजन करार के पांच सेट निम्नलिखित रूप से वितरण हेतु और मूल रूप में मुद्रित और हस्ताक्षरित (फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली) किए जाएंगे:

(क) सेट 1: फलक पर स्वामी

(ख) सेट 2: नाविक

(ग) सेट 3: पोत स्वामी/नियोजक/अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और स्थाननसेवा/पोत स्वामी के निमित्त उनके प्रतिनिधि

(घ) सेट 4 और 5: पोत स्वामी/नियोजक/अनुज्ञप्ति प्राप्त भर्ती और स्थाननसेवा/उनके प्रतिनिधि के पास तब तक रखा जाता है, जब तक कि नाविक केपोत से कार्यमुक्ति प्राप्त करने के पश्चात्सेट 3 (मास्टर और नाविकद्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित) नियोजक/आरपीएफ द्वारा प्राप्त न कर लिया जाए।

टिप्पण: सेट 3 की एक प्रतिएसपीएफओ, एसडब्ल्यूएफएसऔर पोत परिवहन कार्यालय में एसपीएफ और कल्याणनिधि के संदाय के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

[फा. सं. SY-19014/197/2025-MG-Part(2)]

वेंकटसपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5, section 78, sub-section (1) and clauses (d), (f), (g), (h), (i), (j), (m) (n) and (x) of sub-section (2) of section 113 and clauses (f), (l) and (m) of sub-section (2) of section 319 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** — Unless otherwise specified under these rules, they shall apply to all seafarers and ships registered under the Act, but do not apply to—

- (a) ships which navigate exclusively in inland waters or waters within, or closely adjacent to, sheltered waters or areas where any law for the time being in force relating to ports apply;
- (b) ships engaged in fishing activities;
- (c) traditionally built ships such as dhows and junks;
- (d) ships of war or naval auxiliaries; and
- (e) any other ships that the Director-General may, from time to time, decide to consider as equivalent, in accordance with the convention, for these rules after consultation with the association of ship owners and union of seafarers concerned.

3. **Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);
- (b) “armed robbery against ships” means any illegal act of violence or detention or any act of depredation or threat thereof, other than an act of piracy, committed for private ends and directed against a ship or against persons or property onboard such a ship, within a country’s internal waters, archipelagic waters and territorial waters, or any act of inciting or of intentionally facilitating such acts;
- (c) “collective bargaining agreement” means an agreement signed, from time to time, between the union of seafarers and the association of ship owners containing the terms and conditions of employment as per the convention for seafarers onboard Indian flag ships;
- (d) “competent authority” means in relation to—
 - (i) India, the Director-General; and
 - (ii) any State other than India, such authority or agency responsible under the law applicable to that State for maritime administration;

(e) “contractual claim” means any claim that relates to —

- (i) the death of a seafarer arising from any cause while such seafarer is serving under a seafarers’ employment agreement; or
- (ii) in the event of long-term disability due to an occupational injury, illness, or hazard, as provided for under the seafarers’ employment agreement or the applicable collective bargaining agreement, as the case may be;

(f) “convention” means the Maritime Labour Convention signed in Geneva on the 23rd day of February, 2006, as amended;

(g) “Form” means the Form annexed to these rules;

(h) “hours of work” means time during which seafarers are required to do work on account of the ship;

(i) “hours of rest” means time outside the hours of work but does not include short breaks or meal breaks up to one hour during the hours of work;

(j) “night” means a period of at least nine hours starting from 2100 hours and ending at 0600 hours of the time zone at the location of the ship;

(k) “piracy” means piracy as defined under clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Maritime Anti-Piracy Act, 2022 (3 of 2023);

(l) “recognised organisations” means a classification society or other body recognised by the Central Government for the purpose of performing statutory surveys, audits, inspections, approvals and certification functions on behalf of the Central Government;

(m) “seafarers’ employment agreement” means the agreement as referred to in section 63 of the Act;

(n) “violence and harassment”, at work, refers to a range of unacceptable behaviours and practices or threats thereof, whether a single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in physical, psychological, sexual or economic harm, and includes gender-based violence and harassment.

Explanation. — For the purposes of this clause, “gender-based violence and harassment” means violence and harassment directed at persons because of their sex or gender, or affecting persons of a particular sex or gender disproportionately and includes sexual harassment.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

4. Minimum age. — (1) No person below the age of sixteen years shall be employed or engaged to work on a ship.

(2) (a) No person below the age of eighteen years shall be engaged to work at night, or work which is likely to jeopardise their health or safety.

(b) The Director-General, after consultation with the union of seafarers and the association of ship owners concerned and in accordance with relevant international standards, shall specify the types of work to which such person shall be engaged.

5. Medical certificate. — The form and authority for the grant of medical certificate shall be in accordance with applicable rules made under the Act.

6. Training and qualification. — The training and qualification of seafarers shall be in accordance with section 61 of the Act.

7. Recruitment and placement. — (1) The recruitment and placement of seafarers shall be in accordance with section 62 of the Act read with rules made thereunder.

(2) Every ship owner of an Indian ship who engages any seafarer shall, subject to such conditions as the Director-General may specify, establish a system of protection, by way of insurance or an equivalent appropriate measure to compensate seafarers for monetary loss that they may incur as a result of the failure of the ship owner to meet its obligations to them under the seafarers’ employment agreement.

8. Seafarers’ employment agreements. — (1) Every Indian flag ship shall comply with the following requirements regarding seafarers’ employment agreement, namely: —

(a) the seafarers working on Indian flag ships shall have a seafarers’ employment agreement signed between the seafarer and the master or ship owner or licensed recruitment and placement service or where they are not employees, evidence of contractual or similar arrangements providing them with decent working and living conditions onboard the ship as required by the Act and the rules made thereunder;

(b) the seafarers shall be given an opportunity to examine and seek advice on the agreement before signing and such other facilities as are necessary to ensure that they have freely entered into an agreement with a sufficient understanding of their rights and responsibilities;

(c) the ship owner and seafarer concerned shall each have a signed original of the seafarers’ employment agreement;

(d) the ship owner shall ensure that the seafarers’ employment agreement—

(i) is accessible to the Director-General or any other authority including port state authorities in ports to be visited;

(ii) contains clear information as to the conditions of the employment;

(iii) is easily obtainable onboard by seafarers, including the master of the ship; and

(e) at the end of, or termination of, agreement, every seafarer's continuous discharge certificate shall be endorsed with the record of employment onboard the ship.

(2) The seafarers' employment agreement shall incorporate any applicable collective bargaining agreements, a copy of which shall be available onboard.

(3) The seafarers' employment agreement and any applicable collective bargaining agreement shall be in English.

(4) Where a collective bargaining agreement, in full or in part, forms part of a seafarers' employment agreement, a copy of that agreement shall be made available onboard.

(5) The ship owner or its licenced recruitment and placement service shall submit the seafarers' employment agreement to the shipping master electronically.

(6) The seafarers' employment agreements shall, in all cases, contain the particulars specified in Form-VIII.

(7) The minimum period of notice to be given by the seafarers and ship owners for the early termination of a seafarers' employment agreement shall be in accordance with the collective bargaining agreement or seafarers' employment agreement, but in any case, shall not be shorter than seven days.

(8) A period of notice shorter than the minimum period as specified in sub-rule (7) may be given in circumstances which are recognised under the applicable collective bargaining agreements as justifying termination of the employment agreement at shorter notice or without notice and in determining these circumstances, it shall be ensured by the ship owner that the need for the seafarer to terminate, without penalty, the employment agreement on shorter notice or without notice for compassionate or other urgent reasons is taken into account.

(9) The seafarer's entitlement for compensation from the ship owner in case of injury, loss or unemployment arising from loss of the ship or foundering shall be specified in the collective bargaining agreement or the seafarers' employment agreement.

(10) A seafarers' employment agreement shall continue to have effect while a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, regardless of whether the date fixed for its expiry has passed or either party has given notice to suspend or terminate it.

(11) The seafarers' employment agreement shall continue to have effect for the period of detention or arrest of the ship until the disembarkation of the seafarer in case the seafarer has continued to render services onboard such ship notwithstanding the termination or expiry of the seafarers' employment agreement.

9. Wages. — (1) The ship owner shall make payments due to seafarers working onboard their ships at not later than monthly intervals.

(2) Where any applicable collective bargaining agreement mentions a lesser period, the same shall be applicable.

(3) Where wages are not paid within the monthly interval specified under sub-rule (1) or within the shorter interval specified under sub-rule (2), the ship owner shall be liable to pay simple interest at the rate of six per cent per annum on the wages due, calculated for each day of delay, from the date on which the wages become due until the date of actual payment.

(4) The ship owner shall ensure that seafarers are given a monthly account of the payments due and the amounts paid, including wages, additional payments and the rate of exchange used where payment has been made in foreign currency.

(5) The ship owner shall take measures, such as those set out in sub-rule (6), to provide seafarers with a means to transmit all or part of their earnings to their families or dependents or legal beneficiaries.

(6) The measures to ensure that seafarers are able to transmit their earnings to their families include the following, namely: —

(a) a system for enabling seafarers, at the time of their entering employment or during it, to allot, if they so desire, a proportion of their wages for remittance at regular intervals to their families by bank transfers or similar means; and

(b) a requirement that allotments shall be remitted in due time and directly to the person or persons nominated by the seafarers.

(7) Any charge for the service under sub-rule (5) and clauses (a) and (b) of sub-rule (6) shall be reasonable in amount, and unless otherwise provided the rate of currency exchange shall be at the prevailing market rate or the official rate specified by the Reserve Bank of India and not be unfavourable to the seafarer.

(8) In the absence of any applicable collective bargaining agreement, the wages payable as per the seafarers' employment agreement shall be not less than—

(a) the highest amount agreed upon in any collective bargaining agreement in foreign-going or coasting trade, or the relevant sector in India, as the case may be; or

(b) the amount periodically set by the Joint Maritime Commission or another body authorised by the governing body of the International Labour Office.

(9) Where a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships or is detained or imprisoned, wages and other entitlements, including repatriation, under the seafarers' employment agreement or relevant collective bargaining agreement or under these rules, as applicable, including the remittance of any allotments as specified in sub-rule (6), shall continue to be paid and ensured by the ship owner during the entire period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated in accordance with rule 12 or, where the seafarer dies while in captivity, until the date of death.

10. Hours of work and rest. — (1) The normal working hours standard for seafarers shall not exceed an eight-hour day with one-day rest per week and rest on public holidays as per collective bargaining agreement or seafarers' employment agreement.

(2) The ship owner shall adopt minimum hours of the rest which shall be not less than —

(a) ten hours in any twenty-four-hour period; and

(b) seventy-seven hours in total for a period of seven days in different spells.

(3) The minimum hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed fourteen hours.

(4) Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills specified under the provisions of the Act and the rules made thereunder and the international instruments shall be conducted in a manner that minimises the disturbance of rest period and does not induce fatigue.

(5) When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate compensatory rest period where the normal period of rest is disturbed by call-outs to work.

(6) Where no collective bargaining agreement or arbitration award exists or in case the Director-General determines that the provisions in the agreement or award in respect of sub-rule (4) or sub-rule (5) are inadequate, the Director-General shall ensure that the seafarers concerned have sufficient rest.

(7) The ship owner shall ensure the posting, in an easily accessible place, of a table with the shipboard working arrangements, which shall contain for every position at least—

(a) the schedule of service at sea and service in port; and

(b) the minimum hours of rest as agreed upon within the framework of the applicable collective bargaining agreements.

(8) The table referred to in sub-rule (7) shall be established in a standardised format as specified by the Director-General in English.

(9) The ship owner shall maintain records of seafarers' daily hours of rest to allow monitoring of compliance with the provisions of sub-rules (2) to (8).

(10) The rest hour records shall be in a standardised format specified by the Director-General taking into account any available guidelines of the International Labour Organisation or shall be in any standard format prepared by the said organisation in English.

(11) The seafarers shall receive a copy of the records pertaining to them which shall be endorsed by the master or a person authorised by the master, and by the seafarers.

(12) Nothing contained in this rule shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons onboard or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.

(13) In the circumstances mentioned in sub-rule (12), the master may suspend the schedule of hours of work or hours of rest and require a seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored.

(14) As soon as practicable after the normal situation referred to in sub-rule (13) has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work under sub-rule (12) during a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

(15) Nothing in sub-rules (2) and (3) shall prevent the Director-General from authorising or registering collective bargaining agreements permitting exceptions to the limits set out, and such exceptions shall, as far as possible, follow the provisions of these rules but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.

(16) For young seafarers under the age of eighteen years, –

- (a) working hours shall not exceed eight hours per day and forty hours per week;
- (b) no overtime shall be allowed unless unavoidable for safety reasons;
- (c) break of at least one hour for the main meal of the day shall be assured; and
- (d) a fifteen-minute rest period as soon as possible following each two hours of continuous work shall be allowed:

Provided that this sub-rule shall not apply in the case of such young seafarers, –

- (a) who are engaged in the deck, engine room and catering departments assigned to watch-keeping duties or working on a rostered shift-work system; or
- (b) whose effective training in accordance with established programmes and schedules would be impaired.

(17) The exceptions referred to in the proviso to sub-rule (16) shall be recorded with reasons and signed by the master.

11. Entitlement to leave. — (1) The ship owner shall establish and maintain operational parameters and practices to ensure that seafarers are provided with adequate leave.

(2) The seafarers employed on ships shall be entitled to paid annual leave of not less than two and a half calendar days per month of employment, or *pro rata*, in accordance with the convention and such leave shall not include justified absences from work, including sickness, injury, maternity or other authorised leave.

(3) No seafarer shall waive, forgo or relinquish the minimum annual leave with pay specified under sub-rule (1).

(4) Any agreement to forgo the minimum annual leave with pay shall be prohibited unless otherwise permitted by the Director-General on a case-to-case basis with reasons to be recorded in writing:

Provided that no such permission shall be granted where the agreement is based solely on commercial convenience.

(5) The division of annual leave into parts, or the accumulation of annual leave due in respect of one year together with a subsequent period of leave, shall be permitted only by mutual agreement between the ship owner and the seafarer concerned and shall not operate to deprive the seafarer of the minimum annual leave entitlement.

(6) The seafarers shall be allowed shore leave by the public authorities concerned while the ship on which they arrive is in a port within India:

Provided that the relevant formalities have been fulfilled and the public authorities have no reason to refuse permission for reasons of public health, public safety and security, or public order.

(7) Shore leave shall be granted without discrimination on any grounds, irrespective of the flag State of the ship on which the seafarer is employed, engaged or works.

(8) No seafarer shall be required to hold a visa or special permit solely for the purpose of shore leave.

(9) Where permission for shore leave is refused, the public authority concerned shall communicate the reasons for such refusal to the seafarer concerned and the master, and shall provide such reasons in writing, if so requested.

(10) Ship owners shall allow seafarers serving on ships that fly the Indian flag to take shore leave, when off duty and upon the ship's arrival in port, to benefit their health and well-being, except where leaving the ship is prohibited or restricted by the port State authorities, or where leaving the ship is prohibited or restricted due to safety or operational reasons.

(11) Shore leave granted in accordance with the provisions of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) shall be deemed to satisfy the requirements of sub-rules (6) to (10).

12. Repatriation. — (1) The ship owner shall ensure that the seafarers on their ships are repatriated in the following circumstances without any cost to the seafarers, namely: —

- (a) where the seafarers' employment agreement expires;
- (b) when the seafarers' employment agreement is terminated, -
 - (i) by the ship owner; or
 - (ii) by the seafarer, for justified reasons, as per collective bargaining agreement or seafarers' employment agreement;
- (c) when the seafarers are no longer able to carry out their duties under their employment agreement or cannot be expected to carry them out in the specific circumstances, as per collective bargaining agreement or seafarers' employment agreement;
- (d) on compassionate grounds as per collective bargaining agreement or seafarers' employment agreement;
- (e) in case of abandoned seafarer.

(2) The costs to be borne by the ship owner for repatriation under sub-rule (1) shall include the following, namely: —

- (a) passage to the destination selected for repatriation;
- (b) accommodation and food from the moment the seafarers leave the ship until they reach the repatriation destination;
- (c) transportation of up to 30 kg of the seafarer's personal luggage to the repatriation destination; and
- (d) medical treatment, when necessary, until the seafarers are medically fit to travel to the repatriation destination.

(3) The ship owner shall ensure that there are appropriate provisions in the seafarer's employment agreement or collective bargaining agreements, as the case may be, specifying therein —

- (a) the circumstances in which seafarers are entitled to repatriation in accordance with the provisions of clauses (b) and (c) of sub-rule (1);

- (b) the maximum duration of service periods on board following which a seafarer is entitled to repatriation is eleven months; and
 - (c) the precise entitlements to be accorded by ship owners for repatriation, including those relating to the destinations of repatriation, the mode of transport, the items of expense to be covered and other arrangements to be made by ship owners.
- (4) The ship owner shall not make any agreement requiring seafarers to make an advance payment towards the cost of repatriation or to recover the cost of repatriation from the wages of seafarers or other entitlements at the beginning of their employment, except where the seafarer has been found, as per the applicable collective bargaining agreements, to be in serious default of the seafarer's employment obligations.
- (5) Nothing contained in this rule shall prejudice any right of the ship owner to recover the cost of repatriation under third-party contractual arrangements.
- (6) Each ship owner shall make available to seafarers onboard, a copy of the applicable provisions regarding repatriation in English.
- (7) In case a ship owner of an Indian ship fails to make arrangements for or to meet the cost of repatriation of seafarers who are entitled to be repatriated, then –
- (a) the financial security provider shall arrange for the repatriation of the seafarer concerned;
 - (b) where the financial security provider fails to make arrangements for or to meet the cost of repatriation of seafarers who are entitled to be repatriated, the Director-General shall arrange for repatriation of the seafarers concerned or the country from which the seafarers are to be repatriated or the country of which they are a national may arrange for their repatriation and recover the cost from the member whose flag the ship flies;
 - (c) costs incurred by Director-General in repatriating seafarers shall be recoverable from the ship owner; and
 - (d) the expenses of repatriation shall in no case be a charge upon the seafarers, except as provided for in sub- rule (4).
- (8) In case a ship owner of a ship other than an Indian ship fails to make arrangements for or to meet the cost of repatriation of seafarers who have been abandoned in any port or place in India including the coastal waters and are entitled to be repatriated, then –
- (a) the financial security provider shall arrange for the repatriation of the seafarer concerned;
 - (b) the competent authority of the member whose flag the ship flies shall arrange for repatriation of the seafarers concerned and if it fails to do so, the Director-General or the State of which they are a national may arrange for their repatriation and recover the cost from the member whose flag the ship flies;
 - (c) costs incurred in repatriating seafarers shall be recoverable from the ship owner by the competent authority of the member whose flag the ship flies;
 - (d) the expenses of repatriation shall in no case be a charge upon the seafarers, except as provided in sub-rule (4).
- (9) Considering the applicable international instruments, including the International Convention on Arrest of Ships, 1999, the Director-General who has arranged the cost of repatriation pursuant to this rule may detain, or request the detention of, the ships of the ship owner concerned until the reimbursement has been made in accordance with sub-rule (7) or sub-rule (8), as the case may be.
- (10) The Director-General shall facilitate the repatriation of seafarers serving on ships, which call at ports or pass through territorial waters or internal waters, and their replacement onboard.
- (11) In particular, the right of repatriation to any seafarer shall not be refused due to financial circumstances of the ship owner or for the inability of the ship owner or unwillingness to replace a seafarer.
- (12) Every ship owner shall ensure that a financial security system meeting the requirements of this rule is in place for their ships, which shall provide direct access, sufficient coverage and expedited financial assistance, in accordance with this rule, to any abandoned seafarer on its ship.
- (13) Every ship to which these rules apply shall carry a certificate or other documentary evidence of financial security issued by the financial security provider who shall be a member club of the International Group of Protection and Indemnity Clubs or any other insurer or financial security provider approved by the Central Government and a copy of the same shall be posted in a conspicuous place onboard where it is available to the seafarers.

- (14) Where there is more than one financial security provider referred to in sub-rule (13), the document provided by each provider shall be carried onboard.
- (15) The certificate or documentary evidence of financial security shall contain the information as specified in Form-I.
- (16) Assistance provided by the financial security system shall be granted promptly upon request made by the seafarer or the seafarer's nominated representative and supported by the necessary justification of entitlement.
- (17) The financial security system shall be sufficient to cover the following, namely: —
- (a) outstanding wages and other entitlements due from the ship owner to the seafarer under the seafarers' employment agreement, the relevant collective bargaining agreement, limited to four months of any such outstanding wages and four months of any such outstanding entitlements;
 - (b) all expenses reasonably incurred by the seafarer, including the cost of repatriation referred to in sub-rule (18); and
 - (c) the essential needs of the seafarer including such items, namely, the adequate food, clothing where necessary, accommodation, drinking water, essential fuel for survival on board the ship, necessary medical care and any other reasonable costs or charges from the act or omission constituting the abandonment until the seafarer's arrival at home.
- (18) The cost of repatriation shall cover travel by appropriate and expeditious means, normally by air, and include provision for food and accommodation of the seafarers from the time of leaving the ship until arrival at the seafarer's home, necessary medical care, passage and transport of personal effect and any other reasonable costs or charges arising from the abandonment.
- (19) The financial security shall not cease before the end of its period of validity unless the financial security provider has given prior information of at least thirty days to the Director-General.
- (20) In case the provider of financial security has made any payment to any seafarers in accordance with the provisions of these rules, such provider shall, up to the amount it has paid, acquire by subrogation, assignment or otherwise, the right which the seafarers would have enjoyed.
- (21) Nothing in this rule shall prejudice any right of recourse of the provider of financial security against third parties.
- (22) The entitlement to repatriation may lapse if the seafarers concerned do not claim it within a period of three years or as provided in the collective bargaining agreements, except where they are held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships.

13. Seafarer compensation for ship's loss or foundering. — (1) Ship owner shall ensure that, in every case of loss or foundering of any ship, an indemnity against unemployment resulting from such loss or foundering is paid to each seafarer on board, as specified in the seafarer's employment agreement or collective bargaining agreement, as the case may be.

(2) The indemnity against unemployment resulting from a ship's foundering or loss shall be paid for the days during which the seafarer remains in fact unemployed at the same rate as the wages payable under the seafarers' employment agreement, but the total indemnity payable to any one seafarer may be limited to two months' wages.

(3) The seafarers shall have the same legal remedies for recovering such indemnities as they have for recovering arrears of wages earned during the service.

(4) The provision of sub-rule (1) shall be without prejudice to any other rights a seafarer may have under any other law for the time being in force for losses or injuries arising from a ship's loss or foundering.

14. Manning level. — Manning level shall be in accordance with the applicable rules made under the Act relating to safety of navigation.

15. Career and skill development and opportunities for seafarers' employment. — (1) The Director-General shall specify national policies that encourage career and skill development and employment opportunities for seafarers, in

order to provide the maritime sector with a stable and competent workforce to help the seafarers, strengthen their competencies, qualifications and employment opportunities.

(2) The Director-General, after consulting the ship owners and seafarers' organisations concerned, shall establish clear objectives for the vocational guidance, education and training of seafarers whose duties onboard the ship primarily relate to the safe operation and navigation of the ship, including ongoing training.

16. Accommodation and recreational facilities. — The accommodation and recreational facilities onboard ships shall be in accordance with Merchant Shipping (Crew Accommodation) Rules, 1960, or Merchant Shipping (Seafarers' Accommodation) Rules, 2026, as the case may be.

17. Food and catering. — (1) The ship owner shall provide, free of cost to seafarer, a variety of food of required quality, quantity and nutritional value and water, including drinking water which covers the requirement of the complement onboard the ship, their religious requirements and cultural practices pertaining to food, duration and nature of voyage.

(2) The ship owner shall ensure that the organisation and equipment of the catering department shall be such as to permit the provision of adequate, varied and nutritious meals prepared and served in hygienic conditions.

(3) The quality and quantity of food supplied shall be in conformity with the collective bargaining agreement or as may be specified by the Director-General.

(4) The ship owner shall ensure that the catering staff is trained or instructed for their positions onboard ship.

(5) Ship owners shall ensure that seafarers who are engaged as ships' cooks are trained, qualified and found competent for the position in accordance with such conditions as may be specified by the Director-General.

(6) The requirements under sub-rule (5) shall include the completion of a training course approved or recognised by the Director-General, which covers practical cookery, food and personal hygiene, food storage, stock control, and environmental protection and catering health and safety.

(7) On ships operating with a specified manning of less than ten which, by virtue of the size of the crew or the trading pattern, may not be required to carry a fully qualified cook, anyone processing the food in the galley shall be trained or instructed in areas including food and personal hygiene and handling and storage of food onboard ship.

(8) In the case of exceptional necessity, the Director-General may, issue a dispensation permitting a non-fully qualified cook to serve in a specified ship for a specified period, until the next convenient port of call or for a period not exceeding one month:

Provided that the person to whom the dispensation is issued is trained or instructed in areas including food and personal hygiene and handling and storage of food onboard ship.

(9) The ship owner shall ensure that frequent documented inspections are carried out onboard ships, by or under the authority of the master, with respect to the following, namely:—

- (a) supply of food, water and drinking water;
- (b) all spaces and equipment used for the storage and handling of food, water and drinking water; and
- (c) galley and other equipment for the preparation and service of meals.

(10) No seafarer under the age of eighteen shall be employed or engaged or work as a cook with the ship.

18. Medical care onboard ship and ashore. — (1) The ship owner shall adopt such measures for providing protection of health and medical care, including essential dental care, at no cost to the seafarers, for seafarers working onboard a ship which—

- (a) ensure the application to seafarers, of any general provisions on occupational protection of health and medical care relevant to their duties, and of special provisions specific to work onboard ship;
- (b) ensure that seafarers are given protection of health and medical care including prompt access to the necessary medicines, medical equipment and facilities for diagnosis and treatment and to medical information and expertise, in accordance with the applicable rules made under the Act;

- (c) give seafarers the right to visit a qualified medical practitioner including dentist without delay in ports of call, where practicable;
 - (d) ensure that medical care and health protection services while a seafarer is onboard ship or landed in a foreign port are provided free of charge to seafarers.
- (2) The ship owner shall adopt a standard medical report form for use by the master of the ship and relevant onshore and onboard medical personnel, as specified by the Director-General and the form when completed, its contents shall be kept confidential and shall only be used to facilitate the treatment of seafarers.
- (3) All ships shall carry a medicine chest, medical equipment and a medical guide, in accordance with the applicable rules made under the Act which shall be subject to regular inspection by the Director-General.
- (4) Ships carrying hundred or more persons and ordinarily engaged on international voyages of more than three days' duration shall carry a qualified medical practitioner onboard.
- (5) The ship which does not carry a medical practitioner shall be required to have either at least one seafarer onboard who is in charge of medical care and administering medicine as part of their regular duties or at least one seafarer onboard competent to provide medical first aid.
- (6) Persons in charge of medical care on board who are not medical practitioner, as specified in sub-rule (5), shall have satisfactorily completed training in medical care that meets the requirements of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended.
- (7) Seafarers designated to provide medical first aid, as specified in sub-rule (5), shall have satisfactorily completed training in medical first aid that meets the requirements of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended.
- (8) The Director-General shall ensure prompt disembarkation of seafarers in need of immediate medical care and access to medical facilities ashore for the provision of appropriate treatment.
- (9) The Director-General shall ensure by a prearranged system that medical advice by radio or satellite communication to ships at sea, including specialist advice, is available twenty-four hours a day and such medical advice, including the onward transmission of medical messages by radio or satellite communication between a ship and those ashore giving the advice, shall be available free of charge to all ships irrespective of the flag that they fly.

19. Ship owners' liability. — (1) The ship owner shall be responsible for protection of health and medical care of all seafarers working onboard the ship in accordance with the following standards, including —

- (a) the ship owner shall be liable to bear the costs for seafarers working on their ship in respect of sickness and injury of the seafarers occurring between the date of commencing of the duty and the date upon which they are deemed duly repatriated, or arising from their employment between those dates;
- (b) the ship owner shall maintain adequate financial security to ensure the payment of compensation in the event of the following, namely: —
 - (i) the death of a seafarer arising from any cause while such seafarer is serving under a seafarers' employment agreement; or
 - (ii) in the event of long-term disability due to an occupational injury, illness, or hazard, as provided for under the seafarers' employment agreement or the applicable collective bargaining agreement, as the case may be;
- (c) the ship owner shall receive, deal with and impartially settle contractual claims relating to compensation referred to in clause (b) through fair procedures and expeditiously and not later than the following timelines, namely: —
 - (i) the compensation for death under sub-clause (i) of clause (b) shall be paid within three months from the date of the incident;
 - (ii) the compensation for long-term disability under sub-clause (ii) of clause (b) shall be paid, as far as practicable, within twelve months from the date of the incident;
- (d) the ship owner shall be liable to defray the expense of medical care, including medical treatment and the supply of the necessary medicines and therapeutic appliances, and boarding and lodging away from home until the sickness or incapacity has been declared to be of a permanent character; and
- (e) the ship owner shall be liable to pay the cost of funeral expenses in the case of death occurring onboard or ashore during the period of engagement.

- (2) The Director-General may limit the liability of the ship owner to defray the expenses of medical care and board and lodging to a period, which shall not be less than sixteen weeks from the day of the injury or the commencement of the sickness.
- (3) Where the sickness or injury results in incapacity for work, the ship owner shall be liable, -
- (a) to pay full wages till the sick or injured seafarers remain onboard or until the seafarers have been repatriated in accordance with these rules; and
 - (b) to pay wages in whole or in part from the time when the seafarers are repatriated or landed until their recovery or, if earlier, until they are entitled under any other law for the time being in force.
- (4) The Director-General may limit the liability of the ship owner to pay wages in whole or in part in respect of seafarers no longer onboard to a period, which shall not be less than twenty-four weeks from the date of the injury or the commencement of the sickness.
- (5) The Director-General may exclude the ship owner from liability in respect of the following, namely: —
- (a) injury incurred otherwise than in the service of the ship;
 - (b) injury or sickness due to the wilful misconduct of the sick, injured or deceased seafarers; and
 - (c) sickness or infirmity intentionally concealed when the engagement is entered into.
- (6) The Director-General may exempt the ship owner from liability to defray the expense of medical care and board and lodging and funeral expenses in so far as such liability is assumed by the public authorities.
- (7) The ship owner or his representatives shall take measures for safeguarding property left onboard by sick, injured or deceased seafarers and for returning it to them or to their next of kin.
- (8) The ship owner shall ensure that the system of financial security to assure compensation as provided in clause (b) of sub-rule (1) for contractual claims, meet the following requirements, namely: —
- (a) the contractual compensation, as set out in the seafarers' employment agreement or collective bargaining agreement and without prejudice to clause (c) of sub-rule (8), shall be paid in full and without delay;
 - (b) there shall be no demand to accept a payment less than the contractual amount;
 - (c) whereas the nature of the long-term disability of a seafarer makes it difficult to assess the full compensation to which the seafarers may be entitled, an interim payment shall be made to the seafarers so as to avoid undue hardship;
 - (d) the seafarers shall receive payment without prejudice to other legal right, but such payment may be offset by the ship-owner against any damages resulting from any other claim made by the seafarers against the ship owner and arising from the same incident; and
 - (e) the claim for concerned compensation may be brought directly by the seafarers concerned, or their next of kin, or a representative of the seafarers or designated beneficiary.
- (9) The ship owner shall not cancel or terminate the financial security without giving a notice in writing to the seafarer, the licensed recruitment and placement service and the Director-General.
- (10) The ship owner shall ensure that no financial security shall be cancelled or terminated by the provider of the financial security without giving notice of at least thirty days in advance, to the Director-General by the provider of financial security.
- (11) The ship owner shall ensure that his ships carry on board a certificate or other documentary evidence of financial security issued by the financial security provider and copy of the same shall be posted in a conspicuous place onboard where it is available to the seafarers.
- (12) Where more than one financial security provider provides the cover, as specified in sub-rule (11), the document provided by each provider shall be carried onboard.
- (13) The financial security shall not cease before the end of its period of validity unless the financial security providers have given prior information of at least thirty days to the Director-General of the flag State.
- (14) The financial security shall provide for the payment of all contractual claims covered by it, which arise during the period for which the document is valid.
- (15) The certificate and other documentary evidence of financial security shall contain the information specified in Form-II and it shall be in English or accompanied by an English translation.
- (16) The system of financial security, as provided in clause (b) of sub-rule (1), may be in the form of a social security scheme or insurance or fund or other similar arrangements as may be determined by the Director-General after consultation with the ship owners' and seafarers' organisations concerned.

(17) The Director-General may, on the basis of an inquiry report received from the shipping office or from the competent inquiry authority of the flag State, as the case may be, and upon being satisfied that a seafarer is reported missing from a ship during the subsistence of his contractual period, direct the shipping master to issue a presumption of death certificate.

(18) Any presumption of death certificate issued under sub-rule (17) for the purposes of these rules shall be issued for the limited purpose of enabling the legal heirs or family members or next of kin of the seafarer, as the case may be, to make a claim for compensation under the seafarer's employment agreement or applicable collective bargaining agreement, as the case may be:

Provided that such certificate shall not operate as a proof of death for the purpose of any other law for the time being in force.

20. Health and safety protection and prevention of accident. — Every ship owner shall ensure that seafarers working onboard the vessel are provided with occupational health protection and that they live, work and train onboard vessel in a safe and hygienic environment, in accordance with such guidelines as the Director-General may by order, specify, in accordance with Standard A4.3 of the convention.

21. Access to shore-based welfare facilities. — (1) The Director-General shall ensure, where welfare facilities exist in ports, that they are available for the use of all seafarers, irrespective of nationality, race, colour, sex, religion, political opinion or social origin and irrespective of the flag State of the ship on which they are employed or engaged or working.

(2) The Director-General shall promote the development of welfare facilities in such ports of the country as it may determine, after consultation with the ship owners' and seafarers' organisations concerned.

(3) The Director-General shall ensure that reviews of welfare facilities and services are carried out through the welfare board established under the Act in the light of changes in the needs of seafarers resulting from technical, operational and other developments in the shipping industry.

22. Social security. — (1) To achieve social security the following branches of social security protections shall be adopted, namely: —

- (a) medical care;
- (b) sickness benefit;
- (c) unemployment benefit;
- (d) old-age benefit;
- (e) employment injury benefit;
- (f) family benefit;
- (g) maternity benefit;
- (h) invalidity benefit; and
- (i) survivors' benefit.

(2) The social security protection referred to in sub-rule (1) shall be in addition to the protection provided under rules 18 and 19.

(3) The Director-General shall provide, according to its national circumstances, complementary social security protection referred to in sub-rule (1) to all seafarers ordinarily resident in its territory, including through appropriate bilateral or multilateral agreements or contribution-based systems, and such resulting protection shall be no less favourable than that enjoyed by shoreworkers resident in India.

(4) The Director-General shall ensure that the ship owners' responsibilities concerning social security protection are met, including making the required contributions to social security schemes.

(5) All ship owners of Indian ships shall pay annual welfare fees and welfare fund contributions in accordance with the Merchant Shipping (Seafarers Welfare Board and Levy of Fees) Rules, 2026.

23. Flag State responsibilities in implementation of Maritime Labour Convention. — (1) The Director-General shall establish clear objectives and standards covering the administration of its inspection and certification systems, as well as adequate overall procedures for its assessment of the extent to which those objectives and standards are being attained.

(2) The Director-General, for the purposes of recognition of organisations, shall review the competency and independence of the organisation concerned and determine as to whether the organisation –

- (a) has demonstrated, to the extent necessary for carrying out the activities covered by the authorisation conferred on it;
- (b) has the necessary expertise and an appropriate knowledge of ship operations, including the minimum requirements for seafarers to work on a ship, conditions of employment, accommodation, recreational facilities, food and catering, accident prevention, health protection, medical care, welfare and social security protection;
- (c) has the ability to maintain and update the expertise of its personnel;
- (d) has the necessary knowledge of the requirements of the Act, the rules framed thereunder and relevant international instruments; and
- (e) is of the appropriate size, structure, experience and capability commensurate with the type and degree of authorisation.

(3) Any authorisations granted with respect to inspections shall, as a minimum, empower the recognised organisation to require the rectification of deficiencies that it identifies in seafarers' working and living conditions and to carry out inspections in this regard at the request of the port State.

(4) The Director-General shall provide the International Labour Office with a current list of recognised organisations authorised to act on its behalf and it shall keep this list up to date, and such list shall specify the functions that the recognised organisations have been authorised to carry out.

(5) The Director-General shall, -

- (a) establish a system to ensure the adequacy of work performed by recognised organisations, and which includes information on all applicable laws and relevant international instruments; and
- (b) procedures for communication with and oversight of such organisations.

(6) The Director-General shall require the inspecting authority or the recognised organisation, as the case may be, to maintain records of the services performed by them such that they are able to demonstrate achievement of the required standards in the items covered by the services.

(7) The Director-General shall publish an annual report on such inspection within a reasonable time, not exceeding six months, after the end of the year.

(8) A copy of the Maritime Labour Convention and Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2026 shall be made available onboard Indian ships.

24. Maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance. — (1) The Director-General or any officer, authority or organisation authorised by him in this behalf shall issue a maritime labour certificate for a period not exceeding five years in accordance with the convention.

(2) The validity of the maritime labour certificate shall be subject to an intermediate inspection by the Director-General or by a recognised organisation duly authorised for this purpose to ensure continuing compliance with the Act and the rules made thereunder implementing the convention.

(3) If only one intermediate inspection is carried out and the period of validity of the certificate is five years, –

- (a) it shall take place between the second and third anniversary dates of the certificate;
- (b) the scope and depth of the intermediate inspection shall be equal to an inspection for renewal of the certificate; and
- (c) the certificate shall be endorsed following satisfactory intermediate inspection.

(4) Subject to sub-rule (1), where the renewal inspection has been completed within three months before the expiry of the existing maritime labour certificate, the new maritime labour certificate shall be valid from the date of completion of the renewal inspection for a period not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate:

Provided that where the renewal inspection is completed more than three months before the expiry date of the existing maritime labour certificate, the new maritime labour certificate shall be valid for a period not exceeding five years starting from the date of completion of the renewal inspection.

(5) Subject to sub-rule (1), where, after a renewal inspection completed prior to the expiry of a maritime labour certificate, the ship is found to continue to meet the requirements of the Act and the rules made thereunder but a new certificate cannot immediately be issued to and made available onboard that ship, the Director-General, or the recognised organisation duly authorised for this purpose, may extend the validity of the certificate for a further period not exceeding five months from the expiry date of the existing certificate, and endorse the certificate accordingly, which shall be valid for a period not exceeding five years from the date of inspection as specified in sub-rule (4).

(6) Maritime Labour Certificate may be issued on an interim basis in Form-V, -

(a) to new ships on delivery; or

(b) when a ship changes flag; or

(c) when a ship owner assumes responsibility for the operation of a ship which is new to that ship owner.

(7) The interim maritime labour certificate may be issued by the Director-General or a recognised organisation, or any other person duly authorised for this purpose, for a period not exceeding six months, subject to the following verification, namely: -

(a) the ship has been inspected as far as reasonable and practical, for the matters specified in Form-VI;

(b) the ship owner has demonstrated to the Director-General or a recognised organisation, or any other person duly authorised for this purpose that the ship has adequate procedures to comply with these rules;

(c) the master is familiar with the requirements of these rules and the responsibilities for its implementation; and

(d) relevant information has been submitted to the Director-General or a recognised organisation or any other person duly authorised for this purpose to produce a declaration of maritime labour compliance.

(8) A full inspection in accordance with sub-rule (1) shall be carried out prior to expiry of the interim certificate to enable issue of the full-term maritime labour certificate in Form-VII and a declaration of maritime labour compliance shall not be issued for the period of validity of the interim certificate.

(9) The Director-General or a recognised organisation or any other person duly authorised for this purpose shall certify that the working and living conditions of seafarers on the ship, including measures for ongoing compliance to be included in the declaration of maritime labour compliance have been inspected and meet the requirements of these rules for implementing the convention.

(10) The declaration of maritime labour compliance shall be attached to the maritime labour certificate in Form-III and Form-IV, as applicable.

(11) The Director-General or recognised organisation duly authorised for this purpose shall certify Part-II of Form-IV and shall issue the declaration of maritime labour compliance referred to in sub-rule (10).

(12) The results of all subsequent inspections or other verifications carried out with respect to the ship concerned and any significant deficiencies found during any such verification shall be recorded, together with the date when the deficiencies were found to have been remedied and such record shall be inscribed upon or appended to the declaration of maritime labour compliance or made available in some other way to seafarers, inspectors, authorised officers in port States and ship owners' and seafarers' representatives.

(13) A certificate issued under this rule shall cease to be valid in any of the following cases, namely:—

(a) if the relevant inspections are not completed within the periods specified under sub-rules (2) and (3);

(b) if the certificate is not endorsed in accordance with sub-rules (2) and (3);

(c) when a ship changes flag;

(d) when a ship owner ceases to assume the responsibility for the operation of a ship; and

(e) when substantial changes have been made to the structure or equipment covered in rules 16 and 17.

(14) In the case referred to in clauses (c), (d) or (e) of sub-rule (13), a new certificate shall only be issued when the Director-General or recognised organisation issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the requirements of this rule.

(15) A maritime labour certificate shall be withdrawn by the Director-General or the recognised organisation duly authorised for this purpose, if there is evidence that the ship concerned does not comply with the requirements of these rules and any required corrective action has not been taken.

(16) When considering whether a maritime labour certificate shall be withdrawn in accordance with sub-rule (15), the Director-General or the recognised organisation shall take into account the seriousness or the frequency of the deficiencies.

(17) The fees for inspection and the issuance of the Maritime Labour Certificate, by the Director-General or recognised organisations, as the case may be, shall be as specified by the Director-General from time to time.

(18) A current valid maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance shall be carried on the ship and a copy shall be posted in a conspicuous place on board where it is available to the seafarers, and a copy of the same shall be made available, upon request, to seafarers, inspectors, authorised officers in port States, and ship owners' and seafarers' representatives.

25. Inspection and enforcement. — (1) The Director-General shall maintain a system of inspection of the conditions for seafarers on ships, including the verification relating to working and living conditions as set out in the declaration of maritime labour compliance, are being followed, and that the requirements of these rules are met.

(2) (a) The Director-General shall appoint sufficient number of qualified inspectors to fulfil its responsibilities under this rule.

(b) Where recognised organisations have been authorised to carry out inspections, the Director-General shall require that personnel carrying out the inspection are qualified to undertake these duties and shall provide them with the necessary legal authority to perform their duties.

(3) Adequate provision shall be made to ensure that the inspectors have the training, competence, terms of reference, powers, status and independence necessary or desirable so as to enable them to carry out the verification and ensure the compliance.

(4) If the Director-General or an officer authorised by him, receives a complaint which it does not consider manifestly unfounded or obtains evidence that a ship to which these rules apply does not conform to the requirements of these rules or that there are serious deficiencies in the implementation of the measures set out in the declaration of maritime labour compliance, the Director-General or an officer authorised by him shall take necessary steps to investigate the matter and ensure that action is taken to remedy any deficiencies found.

(5) The inspectors shall have the status and conditions of service to ensure that they are independent of changes of Government and of improper external influences.

(6) The Director-General may issue directions to the inspecting authority as to the tasks to be performed and shall empower them to –

(a) board a ship that flies the Indian flag;

(b) carry out any examination, test or inquiry which they may consider necessary in order to satisfy themselves that the standards are being strictly observed; and

(c) require that any deficiency is remedied and, where they have grounds to believe that deficiencies constitute a serious breach of the requirements of these rules, including seafarers' rights, or represent a significant danger to seafarers' safety, health or security, to prohibit a ship from leaving port until necessary remedial actions are taken.

(7) Any action taken in pursuant to clause (c) of sub-rule (6) shall be subject to right of appeal under the Act.

(8) Inspectors shall have the discretion to give advice instead of instituting or recommending proceedings when there is no clear breach of the requirements of these rules that endangers the safety, health or security of the seafarers concerned and where there is no previous history of similar breaches.

(9) Inspectors shall treat as confidential the source of any grievance or complaint alleging a danger or deficiency in relation to seafarers' working and living conditions or a violation of applicable laws and give no intimation to the ship owner, the ship owner's representative or the operator of the ship that an inspection was made as a consequence of such a grievance or complaint.

(10) Inspectors shall not be entrusted with duties which may, because of their number or nature, interfere with effective inspection or prejudice in any way their authority or impartiality in their relations with ship owners, seafarers or other interested parties and in particular, shall –

(a) be prohibited from having any interest in any operation which they are called upon to inspect; and

(b) subject to appropriate sanctions or disciplinary measures, not reveal, even after leaving service, any commercial secrets or confidential working processes or information of a personal nature which may come to their knowledge in the course of their duties.

(11) Inspectors shall submit a report of each inspection to the Director-General and a copy of the report in English shall be furnished to the master of the ship, and another copy shall be posted on the ship's notice board for the information of the seafarers and, upon request, sent to their representatives.

(12) The Director-General shall maintain records of inspections of the conditions for seafarers on ships to which these rules apply and publish an annual report on inspection activities within such time, not exceeding six months, from the end of the year.

(13) In the case of an investigation pursuant to a major incident, the report shall be submitted to the Director-General as soon as practicable, but not later than one month following the conclusion of the investigation.

(14) When an inspection is conducted or when measures are taken, all reasonable efforts shall be made to avoid a ship being unreasonably detained or delayed.

26. Onboard complaint procedures. — All Indian flag ships shall adopt the following on-board complaint procedures, namely: —

(a) without prejudice to any wider scope that may be given in the collective bargaining agreements, the on-board procedures may be used by seafarers to lodge complaints relating to any matter that is alleged to constitute a breach of the requirements of these rules, including seafarers' rights;

(b) any aggrieved seafarer serving onboard an Indian flag ship shall, as soon as possible, submit a written complaint to his Head of Department onboard, which shall be immediately and formally acknowledged by the Head of Department to the seafarer concerned;

(c) where the Head of Department cannot resolve the seafarer's complaint to the satisfaction of the seafarer, within three days of receipt of the complaint, the Head of Department shall refer it to the master of the ship, who shall handle the matter personally and settle the issue within seven days of such reference;

(d) a seafarer shall, at all times, have the unequivocal right to be accompanied or represented during the complaints procedure, as well as safeguards against the possibility of victimisation of seafarers for filing complaints.

Explanation. — For the purposes of this clause, the term "victimisation" includes any adverse action taken by any person against a seafarer with respect to complainants, victims, witnesses and whistle-blowers for lodging a complaint which is not manifestly vexatious or maliciously made and due regard shall be given to situations where a complaint is manifestly vexatious or maliciously made;

(e) all complaints and actions on the complaint shall be duly recorded in the official logbook and a copy of the decision taken, in each case, shall be provided to the seafarer concerned by the issue resolving authority and a proper documentary record of all the complaints and actions taken on each complaint shall be kept onboard and shall be available for an inspection by the authorities concerned for a period of at least three years of receipt of complaint;

(f) in case the master of the ship cannot resolve the complaint onboard, he shall refer it to the company or the licenced recruitment and placement service, or the ship owner concerned, under due intimation to the seafarer and —

(i) where the complaint is referred to the ship owner, such ship owner shall resolve the matter, without any delay and within a maximum period of one month of receipt of such reference;

(ii) the contact details of the ship owner for resolving seafarer's complaints shall be made available onboard, by the master of the ship;

(iii) the ship owner shall, in resolving the complaint, take the assistance of the committee that may be set up by it, comprising the unions of seafarers also;

(g) in case the complaint of the seafarer is not resolved by the company or the licensed recruitment and placement service or the ship owner concerned within one month, including the committee represented by the union of seafarers, the seafarer shall have the right to approach the Director-General, through the specified Grievance Redressal Mechanism along with copies of the complaint, including the replies given thereto by them, if any;

(h) a seafarer onboard a ship calling at a foreign port, in between a voyage shall also have the right to separately report his complaint alleging breach of the requirement of the convention including seafarers' rights, to the authorised officer at that port, in accordance with rule 29;

(i) in all such cases, seafarers shall also have the right to file their complaints directly with the master or the company or the licensed recruitment and placement service or ship owner or any other authority that the seafarers may consider appropriate for the purpose;

(j) in addition to a copy of seafarers' employment agreement, all seafarers shall be provided with a copy of the onboard complaint procedures applicable on the ship which shall include contact information of the Director-General or competent authority of the seafarers' country of residence, and the name of a person or persons onboard the ship who can, on a confidential basis, provide seafarers with impartial advice on their complaint and otherwise assist them in following the complaint procedures available to them onboard the ship;

(k) any grievances of a seafarer shall be brought within a period of three years from the date of such incident.

27. Marine casualties. — (1) Investigations and inquiries on marine casualties shall be dealt with in accordance with Part XI of the Act.

(2) In carrying out preliminary inquiry under sub-section (3) of section 231 of the Act or preliminary assessment of the marine casualty and conducting a marine safety investigation under sub-section (6) of section 231, the following shall be taken into consideration, namely: —

- (a) the International Maritime Organisation Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident;
- (b) the recommendations of the International Labour Organisation or the International Maritime Organisation Guidelines on the Fair Treatment of Seafarers in the event of a maritime accident; and
- (c) the International Labour Organisation or the International Maritime Organisation Guidelines on Fair Treatment of Seafarers detained in connection with alleged crimes.

(3) The Director-General shall cooperate, as far as practicable, with concerned States to assist in the application of the above-mentioned Guidelines.

28. Port State inspections. — (1) The Director-General shall specify a system for inspection of ships and the procedure for port state inspection as required under the convention for fulfilling its Port State responsibilities.

(2) Where an authorised officer, having come onboard to carry out an inspection and requested, where applicable, the maritime labour certificate and the declaration of maritime labour compliance, finds that—

- (a) the required documents are not produced or maintained or are falsely maintained or that the documents produced do not contain the information required by these rules or are otherwise invalid; or
- (b) there are clear grounds for believing that the working and living conditions on the ship do not conform to the requirements of these rules; or
- (c) there are reasonable grounds to believe that the ship has changed flag for the purpose of avoiding compliance with these rules; or
- (d) there is a complaint alleging that specific working and living conditions on the ship do not conform to the requirements of these rules,

a more detailed inspection may be carried out, if the working and living conditions believed or alleged to be defective could constitute a clear hazard to the safety, health or security of seafarers or there are grounds to believe that any deficiencies constitute a serious breach of the requirements of these rules, including seafarers' rights.

(3) Where a more detailed inspection is carried out on a foreign ship in any port or place in India by authorised officers in the circumstances set out in clauses (a), (b) or (c) of sub-rule (2), it shall comply with the requirements specified in the Declaration of Maritime Labour Compliance:

Provided that in the circumstances set out in clause (d), the inspection shall be limited to matters within the scope of the complaint.

(4) Upon a detailed inspection under sub-rule (2), if the working and living conditions on the ship are found not to conform to the requirements of these rules, the authorised officer shall forthwith bring the deficiencies to the attention of the master of the ship to rectify the deficiencies within a specified time and if such deficiencies are significant, the authorised officer shall bring the deficiencies to the attention of the appropriate union of seafarers and association of shipowners, and may—

- (a) notify a representative of the flag State; and
- (b) provide the competent authorities of the next port of call with the relevant information.

(5) The authorised officer shall have the right to transmit a copy of the officer's report, which shall be accompanied by any reply received from the competent authorities of the flag State within the specified time, to the Director-General of the International Labour Office with a view to such action as may be considered appropriate and expedient in order

to ensure that a record is kept of such information and that it is brought to the attention of parties which might be interested in availing themselves of relevant recourse procedures.

(6) Where, following a more detailed inspection by an authorised officer, the ship is found not to conform to the requirements of these rules and—

- (a) the conditions on board are clearly hazardous to the safety, health or security of seafarers; or
- (b) the deficiency constitutes a serious or repeated breach of the requirements of these rules, including seafarers' rights,

then the authorised officer shall, —

- (i) take steps to ensure that the ship shall not proceed to sea until the deficiencies are rectified, or until the authorised officer has accepted a plan of action to rectify the deficiencies and is satisfied that the plan will be implemented in an expeditious manner;
- (ii) if the ship is prevented from sailing, the authorised officer shall forthwith notify the flag State accordingly and invite a representative of the flag State to be present, if possible, requesting the flag State to reply within a specified time;
- (iii) inform forthwith the appropriate association of shipowners and union of seafarers.

(7) The authorised officer shall make all possible efforts to avoid a ship being unduly detained or delayed and the burden of proof in case of any claim for compensation or damages for detention of a ship under sub-section (2) of section 308 of the Act shall be on the complainant.

29. Onshore seafarer complaint-handling procedures. — (1) A complaint by a seafarer, on ships calling at any port or place in India, alleging a breach of the requirements of these rules including seafarers' rights may be reported to an authorised officer specified by Director-General, and in such cases, the authorised officer shall undertake an initial investigation.

(2) Where appropriate, given the nature of the complaint, the initial investigation shall include consideration of whether the on-board complaint procedures provided under rule 26 have been explored, and the authorised officer may also conduct a more detailed inspection in accordance with rule 28.

(3) The authorised officer shall, where appropriate, seek to promote a resolution of the complaint at the ship-board level.

(4) Where the complaint is not resolved under sub-rule (3), the authorised officer shall forthwith inform the Director-General or the flag State concerned, as the case may be, seeking, within a specified time, advice and a corrective plan of action.

(5) Where the complaint has not been resolved following action taken in accordance with sub-rule (4), the Director-General shall, —

- (a) transmit a copy of the authorised officer's report to the Director-General of the International Labour Office, accompanied by any reply received within the specified time from the competent authority of the flag State;
- (b) inform the appropriate association of ship owners and union of seafarers in India;
- (c) submit the statistics and information regarding complaints that have been resolved to the Director-General of the International Labour Office.

(6) Appropriate steps shall be taken to safeguard the confidentiality of complaints made by seafarers.

(7) Any grievances of a seafarer shall be brought within a period of three years from the date of such incident.

30. Labour-supplying responsibilities. — The Director-General shall ensure effective implementation of recruitment and placement responsibilities and social protection of seafarers as specified in the Act and the rules made thereunder.

31. Particulars to be furnished in plaints, etc.— (1) If any person presenting any plaint, application or appeal to any Court has reason to believe that any adverse party is a Serving Seafarer, he shall make a statement accordingly in the plaint, application or appeal.

(2) If any collector has reason to believe that any seafarer who ordinarily resides or has property in his district and who is a party to any proceedings pending before any Court is unable to appear therein or is a Serving Seafarer, the collector may certify the facts to the Court.

32. Notice to be given in case of unrepresented seafarer. — (1) If a collector has certified under sub-rule (2) of rule 31, or if a Court has reason to believe that a seafarer who is a party to any proceeding before the Court, is unable to appear therein or is a serving seafarer, the Court shall suspend the proceeding and shall give notice thereof to the shipping master:

Provided that the Court may refrain from suspending the proceeding and giving the notice —

- (a) if the proceeding is one instituted or made by the seafarer, alone or jointly with others, with the object of enforcing a right of pre-emption; or
- (b) if the interests of the seafarer in the proceeding are, in the opinion of the Court, either identical with those of any other party thereto and adequately represented by such other party, or merely of a formal nature.

(2) If it appears to the Court before which any proceeding is pending that a seafarer though not a party to the proceeding is materially concerned in the outcome of the proceeding and that his interests are likely to be prejudiced by his inability to attend, the Court may suspend the proceeding and shall give notice thereof to the shipping master.

(3) If on receipt of a notice under sub-rules (1) or (2), the shipping master certifies to the Court that the seafarer is a Serving Seafarer, the Court shall thereupon postpone the proceeding in respect of the seafarer for such period as it thinks fit:

Provided that if by reason of the continued absence of the seafarer the question of any further postponement of the proceeding in respect of the seafarer arises, the court shall in deciding the question have regard to the purposes of the provisions of this Act conferring special protection on seafarers in respect of litigation.

(4) If the shipping master either certifies that the seafarer is not for the time being a Serving Seafarer or fails within two months from the date of the receipt of the notice under clause (a) or (b) as the case may be, to certify that the seafarer is a Serving Seafarer, the Court may, if it thinks fit, continue the proceeding.

33. Power to set aside decrees and orders passed against serving seafarer.— (1) Where in any proceeding before a court, a decree or order has been passed against any seafarer while he was a serving seafarer, the seafarer, or if he dies while he is a serving seafarer, his legal representative, may apply to the said court to have the decree or order set aside, and if the court after giving an opportunity to the opposite party of being heard, is satisfied that the interests of justice require that the decree or order should be set aside as against the seafarer, the court, shall subject to such conditions, if any, as it thinks fit to impose, make an order accordingly, and may, if it appears that any opposite party in the proceeding has failed to comply with the provisions of sub-rule (1) of rule 31, award, subject to such conditions as it thinks fit to impose, damages against such opposite party.

(2) The period of limitation for an application under sub-rule (1) shall be sixty days from the date on which the seafarer first ceases to be a serving seafarer after the passing of the decree or order, or where the summons or notice was not duly served on the seafarer in the proceeding in which the decree or order was passed, from the date on which the applicant had knowledge of the decree or order, whichever is later; and the provisions of section 5 of the Indian Limitation Act, 1908 (9 of 1908), shall apply to such applications.

(3) Where the decree or order in respect of which an application under sub- rule (1) is made is of such a nature that it cannot be set aside as against the seafarer only, it may be set aside as against all or any of the parties against whom it was made.

(4) Where a court sets aside a decree or order under this section, it shall appoint a day for proceeding with the suit, appeal or application, as the case may be, in respect of which the decree or order was passed.

34. Modification of law of limitation where seafarer is a party.— In computing the period of limitation provided in the foregoing provisions or in the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), or in any other law for the time being in force, for any suit, appeal or application to a court to which a seafarer is a party, the period or periods during which the seafarer has been a serving seafarer, and if the seafarer has died while he was a serving seafarer, the period from the date of his death to the date on which his next-of-kin was first informed by the shipping master or otherwise, of his death, shall be excluded:

Provided that this rule shall not apply in the case of any suit, appeal or application instituted or made with the object of enforcing a right of pre-emption except in such areas and in such circumstances as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

35. Reference in matters of doubt to shipping masters. — If any court is in doubt whether, for the purposes of sub-rule 32 or sub-rule 33, a seafarer is or was at any particular time or during any particular period a serving seafarer, it

may refer the question to the shipping master and the certificate of the shipping master shall be conclusive evidence on the question.

36. Fees for repatriation or replacement of seafarers. — (1) There shall be levied and collected, in respect of engagement of every seafarer, a fee for repatriation or replacement of seafarers at the rate of fifty rupees or such other rate as the Central Government may, by notification, specify from time to time, for the purpose of repatriation of seafarers.

(2) In respect of all Indian vessels, fees referred to in sub-rule (1) shall be payable by the ship owner, where the seafarer is engaged by the ship owner for the vessel owned by them.

(3) The fees mentioned in the sub-rule (1) shall be subject to revision by the Director-General.

(4) The revision referred to sub-rule (3) may be carried out once in every three years:

Provided that the amount so revised shall not exceed twenty-five per cent of the contribution referred to in sub-rule (1).

(5) The fee shall be paid by electronic transfer to the Government account.

(6) Any expenses incurred for the repatriation or replacement of seafarers from the fees collected under sub-rule (1), shall be recoverable from the concerned ship owner by the Central Government in accordance with sub-section (4) of section 67, section 91 and section 92 of the Act:

Provided that the amount so recoverable shall be arrived after deducting the fees for repatriation or replacement of seafarers already paid by such shipowner under sub-rule (1) on the date of commencement of proceedings for recovery under the Act.

(7) The amount of fee for repatriation or replacement of seafarers collected under sub-rule (1) and expenses recovered under sub-rule (6) shall be credited to the Consolidated Fund of India.

(8) The Central Government shall determine, annually, the cost of collection of the fees and expenses specified in sub-rule (7), and after deduction of such cost from the gross collections, the net proceeds shall be remitted to the Seafarers Welfare Fund Society.

(9) The fees for repatriation or replacement of seafarers levied under sub-rule (1) and expenses recovered under sub-rule (6) and remitted to the Seafarers Welfare Fund Society shall be utilised, subject to the prior approval of the Director-General, solely for the purpose of repatriation or replacement of abandoned seafarers, in accordance with the Act and rules made thereunder.

(10) The Seafarers Welfare Fund Society shall account for all such receipts in its books and maintain separate records for amounts received under this rule.

37. Wages and other property of seafarers left behind, deceased or lost overboard. — (1) If a seafarer is lost overboard, deceased or left behind, the master shall prepare an inventory of the seafarer's belongings and ensure that the personal effects are delivered to the next of kin or family member, as declared by the seafarer at the time of engagement, and shall intimate the shipping master.

(2) The delivery shall be arranged by the ship owner within four days from the date of arrival of the belongings in India and, in any case, not later than three months from the date of the incident.

38. Manner of utilisation of undisbursed amounts towards welfare of seafarers. — Where any amount specified in section 82 of the Act remains unclaimed with the shipping master for a period of not less than six years, such amount shall be credited to the Consolidated Fund of India, which shall be remitted to the Seafarers Welfare Fund Society for the welfare of seafarers.

Form-I

[See rule 12 (15)]

Evidence of financial security

The certificate or other documentary evidence of financial security required under sub-rule (15) of rule 12 shall include the following information, namely: –

- (a) Name of the ship;
- (b) Port of registry of the ship;
- (c) Call sign of the ship;
- (d) International Maritime Organisation number of the ship;
- (e) Name and address of the provider or providers of the financial security;
- (f) Contact details of the person or entity responsible for handing seafarer's requests for relief;
- (g) Name of the owner of the ship;
- (h) Period of validity of the financial security; and
- (i) An attestation from the financial security provider that the financial security meets the requirement of rule 12.

Form-II

[See rule 19 (15)]

Evidence of financial security

The certificate or other documentary evidence of financial security required under sub-rule (15) of rule 19 shall include the following information, namely: –

- (a) Name of the ship;
- (b) Port of registry of the ship;
- (c) Call sign of the ship;
- (d) International Maritime Organisation number of the ship;
- (e) Name and address of the provider or providers of the financial security;
- (f) Contact details of the person or entity responsible for handling seafarer's contractual claims;
- (g) Name of the owner of the ship;
- (h) Period of validity of the financial security; and
- (i) An attestation from the financial security provider that the financial security meets the requirement of rule 19.

Form-III

[See rule 24 (10)]

Maritime Labour Convention, 2006**Declaration of Maritime Labour compliance – Part-I**

*(Note: This Declaration must be attached
to the ship's Maritime Labour Certificate)*

Issued under the authority of Director-General of Maritime Administration, Government of India

With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006 the following referenced ship: –

Name of ship	IMO number	Gross tonnage

is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention (rule 24) of these rules.

The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that:-

- (a) the provision of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the requirements referred to below;
- (b) these national requirements are contained in the provisions referenced below; explanations concerning the content of those provisions are provided where necessary;
- (c) the detail of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4 of the Convention are provided under the corresponding requirement listed below in the section provided for this purpose below (strike the statement which is not applicable);
- (d) any exemption granted by the Competent Authority under Title 3 of the Convention (rules 16 and 17) should be clearly indicated in the section provided for this purpose below; and
- (e) any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirement concerned.
 1. Minimum age (rule 4)
 2. Medical certification (rule 5)
 3. Qualification of seafarers (rule 6)
 4. Seafarers' employment agreement (rule 8)
 5. Use of any licensed Recruitment and Placement Service (rule 7)
 6. Hours of work or rest (rule 10)
 7. Manning levels for the ship (rule 14)
 8. Accommodation (rule 16)
 9. Onboard recreation facilities (rule 16)
 10. Food and catering (rule 17)
 11. Health and safety and accident prevention (rule 20)
 12. Onboard medical care (rule 18)
 13. Onboard complaint procedures (rule 26)
 14. Payment of wages (rule 9)
 15. Financial security for repatriation (rule 12):
 16. Financial security relating to ship-owners liability (rule 19):

Name:

Title:

Signature:

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority)

Substantial equivalencies*(Note: Strike out the statement that is not applicable)*

The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, paragraphs 3 and 4 of the Convention,
 except where stated above, are noted (insert description if applicable):

.....

.....

No equivalency has been granted.

Name:

Title:

Signature:

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority)

Exemptions*(Note: Strike out the statement that is not applicable)*

The following exemptions granted by the competent authority are noted:

.....

.....

No exemption has been granted.

Name:

Title:

Signature:

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Form-IV

[See rule 24(10) and (11)]

Declaration of Maritime Labour Compliance – Part-II

Measures adopted to ensure ongoing compliance between inspections

The following measures have been drawn up by the ship owner, named in the Maritime Labour Certificate to which this declaration is attached to ensure ongoing compliance between inspections:

(State below the measures drawn up to ensure compliance with each of the items in Part I)

1. Minimum age (rule 4)
.....
2. Medical certification (rule 5)
.....
3. Qualification of seafarers (rule 6)
.....
4. Seafarers' employment agreement (rule 8)
.....
5. Use of any licensed Recruitment and Placement Service (rule 7)
.....
6. Hours of work or rest (rule 10)
.....
7. Manning levels for the ship (rule 14)
.....
8. Accommodation (rule 16)
.....
9. Onboard recreation facilities (rule 16)
.....
10. Food and catering (rule 17)
.....
11. Health and safety and accident prevention (rule 20)
.....
12. Onboard medical care (rule 18)
.....
13. Onboard complaint procedures (rule 26)
.....
14. Payment of wages (rule 9)
.....
15. Financial security for repatriation (rule 12)
.....
16. Financial security relating to ship-owners liability (rule 19)
.....

I hereby certify that the above measures have been drawn up to ensure ongoing Compliance, between inspections, with the requirement listed in part I.

Name of the owner of the ship:

Company address:

Title:

Name and Signature of the authorised signatory.....

Date:

(Stamp or seal of the ship owner)

The above measures have been reviewed by (insert name of competent authority or duly recognised organisation) and, following inspection of the ship, have been determined as meeting the purpose set out under standard A5.1.3, paragraph 10(b) of the convention [rule 24(10)] regarding measures to ensure initial and ongoing compliance with the requirements set out in Part I of this Declaration.

Name:

Title:

Address:

.....

.....

Signature:

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Form-V

[See rule 24 (6)]

Interim Maritime Labour Certificate

.....
(Full designation of the Issuing Authority)

by

(Full designation and address of the authority or duly Recognised Organisations)

Particular of the ship

Name of ship.....

Distinctive number or letters.....

Port of registry

Date of registry

Gross tonnage.....

International Maritime Organisation number

Type of ship.....

Name and address of the owner of the ship.....

.....

.....

This is to certify, for the purpose of standard A5.1.3, paragraph 7 of the convention (rule 24(7)), that:

(a) this ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the matters listed in Appendix A5-I to the Convention (Form-IV to these rules), taking into account verification of items under (b), (c) and (d) below;

(b) the owner of the ship has demonstrated to the competent authority or recognised organisation that the ship has adequate procedures to comply with these rules.

(c) the master is familiar with the requirements of these rules and the responsibilities for implementation; and

(d) relevant information has been submitted to the competent authority or recognised organisation to produce a

Declaration of Maritime Labour Compliance.

This Certificate is valid until Subject to inspection is in accordance with Standards A5.1.3 (rule 24) and A5.1.4 (rule 25) of the Convention. The completion date of the inspection referred to under (a) above was.....

Issued at..... on.....

Signature of the duly authorised official

Issuing the interim certificate.....

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)

Form-VI

[See rule 24(7) (a)]

The working and living conditions of seafarers that shall be inspected and approved by the competent authority before certifying that the ship is in accordance with Standard A5.1.3, paragraph 1 are as under:-

1. Minimum age:
2. Medical certification:
3. Qualification of seafarers:
4. Seafarers' employment agreements:
5. Use of any licensed Recruitment and Placement Service:
6. Hours of work or rest:
7. Manning levels for the ship:
8. Accommodation:
9. Onboard recreational facilities:
10. Food and catering:
11. Health and safety and accident prevention:
12. Onboard medical care:
13. Onboard compliant procedures:
14. Payment of wages:
15. Financial security for repatriation:
16. Financial security relating to ship owners' liability:

Form-VII

[See rule 24 (9)]

Maritime Labour Certificate

*(Note: This Certificate shall have a Declaration
of Maritime Labour Compliance attached)*

.....
(Full designation of the Issuing Authority)

by.....

(Full designation and address of the authority or recognised organisation duly authorised under the provision
of the rules)

Particular of the ship

Name of ship.....

Distinctive number or letters

Port of registry

Date of registry

Gross tonnage*.....

International Maritime Organisation number

Type of ship.....

Name and address of the ship owner.....

.....

.....

* For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross tonnage is that which is included in the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969). See Article II(1)(c) of the Convention.

This is to certify:

1. that this ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirements of the Convention, and the provision of the attached Declaration of Maritime Labour Compliance.

2. that the seafarers' working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention (Form VI) were found to correspond to the abovementioned country's national requirement implementing the Convention. These national requirements are summarised in the Declaration of Maritime Labour Compliance, Part I.

This certificate is valid until subject to inspection in accordance with Standard A5.1.3 (rule 24) and Standard A5.1.4 (rule 25) of the Convention.

This certificate is valid only when the Declaration of Maritime Labour Compliance issued at..... on..... is attached.

Completion date of the inspection on which this certificate is based was.....

Issued at..... on

Signature of the duly authorised official issuing the Certificate

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)

Endorsements for mandatory intermediate inspection and, if required, any additional inspection

This is to certify that the ship was inspected in accordance with the provisions of Standard A5.1.3 (rule 24) and Standard A5.1.4 (rule 25) of the Convention and that the seafarers' working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention (Form VI) were found to correspond to the requirement:

Signed.....

(intermediate inspection to be completed between the second
and third anniversary dates)

(Signature of authorised official)

Place.....

Date

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Additional endorsements (if required)

This is to certify that the ship was the subject of an additional inspection for the purpose of verifying whether the ship continued to be in compliance with the requirements implementing the Convention, as required by Standard A3.1, paragraph 3 of the Convention (re-registration or substantial alteration of accommodation) or for other reasons.

Additional inspection:

(if required)

Signed.....

(Signature of authorised official)

Place

Date

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Additional inspection:

(if required)

Signed.....

(Signature of authorised official)

Place

Date

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Additional inspection:

(if required)

Signed.....

(Signature of authorised official)

Place

Date

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Extension after renewal inspection (if required)

This is to certify that, following a renewal inspection, the ship was found to continue to be in compliance with national laws and regulations or other measures implementing the requirements of the Convention, and that the present certificate is hereby extended, in accordance with paragraph 4 of Standard A5.1.3 (rule 24(5)), until

(not more than five months after the expiry date of the existing certificate) to allow for the new certificate to be issued to and made available on board the ship.

Completion date of the renewal inspection on which this extension is based was:

.....

Signed:

.....

(Signature of authorised official)

.....

Place:

.....

Date:

.....

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Form-VIII

[See rule 8(6)]

SEAFARERS' EMPLOYMENT AGREEMENT

This agreement is made between master/ ship owner(s)/ licensed recruitment and placement service or their representative on their behalf and a seafarer as detailed below in accordance with collective bargaining agreement-sector wise, indicated below and the Merchant Shipping Act 2025 and regulation 2.1 of Maritime Labour Convention 2006 and as per contractual clauses/terms and conditions stated overleaf:

(*Delete/add as applicable)

2. Applicable recognised Collective Bargaining Agreement: 1.1 NMB (India) 1.2 INSA-MUI 1.3 ICCSA/NUSI 1.4 ICCSA/MUI 1.5 Others Note: i) Tick applicable CBA ii) specify CBA details for 'Others' iii) Also refer clause	
2. Details of ship owner/employer	4. Details of seafarers
2.1 Name	4.1 Name
2.2 Full postal address and e-mail:	4.2 Nationality / INDoS No.:
	4.3 Date-of-birth and place of birth (Town and Country):
	4.4 Full postal address and e-mail:
2.3 Telephone / Fax no.:	4.5 Telephone / Fax no.:
2.4 Contact person:	
3. Details of master/ship owner/ licensed recruitment and placement service or their representative on their behalf (wherever applicable):	
3.1 Name:	4.6 CDC No. / Place of issue:
3.2 .RPS License No.:	
3.3 Valid till:	
3.4 Postal address and e-mail:	4.7 CDC date of issue / expiry:
	4.8 Passport No. / Place of issue:
	4.9 Passport date of issue / expiry:

	5. Details of next-of-kin:
3.5 Telephone / Fax no.:	5.1 Name / Relationship:
3.6 Contact person:	5.2 Postal address and e-mail:
6. Details of ship:	
6.1 Name:	
6.2 Port of registry / trade:	
6.3 Official / IMO No.:	5.3 Telephone / Fax No.:
6.4 G.T. / Power (Kw / BHP):	7. Details of certificates:
6.5 No. of crew including master:	7.1 CoC grade / No.:
8. Details of employment:	7.2 Place of issue:
8.1 Engagement period: Months:	
8.2 Amount of monthly wages on board:	7.3 Date of issue / expiry:
8.3 Rate of monthly PF / gratuity:	7.4 Limitations (if any):
8.4 Paid annual leave/month (Minimum of 2.5 days): Days	
8.5 Hours of rest (minimum of 77 hours per week):Hours	
9. Amount of monthly allotment:	
10. Means of payment of wages:	
10.1 Method of payment:	
10.2 Weekly/Monthly intervals (<i>tick as applicable</i>):	
10.3 [<i>insert number</i>] day of each week/month (<i>tick as applicable</i>)	
11. Capacity / Rank employed:	12. Details of special ship type endorsement (if applicable):
13. Reason(s) for signing off:	12.1 Type of endorsement:
	12.2 Level / Certificate no.:
	12.3 Place of issue:
14. Paid off on datePlace.....	16. Notice of termination of employment (<i>see clause</i>

15. Repatriation Details (see clause 8): 15.1 On medical grounds 15.2 Others (See clause 8)		6): Employment commencement date: Employment end date: Note: The employment shall continue for the period as mentioned above unless it is terminated for justified reasons in advance of this point or the ship is at sea at that time in which event it will continue until its arrival in port at which point it will terminate.	
17. Health and social security benefits (see clause 7):			
18. PF contribution (SPFO) due		19. Gratuity (SWFS) due	
20. Details of medical certificate: 20.1 Issue Authority: 20.2 Approval No: 20.3 Issue Date: 20.4 Expiry Date:			
21. Additional Terms and Conditions of employment (where applicable): <i>(Any additional employment condition shall not be less than that provided in the recognised Collective Bargaining Agreement)</i>			
22. Signature with place and date and stamp of master or ship owner or licensed recruitment and placement service or their representative on their behalf:		23. Signature of seafarer with place and date:	
1. Signed-on ashore: Place: Date:	2 Signed-off ashore: Place: Date:	2. Signed-on ashore: Place: Date:	2. Signed-off from ship: Place: Date:

		3. Signed-on ship: Place: Date:	4. Signed-off ashore: Place: Date:
24. Signature with place and date and stamp of master:			
1. Signed-on ship: Place: Date:		2. Signed-off from ship: Place: Date:	
Remarks (if any) with signature, place and date by seafarer / master/ ship owner/ licensed recruitment and placement service or their representative on their behalf/ shipping master / SPFO / SWFS:			

Contractual clauses/terms and conditions:

1. This agreement between master/ shipowner/ licensed recruitment and placement service or their representative on their behalf and the seafarer is subject to the condition that the seafarer will serve in capacity/rank on wages as indicated with other terms of employment and service conditions as per the relevant Collective Bargaining Agreement sector-wise, or Seafarer's Employment Agreement, as applicable.
2. This agreement shall be for serving in the area and for the period as agreed in applicable Collective Bargaining Agreement or Seafarer's Employment Agreement, as applicable, from the date of the first signature in this agreement.
3. It is hereby agreed that the said seafarer will be supplied with provisions as applicable Collective Bargaining Agreement or Seafarer's Employment Agreement, as applicable, or in accordance with Maritime Labour Convention 2006 provisions, whichever is higher.
4. It is agreed that the rights, duties and the terms of employment of seafarers and the obligations of ship owners shall be governed by applicable Collective Bargaining Agreement/ Seafarer's Employment Agreement/ the provisions of ILO Conventions ratified by the flag State, relevant Acts of the flag State, the rules/notices/circulars/orders made thereunder.
5. Master should keep on board a copy of applicable Collective Bargaining Agreement/ Seafarer's Employment Agreement/ the provisions of ILO Conventions ratified by the flag State, relevant Acts of the flag State, the rules/notices/circulars/orders made thereunder. These documents should be made available to seafarers working on the ship, their lawful representatives and other legitimate authorities for their perusal at any reasonable time.
6. In relation to an individual seafarer, this agreement may be terminated –
 - (a) by mutual consent.

- (b) if medical evidence indicates that a seafarer is incapable of continuing to perform his duties by reason of illness or injury;
- (c) if a seafarer is absent without leave at a time fixed for sailing; or
- (d) if in the opinion of the master, continued employment of the seafarer is likely to endanger the ship or any person on board.

7. Health and social security benefits include payment by the shipowner of any costs incurred in respect of any sickness or injury occurring between the date on which they commenced duty on board a ship and the date on which they are deemed to have been duly repatriated. This also includes payments that shipowners are required to make in respect of the death or long-term disability of a seafarer due to an occupational injury, illness or hazard occurring while the seafarer is serving under a Seafarer's Employment Agreement or arising from their employment under such agreement, and compensation in case of loss or foundering of the ship.

8. The repatriation of the seafarers shall be at no cost to seafarers, on conditions mentioned in **clause 15.1** of the Seafarer's Employment Agreement. The provision under 'Others 'include:

- (a) where the Seafarers 'Employment Agreement expires;
- (b) when the Seafarers 'Employment Agreement is terminated, -
 - (i) by the ship owner; or
 - (ii) by the seafarer, for justified reasons, as per Collective Bargaining Agreement or Seafarers 'Employment Agreement;
- (c) when the seafarers are no longer able to carry out their duties under their employment agreement or cannot be expected to carry them out in the specific circumstances, as per Collective Bargaining Agreement or Seafarers 'Employment Agreement;
- (d) on compassionate grounds as per Collective Bargaining Agreement or Seafarers 'Employment Agreement;
- (e) in case of abandoned seafarer.

9. The period of employment in the Seafarer's Employment Agreement shall be deemed extended if it has been extended on mutual agreement between the seafarer and the ship owner.

10. There shall be a system-generated copy and five sets of Seafarers 'Employment Agreement shall be printed and signed (physically and electronically) in original for distribution as follows:

- (a) Set 1: Master on board
- (b) Set 2: Seafarer
- (c) Set 3: Ship owner/Employer/Licensed recruitment and placement service/their representative on behalf of ship owner
- (d) Set 4 and 5: Retained with Ship owner/employer/Licensed recruitment and placement service/their Representative until the set 3 (duly signed by master and seafarer) has been received by the employer/RPS after the seafarer has been signed off from the ship.

Note: A copy of set 3 shall be submitted to SPFO, SWFS and Shipping Office along with the payment of SPF and Welfare fund.

[F. No. SY-19014/197/2025-MG-Part(2)]

VENKATESAPATHY S Jt. Secy.